खण्ड-180, अंक-3
बुधवार, 2 कार्तिक, शक संवत् 1878
(24 अक्टूबर, 1956 ई0)

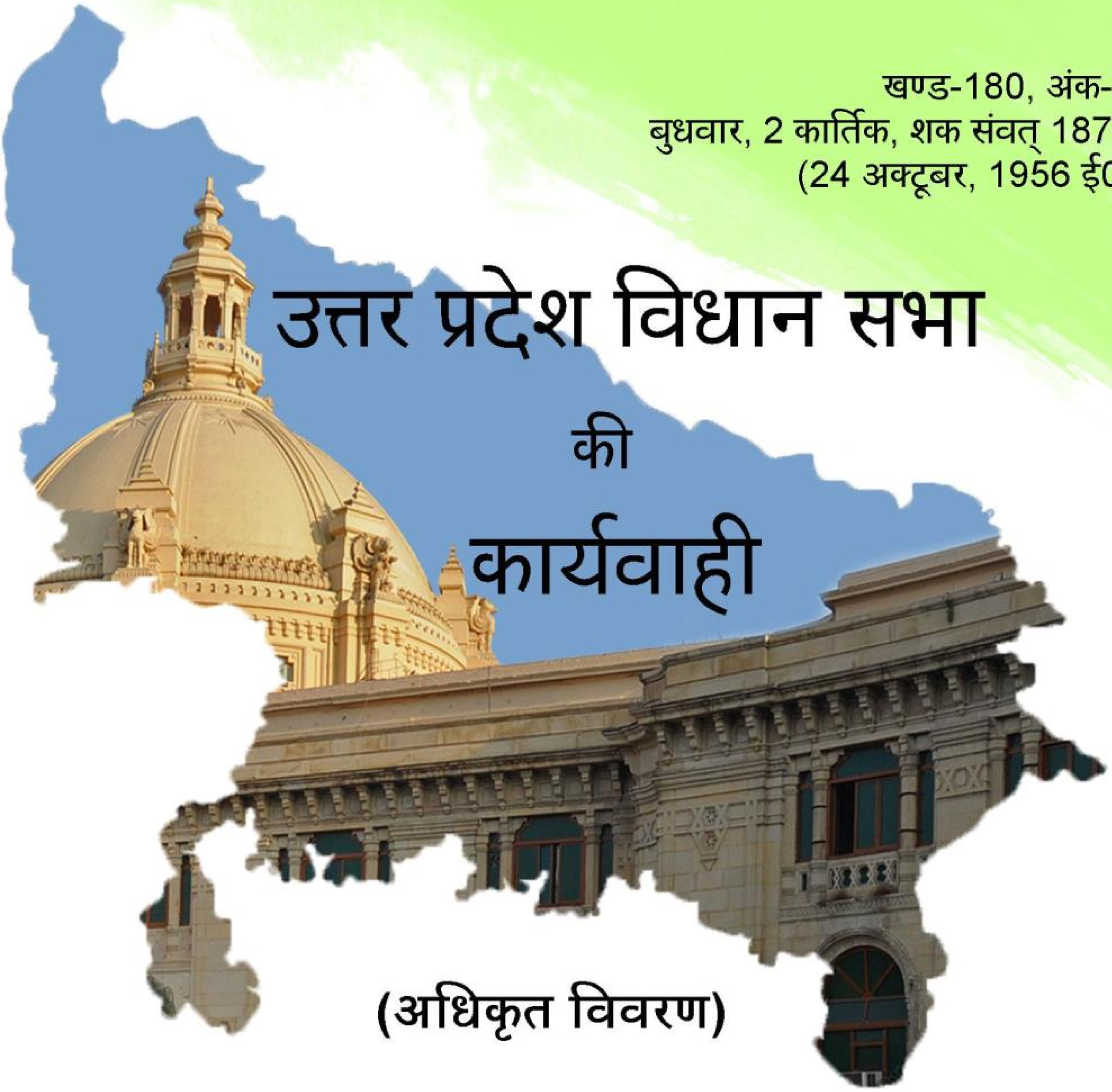

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अब्दुलमोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धनतिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद सिंह, श्री

जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथकौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फजलुल हक, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जायसवाल, श्री
रामचन्द्रविकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववचनराव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री

शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्दसिंह पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अन्न सप्लाई योजना का प्रवर्त्तन

**१—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि "अन्न सप्लाई योजना" (सस्ते दामों पर अन्न देना) किन-किन जिलों में लागू कर दी गई है और कौन-कौन अन्न किस-किस भाव पर बेचे जा रहे हैं?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—राज्य में खाद्यान्नों के बढ़े हुये भावों को कम करने के लिये तथा बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की जनता को सहायता पहुंचाने के लिये राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों को सस्ते मूल्यों पर बेचने का प्रबन्ध किया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत गेहूं २ सेर १० छटांक से लेकर ३ सेर प्रति रु० तक तथा चावल २ सेर १३ छटांक प्रति रुपया के भाव से बेचा जा रहा है। इन दोनों योजनाओं से संबंधित एक नोट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५६–२५९ पर)

**२—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—सरकार को इस क्रय-विक्रय से क्या लाभ या हानि होने की संभावना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रश्न का उत्तर भी उक्त नोट में सम्मिलित है। पर्वतीय क्षेत्रों में गेहूं की सप्लाई पर अनुमानतः ३ रु० प्रति मन की हानि हो रही है तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग २ रु० ३ आ० प्रतिमन की हानि होने की संभावना है।

**३--श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आरम्भ की गई है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में भी खाद्यान्नों की सरकारी दूकानें जहां जरूरत समझी गई खोली गई, हैं।

वाराणसी में बुनकरों को पर्याप्त रेशम का न मिलना

**४--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या यह सही है कि वाराणसी शहर के पचास हजार बुनकर रेशम न मिलने के कारण बेकार हो गये हैं ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसी दास)--जी नहीं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार को माननीय परिपूर्णानन्द, सदस्य, विधान सभा या किसी और दूसरे सूत्र से इस बात की सूचना मिली थी कि सितम्बर के महीने में बनारस में रेशम के सूत की तकसीम से वहां के बुनकरों को बड़ी परेशानी हो रही है ?

श्री बनारसीदास--वहां पर जहां तक देशी सिल्क के सूत का सवाल है काफी मात्रा के अन्दर मिल सकता है। इम्पोर्टेड सिल्क की वास्तव में कुछ कमी सितम्बर तक थी, लेकिन सितम्बर के बाद इम्पोर्टेड जो शंघाई का सूत आता है उसकी अब कमी नहीं रह गयी है और आशा की जाती है कि वहां की आवश्यकता के मुताबिक पूरा सूत मिल पायेगा।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार को किसी सूत्र से इस बात की सूचना मिली है कि बनारस में जो रेशम के सूत के वितरण का तरीका है, वह ठीक नहीं है ?

श्री बनारसीदास--नहीं, इस प्रकार की तो कोई सूचना नहीं है। वहां जितने भी वीवर्स रजिस्टर्ड हैं उन सबको एक माह में एक पौंड के हिसाब से सूत मिलता है। इसलिए कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या यह बात सही है कि जो रेशम बनारस में वीवर्स को वितरण किया जाता है वह सेल्स टैक्स के आधार पर किया जाता है ?

श्री बनारसीदास--नहीं, इस प्रकार का तो कोई आधार नहीं है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जाता है।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने एक पत्र बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा था कि सेल्स टैक्स के आधार पर रेशम का वितरण किया जाय।

श्री बनारसी दास--डिप्टी डाइरेक्टर ने क्या लिखा था वह पत्र तो इस वक्त मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट की नीति है वह यह अवश्य है कि जो रजिस्टर्ड वीवर्स है उनमें प्रत्येक को एक महीने के अन्दर एक पौंड इम्पोर्टेड सूत दिया जाय। हो सकता है कि जिनकी सेल ज्यादा हो, सेल्स टैक्स के आंकड़ों से इस बात में मदद मिलती हो कि कितना वहां पर टर्न ओवर है, तो इससे ज्यादा सूत मिल सके।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिये शुगर केन-बोर्ड की बैठक न बुलाने पर आपत्ति

**५--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अब तक शुगर केन बोर्ड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की मीटिंग न होने के क्या कारण हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—बिहार तथा उत्तर प्रदेश गन्ना बोर्ड की मीटिंग इस वर्ष न बुलाये जाने का कारण यह है कि कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिस पर उक्त मीटिंग में विचार-विनिमय किया जाना जरूरी होता।

**६—श्री गेंदा सिंह—गन्ने का मूल्य रिकवरी के आधार पर १ मई के बाद दिया जाय, इस मामले पर उक्त शुगर केन बोर्ड से क्यों नहीं सरकार ने सलाह ली ?

श्री फूल सिंह—पिछले कई वर्ष से उन (seasons) में जिनमें गन्ना अधिक मात्रा में होता है, उसका मूल्य मई के महीने से केन्द्रीय सरकार द्वारा रिकवरी के आधार पर निर्धारित किया जाता रहा है और इस वर्ष यह कोई नई समस्या नहीं थी, जिस पर शुगर केन बोर्ड की सलाह लेना आवश्यक होता।

श्री गेंदा सिंह—क्या ईख की सप्लाई और उसकी कीमत के सम्बन्ध में यह जरूरी नहीं था कि शुगर केन बोर्ड की भी सलाह ली जाय जो १९५६-५७ में सप्लाई की जायगी ?

श्री फूल सिंह—सन् १९५६-५७ की कीमत तो पहले से तय हो चुकी है। कीमत दरअसल में केन्द्रीय सरकार को ही तय करनी होती है। सप्लाई के सम्बन्ध में जल्दी मिल चलाने का प्रश्न था तो केन्द्रीय सरकार ने बहुत थोड़े नोटिस पर उसके लिये सुझाव मांगा था तो यह सम्भव न हो सका कि मीटिंग बुलायी जा सके।

श्री गेंदा सिंह—क्या ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड, बिहार और यू० पी० दोनों ने मिल करके सप्लाई की हालत को ठीक करने के लिये कोई कदम सरकार ने उठाना क्यों नहीं मुनासिब समझा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि अभी बताया गया कि पिछले वर्ष जो विचार-विनिमय इस प्रश्न के ऊपर हुआ था उसी प्रकार का विचार-विनिमय इस वर्ष भी होता। गन्ना पिछले वर्ष भी ज्यादा था और इस वर्ष भी ज्यादा हुआ है। जो सुझाव बोर्ड ने पिछले वर्ष दिये थे वे ही सुझाव इस वर्ष भी सरकार और बोर्ड केन्द्रीय सरकार को दे सकते थे। सरकार ने उन्हीं सुझावों को जो पिछले वर्ष बोर्ड की तरफ से दिये गये इस वर्ष भी केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किये दिये और जैसा बताया गया केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में जो सलाह मांगी उसके कागजात बहुत देर में भेजे। हमारी इच्छा थी कि हम बोर्ड की बैठक बुलायें। परन्तु बिहार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी वे मीटिंग इत्यादि में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं और न वे अपने सदस्यों को मीटिंग की सूचना दे सकते हैं। इस कारण से हमने बोर्ड नहीं बुलाया और पिछले वर्ष की सिफारिशों को ही इस वर्ष दोहरा दिया।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिकवरी बेसिस पर जो गन्ने की कीमत दी जाती है क्या सरकार इसको बोर्ड के सामने रख करके इसको निश्चित करने की या परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है वह तो रिकवरी बेसिस के विरुद्ध अपने सुझाव केन्द्रीय सरकार के सामने इस प्रदेशीय सरकार के द्वारा भेज चुका है और इस प्रदेश में अपने सुझाव इस विषय में वे ही भेजे थे जो सुझाव बोर्ड की तरफ से भेजे गये थे। रिकवरी बेसिस का कतई निर्णय केन्द्रीय सरकार ने स्वतः किया।

श्री गेंदा सिंह—यू० पी० की सरकार ने रिकवरी बेसिस पर कीमत किसानों को मिले इसके लिये क्या कहा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो पहले सुझाव बोर्ड ने पिछले वर्ष दिये थे पहले प्रदेशीय सरकार ने वे ही सुझाव और वे ही बातें केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थीं। परन्तु गन्ना अधिक था और केन ग्रोवर्स के हितों की रक्षा करने के लिये यह आवश्यकीय था कि मिलें अधिक समय तक चलें तो केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारों का विचार-विनिमय हुआ और उस विषय में फिर केन्द्रीय सरकार के सामने एक रिपोर्ट भी आ चुकी थी जो कि इस विषय के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त कर रखी थी। उस रिपोर्ट के कुछ सुझावों को सामने रखते हुए और इस बात की आवश्यकता को समझते हुए कि गन्ना तेजी के साथ पिरना चाहिये वर्ना उत्पादकों का नुकसान हो जायगा प्रदेशीय सरकार ने जो केन्द्रीय सरकार ने सुझाव प्रस्तुत किया उसे स्वीकार कर लिया।

श्री गेंदा सिंह—जिस शुगर केन बोर्ड की सिपारिशों की चर्चा माननीय मंत्री जी कर रहे हैं क्या उसने यह भी सिपारिश की थी कि १ रु० १२ आने से कम कीमत न हो और यह सिपारिश की थी कि १५ अक्तूबर से फैक्ट्रियां चलायी जायं और अगर घाटा पड़े तो केनसेस और शुगर ऐक्साइज डयूटी में कमी करके पूरा किया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछले वर्ष जो सुझाव बोर्ड ने दिये थे केन्द्रीय सरकार के समक्ष हमने इन प्रस्तावों को रखा था और हम बराबर इस बात का आग्रह करते रहे कि वे प्रस्ताव स्वीकार किये जायं और केन्द्रीय सरकार उसके ऊपर अमल करे। स्वतः केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जब लखनऊ में एक बैठक हुई थी उसमें आये थे और उन्होंने कुछ ऐसा हमसे कहा था कि फैक्ट्रियों को पहले चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार तथा गन्ना उत्पादकों को भी कुछ घाटा सहना पड़ेगा। जहां तक इस प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध था वह इस बात को मानने को तैयार थी और आखिर तक हमें यह बताया गया कि इसके ऊपर फैसला होगा और बिल्कुल आखिर में जब फैक्ट्रियों के खुलने के दो-चार रोज बाकी रहे तब यह फैसला आया कि केन्द्रीय सरकार ऐसा समझती है कि गन्ना अधिक मात्रा में प्रदेश में पैदा होने वाला नहीं है इसलिए उन सुझावों के ऊपर वह अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकती जो प्रदेशीय सरकार तथा उस बोर्ड के द्वारा केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन-कौन से सुझाव हैं जिन्हें बोर्ड के सुझावों के आधार पर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुझाव तो गन्ने की कीमत के विषय में थे कि किसी तरह से एक रुपया सात आना मन की कीमत न घटे, एक रुपया पांच आना मन की कीमत न घटे और यह सुझाव था कि फैक्ट्री जल्दी चलाई जाय जिसमें कि जो गन्ना ,अधिक मात्रा में प्रदेश में पैदा हुआ है वह सारा गन्ना पेर दिया जाय और वही सुझाव केन्द्रीय सरकार के सामने हमने रखा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वह एक बार फिर प्रयत्न करेंगे कि शुगर केन सीजन शुरू होने के पहले इस बोर्ड की मीटिंग हो सके और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रदेशीय सरकार तो हमेशा गन्ना उत्पादकों की समस्या को समझते हुए और उनके हितों की रक्षा करने के विषय को सामने रखते हुए हमेशा इस किस्म का विचार-विनिमय करने के लिए उद्यत रहती है और बोर्ड की मीटिंग भी जहां वह आवश्यकता उससे बातचीत करने की समझती है उसके बुलाने की नीति को भी स्वीकार करती है और सहर्ष उसके ऊपर अमल करने के लिए उद्यत रहती है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार ने कोई रिप्रेजेंटेशन केन्द्रीय सरकार के पास इस बात का भेजा कि उन्होंने जो यह कीमत गन्ने की तय की वह चीनी के मूल्य को देखते हुए बहुत कम है और बिल्कुल उनका आर्डर आर्बिट्रेरी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो बहुत पुरानी गाथा है और यह बराबर हर साल प्रदेशीय सरकार गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए केन्द्रीय सरकार के सामने उसी बात को रखने की चेष्टा करती है जिससे कि गन्ना उत्पादकों की समस्यायें सुलझाई जा सकें और उन्हें अधिक से अधिक फायदा हो ।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्ष शुगर केन बोर्ड ने एक मत से प्रस्ताव किया था कि एक रुपया दस आना मन से कम कीमत नहीं होनी चाहिए अगले सीजन में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी तो जानकारी आपको स्वतः है, इसमें मुझे बताने की क्या आवश्यकता है ?

श्री गेंदा सिंह—क्या यू० पी० की सरकार ने पिछले वर्ष जो सलाह केन्द्रीय सरकार को दी वह यह दी कि एक रुपया दस आना मन से कम कीमत नहीं होनी चाहिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने वही सलाह केन्द्रीय सरकार को दी जो वस्तु-स्थिति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार के आदेशों को देखते हुए इस प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के लिए अधिक से अधिक हितकर सिद्ध हो सकती थी ।

गन्ने के मूल्य निर्धारण में एक आने की छूट

**७—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ऐसा प्रबन्ध कर लिया गया है कि गन्ने की दर इस मास में क्या रहेगी ?

श्री फूल सिंह—भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से यह निश्चित किया है कि इस मास में और अगले मास की तारीख ४ तक चालू हो जाने वाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को गेट तथा रेल के गन्ने के परिनियत (Statutory) न्यूनतम मूल्य अर्थात क्रमशः १/७/ तथा १/५/ प्रति मन पर, १ आने की छूट दी जायेगी ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि जो १ आने की छूट अभी दी जायगी वह कब तक चालू रहेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो इस महीने और एक आने की है और ४ तारीख के बाद उसका यह है कि प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार ही उसका घाटा बर्दाश्त करेगी और किसान से वह घाटा नहीं लिया जायगा । १२ तारीख के बाद किसी को कोई छूट मिलेगी नहीं ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह एक आने की छूट दी गई है अर्ली फैक्ट्री चलाने के लिये तो कितनी ऐसी फैक्ट्रियों की सूचना मंत्री जी के पास है जो इस आधार पर चलाई जा रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—करीब ८–९ फैक्टरियों की सूचना मेरे पास आई थी । दो तीन दिन हुये केन कमिश्नर ने इत्तिला दी थी और वह चाहते थे कि १२ तारीख के बजाय यदि १५ तारीख कर दी जाय तो सम्भव है जो फैक्टरीज १७–१८ को चलने वाली हैं वह शायद ७–८ को चल सकें । सात-आठ फैक्टरियों के नाम बतलाये थे कि वह चलने वाली हैं ।

श्री गेंदा सिंह—एक आने की जो छूट की चर्चा है उसके क्या माने हैं, किसको मिलेगी और कितनी देंगे और इसके लिये शुगर केन बोर्ड से सलाह क्यों नहीं ली गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक आने का किसानों को घाटा बर्दाश्त करना पड़ेगा, दो आने प्रादेशिक सरकार और दो आने केन्द्रीय सरकार को एक्साइज और सेस में बर्दाश्त करना होगा ।

राज्य में नवीन गन्ना मिलें स्थापित करने की मांग

****८—**श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि नई गन्ना मिलें सहकारी अथवा दूसरे आधार पर पूर्णतया लगनी कहां-कहां निश्चित हो गई हैं और क्या किसी पुरानी गन्ना मिल को स्थानान्तरण की आज्ञा दी गई है ?

श्री फूल सिंह—निम्नलिखित स्थानों पर सहकारी आधार पर चीनी मिलें लगने वाली हैं:—

(१) बाजपुर .. .. (जिला नैनीताल)
(२) बागपत .. .. (जिला मेरठ)
(३) सरसावा .. .. (सहारनपुर)

ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के आधार पर एक चीनी मिल किच्छा, जिला नैनीताल में लगनी पूर्णतः निश्चित हो गयी है । इनके अतिरिक्त एक कोआपरेटिव फैक्ट्री का मझौला, जिला पीलीभीत में और एक ज्वाइन्ट स्टाक शुगर फैक्ट्री का हस्तिनापुर, जिला मेरठ में लगाया जाना विचाराधीन है ।

जहां तक पुरानी चीनी मिल के स्थानान्तरण का प्रश्न है केवल नवाबगंज शुगर फैक्ट्री, नवाबगंज (जिला गोंडा) स्थित एक बेकार पड़े हुए प्लान्ट को हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) स्थानान्तरित करने के लिए आज्ञा दी गयी है । इसके अतिरिक्त मन्सूरपुर से एक Idle Plant का ननौता ले जाकर लगाया जाना भी विचाराधीन है ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि मन्सूरपुर शुगर मिल एरिया में अब भी गन्ना बहुत फालतू है और यह हाइडिल प्लांट वहां लगना चाहिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जो हाइडिल प्लांट है वह मंसूरपुर के नजदीक ही एक-दूसरे स्थान पर, जिसे ननौता के नाम से पुकारते हैं, कदाचित वहां लगाया जा सके, यह प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री बलवन्त सिंह—मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मंसूरपुर मिल एरिया में आलरेडी गन्ने की तादाद बहुत अधिक है और यह प्लांट वहां लगाना अधिक मुनासिब हो सकेगा ?

श्री फूल सिंह—प्रान्त के सभी स्थानों की जांच की गयी थी और उनमें मंसूरपुर वह स्थान नहीं था जहां वह मिल लगायी जा सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सहकारी अथवा दूसरे आधार पर गन्ना मिल लगाने के हेतु जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किये गये थे, क्या उनकी रिपोर्ट आ गयी है ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री फूल सिंह—उस रिपोर्ट के आधार पर ही यह प्लान निश्चय हुआ था ।

श्री गेंदा सिंह—सरकार को जितनी भी शुगर फैक्टरियां लगानी हैं उनको कोआपरेटिव तरीके पर लगाने में क्या दिक्कत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कोआपरेटिव फैक्टरी लगाने में दिक्कत साधनों की है। जितना रुपया प्रदेशीय सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया है वह एक करोड़ के लगभग है। उसमें से २० लाख रुपया तो हमारे हिस्से का बाजपुर की फैक्टरी में लगने वाला है। ४० लाख रुपया हमें उधार देना पड़ रहा है कि किच्छा की फैक्टरी के लिए, और बागपत की फैक्टरी जिसे लाइसेंस मिल गया है उसमें शेयर्स लेने हैं २० लाख रुपये के। तो इस तरह से करीब २० लाख रुपया बच जायगा। इससे तो अधिक संख्या में कोआपरेटिव फैक्टरीज नहीं हो सकती हैं, इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि गन्ने की व्यवस्था को देखते हुए और उत्पादकों की गन्ने की गम्भीर समस्या को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में ऐसी फैक्टरीज लगायी जायं। यदि ऐसा हो तो सरकार उसका स्वागत कर सकती है, लेकिन जब तक धनराशि हमारी योजना के तहत में बढ़ाई न जाय तो अधिक मात्रा में कोआपरेटिव फैक्टरीज लगाने में असमर्थ हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार इसके लिए तैयार है कि वह केन्द्रीय सरकार को अपनी तरफ से लिखे कि वह कोआपरेटिव फैक्टरीज के लिए कर्जा चाहती है और उसके लिए उसको कर्जा दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सरकार तो केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार, सबसे जहां तक उद्योग-धंधों के लगाने का विषय रहा है उसके लिए बराबर आग्रह करती रही है और केन्द्रीय सरकार से यह भी चेष्टा करती रही है कि वह पब्लिक सेक्टर में अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग-धंधे लगायें और कोआपरेटिव फैक्टरीज लगाने के विषय में भी और अधिक धनराशि देने के लिये केन्द्रीय सरकार प्रयास करे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या यह सत्य है कि बुलन्दशहर की जांच करायी गयी ? क्या सरकार यह बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में एक मिल लगाने में क्या कठिनाई सरकार को है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बुलन्दशहर जिले के सिलसिले में जो जांच हुई है उससे पता चला है कि डिबाई के स्थान पर एक फैक्टरी लग सकती है, और उसके लिये प्रांतीय सरकार एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति से जो अहमदाबाद में रहता है और जिसके उद्योग-धन्धे अहमदाबाद में बहुत हैं उनसे बातचीत कर रही है। यदि उन्हें लाइसेंस मिल सका और वह और उद्योग-धंधे जो वहां लगाना चाहते हैं लगा सकें तो कदाचित् डिबाई और बुलन्दशहर के बड़े गन्ना उत्पादन क्षेत्र की सहायता हो सकेगी और वहां एक नई फैक्ट्री उनके द्वारा लगाई जा सकेगी।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या यह सही है कि सहारनपुर जिले में सरसावां और नानौता में एक ही जिले में तीन मिलें लगाई जा रही हैं तो क्या सरकार गाजीपुर में भी एक मिल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य रहा, वहां दो फैक्टरियां लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि जहां गन्ना काफी मात्रा में है वहां का गन्ना इस्तेमाल किया जाय और वहां इस्तेमाल करने के लिये फैक्ट्री लगाई जायं या जहां गन्ना अभी है नहीं वहां हम फैक्ट्री लगायें और फैक्ट्री तो लगादें और गन्ना न हो तो इससे तो प्रदेश की समस्या हल्की नहीं हो सकती। केंद्रीय सरकार ने यह घोषणा कर रक्खी है कि वह इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समझती है कि सरकारी जो मांग है वह करीब २२ लाख टन पहुंच जायगी तो इस मांग को पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सारे देश में फैक्ट्रियां शक्कर के पैदा करने के लिये लगायी जायं। अगर हम उन स्थानों को छोड़ दें जहां गन्ना अधिक मात्रा में पैदा हो रहा है

तो उससे यह संभव हो सकता है कि फैक्ट्रियां अन्य प्रदेशों में चली जायं और हम अपने गन्ने के उत्पादन की समस्या को फिर हल ही न कर सकें। तो इसलिये यह आवश्यकता है और उसके ऊपर हमें तेजी से चलना है कि जिन-जिन स्थानों में गन्ना अधिक मात्रा में पैदा हो रहा है वहां फैक्ट्रियां लगायी जायं।

श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या यह सही है कि सरकार ने फर्रुखाबाद जिले का भी सर्वे कराया था और उसको वहां मालूम हुआ कि बहुत ही अधिक मिकदार में गन्ना पैदा होता है और क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि उस जिले के लिये फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में क्या हो रहा है ?

श्री फूल सिंह—फर्रुखाबाद का भी सर्वे हुआ था। फर्रुखाबाद में गन्ना काफी है, लेकिन हर जगह नयी फैक्ट्रियां लगाने में कुछ कठिनाइयां हैं। प्राइवेट फैक्ट्री तो वहां लगेगी जहां उसको काफी मिकदार में गन्ना मिल सके और ऐसी जगह प्राइवेट फैक्ट्री जाने के लिये तैयार नहीं है जहां गन्ना काफी नहीं है। और जहां तक सहकारी फैक्ट्री लगाने का सवाल है वह वहीं लग सकती हैं जहां किसान काफी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वहां किसान काफी पैसा इकट्ठा नहीं कर सके, लिहाजा फर्रुखाबाद में गन्ना काफी होते हुए भी इतना गन्ना नहीं है कि वहां एक फैक्ट्री लग सके।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार भटनी फैक्ट्री को जो बहुत दिनों से यों ही पड़ी हुई है चलाने के लिये कोशिश कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भटनी फैक्ट्री बन्द पड़ी है। फैजाबाद में जो फैक्ट्री है उसके ओनर हैं। उन्होंने उसे खरीद भी लिया है लेकिन जो भटनी फैक्ट्री के जो बहुत से पहले के शेयरहोल्डर्स और डायरेक्टर्स इत्यादि हैं वे हाईकोर्ट में चले गये हैं और वहां से रिट ले आये हैं इसलिये उस फैक्ट्री वाले को जिसने उसे खरीदा है उसे अभी कब्जा नहीं मिला है। ज्योंही कब्जा मिल जायगा और हाईकोर्ट फैसला दे देगी तो मुमकिन है कि फैक्ट्री इस वर्ष भी चलाई जा सके।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या मंत्री जी बिजनौर जिले में गन्ना की बहुतायत को देखते हुये और गन्ना कमेटी ने भी सिफारिश की है, मिल स्थापित करने के लिये विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह—यह प्रश्न विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

हाथरस में बड़े तथा मध्यम उद्योगों को चलाने की मांग

*१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाथरस में बड़े तथा मध्यम उद्योगों में से किन-किन वस्तुओं के उत्पादन के लिये वह योजना बना रही है और उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री बनारसीदास—हाथरस में कटलरी योजना का एक केंद्र खोला जा रहा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केवल कटलरी के उद्योग से हाथरस के तीन लाख के क्षेत्र की बेकारी की समस्या पूरी हो सकेगी ? यदि हां, तो इस उद्योग से कितने लोगों को काम मिल सकेगा ?

श्री बनारसी दास—कुटीर उद्योग के अलावा इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लग सकें तो उसके लगाने की कोशिश की जायगी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार इन नये उद्योगों का नाम बतला सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी उनका नाम तो नहीं बतला सकते लेकिन वास्तविकता यह है कि हम कई उद्योगपतियों से भिन्न-भिन्न स्थानों में उद्योगों को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दो-तीन दिन हुये एक उद्योगपति आये थे और उन्होंने स्थान तो नहीं बतलाया कि कहां-कहां उद्योगों को वह लगायेंगे, लेकिन वह उद्योगों को लगाने में अवश्य मदद करने वाले हैं और केंद्रीय सरकार हमसे बार-बार कह रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर चलाने हैं उनमें अधिक संख्या में उद्योगपतियों को प्रभावित कर सके तो किया जाय और उनके द्वारा प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लग सकें तो उसकी चेष्टा करनी चाहिए।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा और हाथरस में जो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव था, उसके संबंध में क्या निश्चय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हाथरस में फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री लगाने के विषय में केंद्रीय सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। उसने इस पर विचार किया और इसको रद्द कर दिया और दूसरे स्थान पर फैक्ट्री लगाने की सलाह दी थी। अभी केंद्रीय सरकार से इत्तिला नहीं आई है। लेकिन अखबारों में पढ़ा है कि केंद्रीय सरकार फर्टीलाइजर्स फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाना चाहती है और फिर योजना इत्यादि बना रही है। हमने अपनी पहली सलाह और मांग को दुहरा दिया है और दुहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्टीलाइजर्स फैक्ट्री चाहे हाथरस में या मिर्जापुर में कहीं भी लगनी जरूर चाहिये।

श्री गेंदा सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सारे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उद्योगपतियों को आकर्षित करने में नियोजन मंत्री जी बाजी मार ले गये हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, बाजी तो मार ले जा सकते हैं यदि गेंदा सिंह जी हमारी मदद करेंगे तो बेकारी की समस्या भी हल होगी, उद्योगपति भी मित्र बन सकेंगे और उद्योग-धंधे भी हमारे यहां लग सकेंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रदेश के दूसरे नगरों में भी इस तरह की योजना जारी करने पर विचार कर रहे हैं ? अगर हां, तो किन-किन नगरों में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नगरों का ही सवाल नहीं है। जहां तक कानपुर का संबंध है, जहां से माननीय सदस्य आते हैं, वहां तो अब और बढ़ाने की बात है नहीं। प्रदेशीय सरकार की यह नीति है कि इंडस्ट्री का डिसपर्सल सारे प्रदेश में होना चाहिये और सारे प्रदेश के क्षेत्र में जहां उद्योग-धंधे नहीं हैं वहां उनको विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिये और उसके लिये योजना बननी चाहिये, चाहे वह पूर्वी जिले हों या पश्चिमी जिले हों।

हाथरस मिल के सूत को सस्ता करने का सुझाव

*२---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या यह सच है कि हाथरस मिल्स का बना सूत दूसरे प्रदेशों के सूत से अधिक महंगा पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उसको अपने ही प्रदेश में खपाने के लिये क्या सहूलियत दे रही है ?

श्री बनारसी दास---जी हां। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलियत नहीं दी जा रही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस मिल में केवल सूत की कताई क्यों होती है ?

श्री बनारसीदास—वह कताई की मिल तो है ही।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जब इस बात का पता है कि वहां का काता हुआ सूत दूसरे प्रान्त के सूत से महंगा पड़ता है तो वह कोई ऐसा प्रयत्न करेगी कि वहां का सूत सस्ता हो सके ?

श्री बनारसीदास—जी हां। इसके लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है कि वहां के उत्पादन की कैपेसिटी बढ़ा दी जाय और यदि वह कैपेसिटी बढ़ जाती है तो इसके अतिरिक्त उनके पास पूंजी की कमी है। उसकी मशीनरी काफी डेप्रीशियेटेड है। इसलिये नयी मशीन लगाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है। इसके अलावा प्रान्तीय सरकार ने भी उनके प्रार्थना-पत्र को यह सिफारिश करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है कि उनको अधिक ऋण दिया जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सुगंधित पदार्थों के उद्योग को बढ़ाने की योजना

*३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि इत्र उद्योग के बढ़ाने के लिये तथा प्रोत्साहन देने के लिये वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार की और कितनी सहायता प्रदान करेंगे और इस उद्योग विकास के लिये क्या योजना है ?

श्री बनारसीदास—दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य में इत्र तथा सुगन्धित पदार्थ उद्योग को बढ़ाने तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिये राज्य में कुछ प्रदर्शन केन्द्र खोले जायंगे जिन पर लगभग ३,१५,००० रु० व्यय होने का अनुमान है। विभिन्न प्रकार की खाद, उन्नत प्रकार के बीज व पौधों का उपयोग करके सुगन्धित पौधों व फूलों की प्रयोगात्मक कृषि की जायेगी, वैज्ञानिक व उन्नत तरीकों से उड़नशील तेल व सुगन्धित पदार्थों के बनाने का स्रवण करने की विधियों की शिक्षा दी जायगी तथा शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायगी। प्रति प्रदर्शन केन्द्र को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जायगी। चालू वित्तीय वर्ष में जौनपुर, कन्नौज एवं हसायन (अलीगढ़) में इस प्रकार के केन्द्र खोले जा रहे हैं और प्रत्येक केन्द्र को ७,००० रुपया की दर से सहायता दी जायगी। यह सहायता उन व्यक्तियों, पार्टियों एवं किसानों को दी जायगी जो प्रयोगात्मक कृषि के लिये भूमि, मजदूर, खाद आदि की सुविधायें प्रदान करेंगे।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इत्र उद्योग को प्रोत्साहन देने और बढ़ाने के लिये एक विशेषज्ञ नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—वह तो सरकार ने जो योजना बनायी है उसमें विशेषज्ञ तो हैं ही।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कितनी छात्र-वृत्ति देने का निश्चय किया है ?

श्री बनारसी दास—प्रत्येक विद्यार्थी को ६ महीने तक २५ रुपये मासिक।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि कानपुर के जिले में भी खस के इत्र का काफी व्यापार होता है और उस व्यापार को सरकार सहायता देने को सोच रही है ?

श्री बनारसीदास---इस वक्त तो जिन केन्द्रों को हमने लिया है वे केवल तीन हैं और आगे चलकर अगले वर्ष में सोचते हैं कि गाजीपुर-सिकदराराव और सिकन्दरपुर-बलिया को और जोड़ दिया जाय। कानपुर के किसी स्थान का नाम विचाराधीन नहीं है।

*४-५---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[७ नवम्बर, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[२० नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७-८---श्री रामदुलारे मिश्र---[इन प्रश्नों का उत्तर २२ अक्तूबर, १९५६ को प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत दिया गया।]

आगरा जिले में ग्राम सेवक की ट्रेनिंग के लिए भर्ती

*९---श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के नियोजन विभाग से चालू वित्तीय वर्ष में कितने उम्मीदवार ग्राम सेवक की ट्रेनिंग को भेजे गये?

श्री फूल सिंह---३३।

*१०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त ट्रेनिंग के लिये कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र भेजे थे?

श्री फूल सिंह---२०५।

*११---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रार्थना-पत्र भेजने वालों तथा जो उम्मीदवार भेजे गये उनमें (१) परिगणित तथा (२) पिछड़ी हुई जातियों की संख्या कितनी थी?

श्री फूल सिंह---प्रार्थना-पत्र भेजने वालों में परिगणित जाति के ६ व पिछड़ी हुयी जातियों के ७ व्यक्ति थे।

ग्राम सेवक की ट्रेनिंग के लिये भेजे गये उम्मीदवारों में २ परिगणित जाति के थे तथा पिछड़ी हुई जातियों का कोई उम्मीदवार न था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि परिगणित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के इतने कम प्रार्थना-पत्र क्यों आये?

श्री फूलसिंह---यह बात तो प्रार्थना-पत्र न भेजने वाले ही बता सकेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार जिन कारणों से परिगणित जातियों को संरक्षण के अनुसार नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनको दूर करने का कोई उपाय सोच रही है?

श्री फूलसिंह---यह तो शायद इत्तफाक की बात है कि आगरे में इतनी दरख्वास्तें नहीं आईं। पिछली बार इस प्रश्न पर जब इस आदरणीय सदन में चर्चा हुई तो एक बार केवल परिगणित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों की ही दरख्वास्तें मांगी गई थीं और बेशुमार लोगों की दरख्वास्तें आई भी थीं और उनको छांटा भी गया था।

देवरिया जिले में कालरा तथा गैस्ट्रो इण्ट्राइटिस की रोकथाम के उपाय

*१२--श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार को सूचना है कि देवरिया जिले में सन् १९५५ से अब तक कितने व्यक्ति कालरा, मलेरिया और फायलेरिया रोग से ग्रसित हुये और उनमें से कितनों की मृत्यु हो गयी ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--सन् १९५५ में देवरिया जिले में कालरा नहीं हुआ। सन् १९५६ में सबके पहले जून माह में कालरे का प्रकोप हुआ। तब से सितम्बर १९५६ तक कालरा से ३७ व्यक्तियों की ग्रसित होने तथा १९ व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। इस जिले में मलेरिया द्वारा १९५५ में ग्रसित होने की संख्या नहीं मालूम है परन्तु २,२५३ व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना है। १९५६ में १ जनवरी से ३१ जुलाई तक १,२९६ व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना है परन्तु इस रोग से ग्रस्त होने की संख्य भी नहीं मालूम। फाइलेरिया रोग की मृत्यु संख्या नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पृथक रजिस्टर नही की जाती।

*१३--श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार उपर्युक्त रोगों के रोक-थाम की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--स्वास्थ्य विभाग के सब कर्मचारी कालरा रोग की रोकथाम में पूर्ण सतर्क हैं। रोग की रोकथाम के लिये कुओं में दवा छोड़ी गई, मकानों को असंक्रमिक किया गया। मक्खियों को मारने के लिये डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया तथा जिले में १,६७,१८८ कालरा निवारक टीके लगाये गये। इसके अतिरिक्त मरीजों की उचित चिकित्सा के लिये मोबायल यूनिट आवश्यकतानुसार रोग ग्रसित गांवों में जा जाकर कार्य करती रही। बरहज नगर में रोगियों की चिकित्सा तथा अलगाव के लिये अस्थाई छुतहा अस्पताल का प्रबन्ध किया गया।

श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन १९ व्यक्तियों के कालरा से मरने की सूचना सरकार को है उसमें गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस से मरने वालों की संख्या भी शामिल है ?

†श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं, वह संख्या उसमें शामिल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने अब गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस को भी कालरा के अन्दर मान लिया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं।

सीमेंट से कण्ट्रोल हटाने की मांग

*१४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सीमेंट वितरण का ढंग जिलों में क्या है ?

श्री बनारसीदास--जिलों में सीमेंट का वितरण विभिन्न मांगों को देखते हुये जिलाधीश आवश्यक जांच के पश्चात परमिट द्वारा करते हैं।

*१५--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार सीमेंट से कंट्रोल हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--देश में सीमेंट का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है। प्रदेश में सीमेंट का केवल वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जब तक सीमेंट की कमी है उस समय तक इस नियंत्रण के हटाने का कोई विचार नहीं है।

---

†३० अक्तूबर, १९५६ को सभा सचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि परमिट्स जारी होने के बावजूद भी लोगों को सीमेंट नहीं मिल पाती है ?

श्री बनारसीदास--हो सकता है, कभी इस बात की शिकायत हो जाती हो कि परमिट्स ईश्यू हो जाते हैं और सीमेंट स्टाक के अन्दर कम हो ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने टन सीमेंट आती है ?

श्री बनारसीदास--वैसे प्रान्त का कोटा एक महीने में २९ हजार पांच सौ टन का है, लेकिन प्रायः ७० फीसदी ही सीमेंट आ पाती है ।

श्री गंगाप्रसाद--तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कोटा है उससे भी कम आने पर भी, जनता की परमिट के लिये दरख्वास्त मंजूर हो जाने पर भी उसको दो-दो महीने तक भटकना पड़ता है और उसको सीमेंट नहीं मिलती । सरकार इसके लिये क्या करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सीमेंट की प्रदश में मांग तो करीब कोई ७० हजार टन से अधिक है और जैसा कि अभी बताया गया कि केन्द्रीय सरकार से जो एलाटमेंट होता है वह कोई साढ़े २९ हजार टन का होता है और वह भी पूरी मात्रा में कभी-कभी पहुंच नहीं पाता । इसलिये अगर विभिन्न जगहों पर सीमेंट के पाने में असुविधा होती है, दिक्कत रहती है तो वह स्वाभाविक है और उसको हटाने का प्रयत्न प्रान्तीय सरकार बराबर करती रहती है कि केन्द्रीय सरकार प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए सीमेंट का कोटा बढ़ाये । किन्तु जितने सीमेंट की हमें आवश्यकता है उसके नजदीक तक पहुचने के लिये शायद केन्द्रीय सरकार के अनुसार हमें काफी देर इंतजार करना पड़ेगा ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है कि प्रदेश में जो प्राइवेट बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनती हैं और सिनेमा बनते हैं, उनमें जो सीमेंट का प्रयोग होता है उस पर नियंत्रण किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सीमेंट के वितरण के नियम जो जिले-जिले में भेजे गये हैं उनमें यह बता दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि बड़ी-बड़ी इमारतों के लिये सीमेंट न दिया जाय और छोटे-छोटे आठ हजार या १२ हजार तक की इमारतों के लिये सीमेंट के वितरण में प्राथमिकता दी जाय ।

खीरी जिले में धौरहरा कलां तथा दुलही की कच्ची शराब की भट्ठियों का नीलाम

*१६--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि धौरहरा कलां तथा दुलही, तहसील निघासन, जिला खीरी की कच्ची शराब की भट्ठियां सन् १९५५-५६ में कितने रुपये में तथा सन् १९५६-५७ में कितने रुपये में नीलाम की गयी ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--वांछनीय सूचना इस प्रकार है:--

		नीलाम की रकम	
		१९५५-५६	१९५६-५७
		रु०	रु०
धौरहरा कच्ची भट्ठी	..	३०,०००	२४,०००
दुलही कच्ची भट्ठी	..	२७,०००	२३,५००

*१७--श्री जगन्नाथ प्रसाद--इन दोनों वर्षों के नीलाम की कीमतों में घटने अथवा बढ़ने का क्या कारण रहा ?

श्री गिरधारी लाल--निधासन तहसील की कच्ची भट्ठियों की लाइसेंस फीस में ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में जिले में बाढ़ आ जाने के कारण भारी कमी हुई थी। किन्तु उस वर्ष धौरहरा और दुलही की भट्टियों की लाइसेंस फीस में जिले की अन्य दुकानों से कहीं कम कमी हुई; परन्तु फिर भी इन दो दुकानों के ठेकेदारों को अन्य दुकानदारों के साथ-साथ शराब का भाव कम करना ही पड़ा और फल यह हुआ कि १९५६-५७ के नीलाम में इन दो दुकानों की लाइसेंस फीस अन्य दुकानों के बनिस्बत गिर गयी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या यह सत्य है कि इन भट्ठियों के नीलाम की रकम केवल १९५६-५७ के लिये ही घटी और उसके पहले कभी नहीं घटी ?

श्री गिरधारी लाल--हां, उससे पहले कभी नहीं घटी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या यह सही नहीं है कि धौरहरा कलां की भट्ठी के नीलाम की रकम इस लिये घटानी पड़ी कि उसको कस्बे के बाहर लगाने का आदेश दिया गया था ?

श्री गिरधारी लाल--कस्बे के बाहर लगाने का आदेश नहीं दिया गया था बल्कि कुछ लोगों के एतराज आने पर जगह बदलने का अदेश जरूर दिया गया था।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कच्ची शराब स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद और कड़ी है यह मान कर उसको साधारण शराब से रिप्लेस करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल--कच्ची शराब की जगह हमेशा सरकार चाहती है कि लिसिट शराब दी जाय, उसका सेवन किया जाय और कच्ची शराब यानी इल्लिसिट शराब जो है उसका सरकार विरोध करती है। उसी के लिये यह सब के सब कानून बने हुए हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतलायेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो कमेटी बनायीं गयी थी शराब को बंद करने की योजना के संबंध में उसने जब सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि शराब बन्द होनी चाहिये तो सरकार क्यों चहती है कि कच्ची शराब बन्द करके उसको दूसरी शराब में परिणित कर दिया जाय ?

श्री गिरधारी लाल--वह सवाल अलग है, यानी जब तक टोटल प्रोहिबिशन हमारे पूरे देश में या प्रदेश में नहीं होता तब तक लिसिट और इल्लिसिट शराब का प्रश्न बराबर कायम रहेगा।

*१८-१९--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--[२१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गुड़ विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*२१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार का गुड़ विभाग सन् १९४७ से काम कर रहा है परन्तु अभी तक अस्थायी है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

*२२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गुड़ विभाग में कितने प्रतिशत स्थानों की पूर्ति विभागीय कर्मचारियों की तरक्की से होती है और कितने प्रतिशत की सीधी भरती से ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब और विभागों के कर्मचारियों में ऐसा अनुपात निर्धारित है तो इस विभाग में इस प्रकार की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको तरक्की देकर ऊंचे पद पर रखा जाय ?

श्री बनारसी दास—आमतौर पर यह तो होता है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है। चूंकि यह विभाग अभी मुस्तकिल नहीं हो पाया है इसलिये कोई अनुपात निश्चित नहीं हो पाया है। कई साल से यह सवाल जरूर विचाराधीन चल रहा है।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, दनकौर, जिला बुलन्दशहर, के कार्यों पर व्यय

*२३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक दनकौर, जिला बुलन्दशहर में अब तक क्या-क्या विशेष कार्य किये जा चुके हैं और उन पर कितना-कितना सरकारी धन व्यय हुआ है ?

श्री फूल सिंह—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, दनकौर, जिला बुलन्दशहर में, जो २६-१-५५ को खुला था, ३०-६-५६ तक किये गये विशेष कार्यों के विवरण १, २ व ३ माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत हैं।

विवरण १ व २ में अंकित कार्यों पर राज्य-सरकार ने ६०,३३८ रु० ११ आने व्यय किये। विवरण ३ के कार्य श्रमदान एवं जनता द्वारा दिये गये चन्दे से किये गये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६०-२६२ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ६०,३३८ रुपये ११ आने जो सरकार के व्यय हुये हैं यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन की रकम है या टी० ए०, डी० ए० भी उनका इसमें शामिल है ?

श्री फूल सिंह—वेतन की रकम अलग है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो प्रौढ़ साक्षर किये गये हैं वह कार्य ब्लाक में किस एजेन्सी के द्वारा कराया गया है ?

श्री फूल सिंह—सोशल एजूकेशन के द्वारा।

मिर्जापुर जिले के अगोरी परगने में जल का कष्ट

*२४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में अगोरी परगने में सोन नदी के दक्षिण भाग में घोर जल कष्ट है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष हजारों पशु प्यास से मर जाते हैं तथा आदमियों को भी पीने को पानी कई-कई मील से मिलता है ?

श्री फूल सिंह—अगोरी परगने में सोन नदी के दक्षिण भाग में मई-जून के महीनों में कुओं का पानी कम हो जाने से कुछ कष्ट हो जाता है परन्तु पशुओं के मरने की कोई सूचना नहीं आई। इस वर्ष वर्षा शीघ्र आरम्भ होने से ऐसा कोई कष्ट नहीं था।

*२५—श्री व्रजभूषण मिश्र—इस जल कष्ट को मिटाने के लिये क्या उक्त क्षेत्र का व्यापक सर्वे करा कर कुओं तथा छोटी-बड़ी बन्धियों का निर्माण पूरे सरकारी खर्चे से करा कर अगली गर्मी के पहले पहले सरकार वहां के पशुधन तथा मनुष्यों की रक्षा कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री फूल सिंह—जिला नियोजन कमेटी द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे हो जाने पर सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस क्षेत्र का प्रश्न में हवाला दिया गया है वहां ८, ८ मील तक न कुआं है और न जलाशय है। वहां पर पानी के लिये कुछ कष्ट ही नहीं है बल्कि घोर पानी का कष्ट है और पशुओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट का मुकाबला करना पड़ता है ?

श्री फूल सिंह—माननीय सदस्य की सूचना पर कोई शक करना आवश्यक नहीं मालूम होता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर में जो यह कहा गया है कि प्यास से मरने की कोई सूचना नहीं मिली है तो सरकार की ओर से प्यास से मरने वाले पशुओं की सूचना प्राप्त करने का कोई साधन है ?

श्री फूल सिंह—अलग से यह नहीं पूछा जाता कि प्यास से कोई पशु मरा है। इस किस्म की कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट आती है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन समिति का सर्वे कब से हो रहा है ?

श्री फूल सिंह—पिछली बार जब माननीय मंत्री उस जिले में गये थे तो उन्होंने आदेश दे दिये थे।

श्री रामसेवक यादव—माननीय मंत्री कब गये थे, किस सन् या महीने में ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री व्रजभूषण मिश्र—माननीय नियोजन मंत्री तथा सिंचाई मंत्री जी जब पिछली बार दौरे में गये थे तो क्या वहां आश्वासन दिया था कि विशेष अनुदान देकर वहां के जलकष्ट को शीघ्र दूर किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक नियोजन मंत्री का सम्बन्ध है और स्वास्थ्य-मंत्री का सम्बन्ध है, वह बराबर उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। कई बार कुवें निर्मित करने के लिये बोर्ड आफ पब्लिक हेल्थ से वहां अनुदान दिया गया है। कई कुवें बनवाये भी गये हैं और जब मैं अप्रैल सन् १९५६ में, १४ या १५ तारीख को गया था तो वहां से लौट कर मैंने यह आदेश अवश्य जारी किये कि अधिक से अधिक धनराशि इन क्षेत्रों में कुवों के या पानी की व्यवस्था के लिये डी० पी० सी० को दी जाय और इर्रीगेशन विभाग जो बहुत सी योजनाओं से पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है उससे भी निवेदन किया जाय। इन ३, ४ महीनों में क्या-क्या कार्य इस विषय में हुये हैं, यह सूचना नोटिस मिलने पर दी जा सकेगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या यह अवैध नहीं है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जब किसी सम्मानित सदस्य या मंत्री का नाम पुकारें तो वह उठकर खड़ा हो और उन्हें जो कुछ कहना है या सूचना या नोटिस मांगना है वह मांगें ?

श्री अध्यक्ष—यदि उत्तर नहीं दिया तो उत्तर न देने का भी उनका अधिकार है और वह अपने स्थान पर बैठे रह सकते हैं। इसके बाद यही समझा जायगा कि वह उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जायगा कि वहां ३ १/२ लाख रुपये के करीब कमिटमेंट पिछले वर्षों का अधिक हो गया है और ३ १/२ लाख आगे के लिये मंजूर है लेकिन उसमें केवल ३० हजार यहां से गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बहुत सी धनराशि में कटौती हुई है, क्योंकि जितना रुपया सेन्ट्रल स्कीम्स के तहत में हम अपने बजट में रखते थे, ४० लाख पिछले वर्ष में था और इस साल १९ लाख ही रह गया, परन्तु कुछ कमेटियों ने यह समझ कर पहले की तरह धन मिलेगा ज्यादा रुपयों की योजनायें बनाली हैं। इसलिये कुछ योजनाओं को घटाना पड़ेगा। तो वहां भी कुछ योजनाएं घटाई गई होंगी। जहां तक कमिटेड एक्सपेंडीचर का सम्बन्ध है, उसके पूरे आंकड़े कदाचित् विभाग में नहीं आये होंगे और इसलिये उस सिलसिले में धनराशि वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के द्वारा नहीं भेजी जा सकी होगी।

श्री अध्यक्ष---उत्तर न देने में मैं व्यवस्था का प्रश्न स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो यह है कि उत्तर नहीं देना चाहते हैं, यह नतीजा निकाला जा सकता है। दूसरा यह भी नतीजा निकाला जा सकता है कि उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो इसलिये उसमें जरा कुछ थोड़ी सी हंसी की बात हो सकती है। इसलिये माननीय मंत्री जी को यह उचित होगा कि वह खड़े हो कर यह कह दें कि मुझे सूचना की जरूरत है। यह अधिक अच्छा होगा। नहीं तो लोग हंस सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, मुझे इस बात का दुःख है कि वह प्रश्न जो उधर से पूछा गया था उसको मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाया था और मैंने यह समझा कि मेरे पीछे बैठे हुए मेरे साथी इसका उत्तर दे रहे हैं इस कारण से मैं उत्तर नहीं दे पाया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझा कि लखनऊ का तकल्लुफ बरता जा रहा है कि आप कहें, आप कहें, इस वजह से रहा गया।

एक सदस्य---लखनऊ का तकल्लुफ़ ?

श्री अध्यक्ष---यह लखनऊ के तकल्लुफ़ वाली बात तो थोड़े से मजाक़ की बात थी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लखनऊ के तकल्लुफ की वसीयत तो मैंने माननीय राजनारायण जी के नाम कर दी है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी अब बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मंत्री जी मिर्जापुर कब गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- मैं अपनी याददाश्त को ताजा करके इतना बता सकता हूं कि १४--१५ अप्रैल को मैं वहां गया था।

बांदा जिले में विभिन्न उद्योगों के लिए विकास योजना

*२६---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---क्या उद्योग मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले की मऊ, करवी तहसीलों में वे कौन-कौन से उद्योग-धन्धे खोलने को सोच रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में बांदा जिले में चर्म शोधन एवं चर्मविकास, ताड़गुड़, औद्योगिक शिक्षालय, पिछड़े हुए एवं अविकसित क्षेत्रों तथा औद्योगिक सहकारिता योजनाओं द्वारा विभिन्न उद्योगों का विकास किया जायगा। स्थानों का निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा।

*२७---श्री जगपति सिंह---क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि उपर्युक्त स्थानों पर गृह-उद्योग के लिये कच्चे पदार्थ अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, जैसे कच्चा चमड़ा, कांच की बालू, सन, सुतली, बांस, आदि ?

श्री बनारसी दास--जी हां ।

*२८--श्री जगपति सिंह--क्या सरकार अम्बर चर्खे के चलाने के लिये इन तहसीलों में शिक्षा केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास--फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री जगपति सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति ने किन-किन स्थानों का विवरण दिया है और क्या चीज भेजी जायगी इसका कुछ निर्णय किया है ?

श्री बनारसी दास--अभी जिला नियोजन समिति की हमारे पास कोई सूचना नहीं आयी है । सरकार की तरफ से इस वर्ष एक चर्म-शोधन केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गयी है । जहां नियोजन समिति बतायेगी वहां यह खोला जायगा । सरकार एक और चर्म-शोधन केन्द्र खोलना चाहती है, उसके बारे में नियोजन समिति की जहां की सिफारिश आयेगी वहां खोला जायगा ।

*२९-३०--श्री कमला सिंह--[१४ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१--श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--[२१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में जल का कष्ट दूर करने के लिए सहायता

*३२--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या नियोजन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि उन्होंने जिला मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी पीने के जल-कष्ट को निवारण करने के लिए अपने दौरे में यह स्पष्ट तौर पर घोषित किया था कि वहां योजना के अतिरिक्त विशेष धन दिया जायेगा ?

श्री फूल सिंह--जी हां । मैंने प्रदेश के स्वास्थ्य संसद (State Helth Board) द्वारा अतिरिक्त सहायता देने को कहा था ।

*३३--श्री रामस्वरूप--इस सम्बन्ध में सरकार कितना धन जल समस्या के हल करने के लिए स्वीकृत करने जा रही है ?

श्री फूल सिंह--इस सम्बन्ध में जिला नियोजन अधिकारी सर्वे (Survey) कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं । योजना अभी नहीं बन पाई है अतः उसके लिये कितने धन की आवश्यकता होगी यह अनुमान करना कठिन है ।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस संबंध में जिला नियोजन अधिकारियों ने कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तक वह रिपोर्ट मेरे पास तक नहीं पहुंची है । मुमकिन है कि मेरे दफ्तर में आ चुकी हो । जैसा कि आप जानते हैं दफ्तर में कागजात आते हैं उन्हें मुझ तक पहुंचने में कुछ समय लगता है ।

श्री गेंदासिंह--माननीय मंत्री जी दौरे पर जो वायदा करते हैं वह मंत्री जी की नोट बुक में ही रह जाता है अथवा विभाग की ओर से उस पर कोई कार्यवाही होती है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---वायदा वफाई होती है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अब इस पर ज्यादा जोर न दिया जाय, यह स्वतंत्र प्रश्न है और समय भी हो चुका है ।

*३४---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---[२१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ मेडिकल कालेज में धोके से रुपयों का वसूल करना

*३५---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि तारीख २४ अगस्त को रायबरेली तथा इटावा के दो हरिजनों के ३२ रुपये मेडिकल कालेज लखनऊ में मेडिकल कर्मचारी के भेष में ले लिये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विषय की कोई सूचना सरकार तथा विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुई है ।

*३६---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि ये धोखा के कार्य कब से हो रहे हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार की घटनाओं की सूचना स्टेशन अफसर पुलिस कोतवाली चौक, लखनऊ को उचित कार्यवाही हेतु तुरन्त भेज दी जाती है। एक पखवारे में औसतन दो केस हो जाते हैं। धोखा देने का पूरा प्रमाण मिलने पर मामला पुलिस में दे दिया जाता है। एसे मनुष्य की खोज में पुलिस तथा चिकित्सालय के कर्मचारी सतर्क रहते हैं।

औद्योगिक तथ्य जांच समिति की रिपोर्ट

*३७---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक तथ्य जांच समिति ने सरकार के पास अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

*३८---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक तथ्य जांच समिति ने प्रदेशीय सरकार की कर---नीति की निन्दा की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

गाजीपुर जिले के टेक्निकल स्कूल में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की भर्ती

*३९---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के टेक्निकल स्कूल में इस वर्ष कितने लड़के दाखिल किये गये हैं तथा उसके लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस वर्ष गाजीपुर, गवर्नमेंट पालीटेकनीक में ७४ लड़के दाखिल किये गये हैं, इसके लिये ५९४ प्रार्थन-पत्र आये थे।

*४०---श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दाखिल किये गये छात्रों में कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दाखिल किये गये छात्रों में ३३ हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं।

गवर्नमेंट पालीटेक्निक राजकीय बहुउद्योगिक शिक्षा केन्द्र, लखनऊ से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नौकरी

*४१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट पालीटेक्निक राजकीय बहुउद्योगिक शिक्षा केंद्र, लखनऊ में नवयुवकों की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये जो योजना चलाई थी उसके अनुसार कितने छात्र अब तक शिक्षित हो चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस योजना के अन्तर्गत १५३ छात्र शिक्षित किये जा चुके हैं।

*४२--श्री उमाशंकर--क्या सरकार यह बता सकती है कि उक्त योजना के अनुसार जो छात्र उत्तीर्ण हुये हैं उनमें से कितनों को कार्य मिल गया है और कितने अभी बाकी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त योजना के अनुसार उत्तीर्ण हुये छात्रों में से ७५ को काम मिल गया है और शेष बाकी हैं।

*४३--श्री उमाशंकर--क्या सरकार ने उक्त शिक्षित छात्रों को काम में लगाने के लिये कोई निश्चित योजना बनायी है ? यदि हां, तो कौन सी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार उक्त शिक्षित छात्रों को निजी उद्योग खोलने के लिये औजार, मशीनरी तथा आर्थिक सहायता देती है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उद्योग विभाग में नौकरियों के लिये भी प्राथमिकता दी जाती है।

आजमगढ़ जिले में विभिन्न उद्योगों के विकास की योजना

*४४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन क्षेत्रों में किस-किस गृह उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है और वह कब तक लागू हो सकेगी ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--आजमगढ़ जिले में चर्म उद्योग, खादी उद्योग, गुड़ उद्योग तथा तथा करघा को प्रोत्साहन देने के लिये चर्म विकास योजना, खादी विकास योजना, गुड़ विकास योजना तथा औद्योगिक सहकारिता योजना चलाये जाने का आयोजन है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लागू होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न उद्यागों को प्रोत्साहन देने के निमित्त अग्रगामी यंत्रालय योजना, औद्योगिक शिक्षालय योजना, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास योजना तथा प्रावैधिक एवं औद्योगिक शिक्षा योजना को भी इसी योजनाकाल में चलाये जाने का आयोजन है। किस किस क्षेत्र में कौन-कौन सा उद्योग प्रारम्भ किया जाय, इसका निर्णय जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा।

नैनीताल जिले की पहाड़पानी डिस्पेन्सरी में डाक्टर का न होना

*४५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को ज्ञात है कि पहाड़पानी डिसपेन्सरी, जिला नैनीताल के २८ फरवरी, १९५६ को खोले जाने के बाद अभी तक वहां डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है तथा थर्मामीटर, स्टैथसकोप, टिन्चर आइडीन जैसी आवश्यक वस्तुयें एवं दवायें भी वहां नहीं भेजी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१९ मई, १९५६ को पहाड़पानी डिस्पेंसरी के लिये एक डाक्टर नियुक्त किया गया था पर वह डाक्टर वहां उपस्थित नहीं हुआ, अतः ७ सितम्बर, १९५६ को उसका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया।

शीघ्र ही वहां दूसरा डाक्टर भेजा जा रहा है। डिस्पेंसरी में टिन्चर, थर्मामीटर इत्यादि अन्य आवश्यक औषधियां मौजूद हैं।

मेरठ जिले की मोदी चीनी मिल के कार्य का विवरण

*४६--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिला की मोदी चीनी मिल १९५५-५६ में कब चली, कब बन्द हुई और कुल कितना गन्ना इस सीजन में इसने लिया और कितना लेने से बच रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मोदी शुगर मिल सीजन १९५५-५६ में दिनांक २०-११-५५ से चली, दिनांक २६-६-५६ को बन्द हुई और उसने इस सीजन में कुल ४३.४० लाख मन गन्ना खरीदा। जब तक किसानों द्वारा फैक्ट्री को गन्ना मिला, फैक्ट्री चालू रही और इस प्रकार गन्ना बच रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में विधान सभा के कार्य को प्राथमिकता

*४७--श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--क्या यह सत्य है कि ऐशबाग गवर्नमेंट प्रेस मुख्यतः विधान सभा के कार्यों के लिये खोला गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह प्रेस विधान सभा, सचिवालय के विविध विभाग और शासकीय अन्य कार्यों के लिये खोला गया है।

*४८--श्री रामसुमेर--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस प्रेस में अन्य किन विभागों के कार्य छपते हैं ? क्या इन कार्यों में विधान सभा के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रेस में सचिवालय के सभी विभागों के कार्य छपते हैं। इन कार्यों में विधान सभा के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

गोंडा जिले में नियोजन सम्बन्धी कार्य

*४९--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकार द्वारा प्रकाशित नियोजन पुस्तक माला के अनुसार निर्धारित कार्य गोंडा जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पूरे हो गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियोजन पुस्तक माला के अनुसार गोंडा जिले के निर्धारित लक्ष्य तथा प्रगति की महत्वपूर्ण कार्यों की सूची संलग्न है जिसको देखने से यह ज्ञात होगा कि कहां तक उसमें लिखे हुये लक्ष्य की पूर्ति हुई है। इस संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के प्रकोप से यह जिला बराबर पीड़ित रहा है जिससे जनता की आर्थिक दशा खराब रही। फिर भी निर्माण कार्यों में जितना भी सहयोग उनसे प्राप्त हुआ उसके अनुसार कार्यों की पूर्ति हुई।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६३-२६८ पर)

राज्य में खुलने वाले नवीन राष्ट्रीय-प्रसार सेवा खण्ड

*५०--श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अभी और कितने और कहां-कहां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड किन-किन तिथियों में खोलने का विचार सरकार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चालू वित्तीय वर्ष में दो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड उतरौला और बलरामपुर में २ अक्तूबर, १९५६ से खोलने का विचार है।

यूनानी तथा आयुर्वेदिक औषधियों की व्यवस्था

*५१—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या चिकित्सा मंत्री शुद्ध और प्रमाणित यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों की व्यवस्था के लिये हर जिले में सरकारी दवाखाना खोलने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ? अगर नहीं, तो शुद्ध और प्रमाणित औषधियों के मिलने की क्या व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालय सरकार खोल रही है उन सभी औषधालयों में जो दवायें आती हैं वह प्रमाणित होती हैं। या तो यह औषधियां सरकारी निर्माणशाला की बनी रहती हैं या आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों की रसायनशाला से खरीदी जाती हैं।

आगरा मेडिकल कालेज तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल के निर्माण पर व्यय

*५२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सार्वजनिक निर्माण विभाग के आगरा मेडिकल कालेज के लिये जो छात्रालय बनाया है उसका कवर्ड एरिया क्या था और उसमें व्यय कितना हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल मुख्य छात्रालय भवन जो ३ खंड का है, का कवर्ड एरिया ९,६७७ वर्गफुट है। छात्रालय से सम्बन्धित कुछ और भी भवनों का निर्माण हुआ है। जुलाई, १९५६ तक पूरे कार्य पर ४,२६,३९१ रु० ६ आ० ९ पा० व्यय आ है। इस कार्य का पूर्ण हिसाब अभी बन्द नहीं हुआ है।

*५३—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या नियोजन मंत्री यह बतायेंगे कि आगरा मेडिकल कालेज और सरोजनी नायडू अस्पताल के निर्माण के लिये गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य सम्पन्न न होने के कारण व्ययगत हो गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत तीन वर्षों में निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत तथा व्यय हुई :—

वर्ष		स्वीकृत धन रुपयों में	धनराशि जो व्यय हुई रुपयों में
१९५३–५४	..	४,४८,०००	१,३२,७४३
१९५४–५५	..	४,७९,०००	१,२५,४४१
१९५५–५६	..	३,९५,८००	३,६६,९६३

गाजीपुर जिले के नन्दगंज अस्पताल में दवाओं और सामान की कमी की शिकायत

*५४—श्री कमला सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के नन्दगञ्ज अस्पताल में बिल्कुल दवा नहीं है और न चीरफाड़ के औजार ही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर जिले के नन्दगंज अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां तथा चीरफाड़ के औजार मौजूद हैं।

*५५—श्री कमला सिंह—क्या यह सही है कि नन्दगंज अस्पताल की चारपाइयां टूट गई हैं और मरीजों को जमीन पर लिटाया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, नन्दगंज अस्पताल में चार पलंगों का प्रबन्ध है। मरीजों को जमीन पर कभी कभी लिटाया जाता है जब तक कोई पलंग खाली न हो।

गाजीपुर अस्पताल की टी० बी० क्लिनिक

*५६—श्री कमला सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर सदर अस्पताल की टी० बी० क्लिनिक की इमारत कब बनी और उसको कौन-कौन औजार और दवाइयां दी गई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर अस्पताल की टी० बी० क्लिनिक की इमारत अगस्त, १९५५ में बनी। औजारों की सूची संलग्न है। दवाइयां आदि अभी तक इसलिये नहीं खरीदी जा सकीं, क्योंकि यू० पी० टी० बी० एसोसियेशन से अभी तक रुपया नहीं मिला है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६९–२७० पर)

*५७–५९—श्री बलवन्त सिंह—[१४ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०—श्री रामेश्वर लाल—[७ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में सीमेंट का अभाव

*६१—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को पता है कि जिला फर्रुखाबाद में सीमेंट का अभाव जनवरी, १९५६ ई० से चल रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, और जगहों की तरह फर्रुखाबाद में भी सीमेन्ट की कमी है।

*६२—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को पता है कि सीमेंट के अभाव के कारण फर्रुखाबाद जिला मे अनेकों विकास योजना के कार्य रुके तथा अधूरे पड़े हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सीमेंट की कमी का प्रभाव विकास योजनाओं की प्रगति पर भी पड़ा है।

फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ नगर में महिला अस्पताल तथा कमालगंज नगर में पुरुष अस्पताल का न खुल सकना

*६३—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में छिबरामऊ नगर में महिला अस्पताल तथा कमालगंज नगर में पुरुष अस्पताल खोलने की जो योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है उसको कार्यरूप में परिणत करने में देरी किन कारणों से लग रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में महिला चिकित्सालय के लिये भवन निर्माण के लिये सरकारी आदेश पिछले मास में जारी कर दिये गये हैं। इस साल शुरू न हो सकेगा। भवन निर्माण होने पर अस्पताल खोला जायगा।

कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद में एलोपैथिक अस्पताल की १ अक्तूबर, १९५६ से चालू करने की राज्याज्ञा जारी हो गई है।

कपड़ा व सूत के व्यापारियों की लाइसेन्स फीस कम करने के लिए राजाज्ञा

*६४—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि सरकार ने कपड़े व सूत के व्यापारियों की लाइसेंस फीस कम कर देने का निर्णय किया है? यदि हां, तो क्या सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार के लाइसेंस की नई तथा पुरानी दरों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, यह आज्ञा पहली अक्तूबर, १९५६ से लागू हो गयी। भिन्न-भिन्न प्रकार के लाइसेंसों की नई तथा पुरानी दरों की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७१ पर)

*६५—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कमी किये जाने के कारण सरकार को कितनी वित्तीय हानि अनुमानतः होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—करीब चौदह लाख नौ हजार रुपयों की वित्तीय हानि का अनुमान है।

*६६-६८—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[२१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[२१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले के मेहदावल अस्पताल में शैय्याओं की कमी की शिकायत

*७०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मेहदावल अस्पताल (बस्ती) में शैय्याओं की कमी के कारण रोगियों को बड़ा कष्ट है और सरकारी अनुदान स्वीकृत हो जाने पर भी रोगियों के लिये वार्ड नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इस असुविधा को दूर करने के लिये जिला बोर्ड बस्ती १० शैय्याओं का वार्ड बनवाने वाला है। इसके लिये ५,००० रु० का अनुदान सरकार ने भी दिया है। बाढ़ वर्षा के कारण निर्माणकार्य रुका है। जिला बोर्ड को शीघ्र पूर्ण करने के लिये कहा जा रहा है।

तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले प्रोहिबिशन आर्गेनाइजर

*७१—श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त में कितने प्रोहीबिशन आर्गेनाइजर ऐसे हैं जिनकी सर्विस तीन साल से अधिक है ?

श्री गिरधारी लाल—बारह।

*७२-७३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२१ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

ट्रेड मार्क्स योजना पर व्यय

*७४—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या उद्योग मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि बाजार में नकली सामान की बिक्री की रोक-थाम के लिये उत्तर प्रदेशीय उद्योग विभाग द्वारा संचालित ट्रेड मार्क योजना के कार्य संचालन में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ट्रेड मार्क्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में कुल १४,११५ रु० १० आ० ३पा० और १९५६-५७ में अगस्त महीने तक कुल १२,८८४ रु० २ आ० ६ पा० व्यय हुआ।

मेरठ जिले की मुरादनगर-रावली सड़क के निर्माणार्थ मोदी चीनी मिल के गन्ना डेवलपमेंट फंड से सहायता

*७५—श्री तेजा सिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में मुरादनगर रावली रोड के लिये कितना धन मोदी चीनी मिल के गन्ना डेवलपमेंट फंड से मिला है और उस पर कब काम शुरू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस सड़क के लिये मोदी चीनी मिल तथा मोदीनगर केन मिल डेवलपमेंट काउंसिल ने मिलकर ७४,००० रुपया दिया है और आशा की जाती है कि काम शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

राज्य के प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना

*७६--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राज्य के समस्त जिलों के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर्स पर एक-एक महिला चिकित्सालय खोल दिये जाने की कोई योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में उद्योगों के विकास के लिए सहायता

१--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में गत्तापार्चा से खिलौने बनाने तथा अन्य छोटे उद्योगों के लिये किसी को सहायता या कर्ज के रूप में कुछ रुपया दिया गया है ? यदि हां, तो वह किसको-किसको दिया गया है और कितना-कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती जिले में गत्तापार्चा से खिलौने बनाने के लिये उद्योग विभाग को ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत किसी को भी ऋण तथा अनुदान नहीं मिला है।

कुछ अन्य छोटे उद्योगों के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को जितना-जितना ऋण और अनुदान दिये गए हैं उनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २७२ पर)

बरेली जिले में केसर शुगर मिल बहेड़ी द्वारा गेट एरिया का पूरा गन्ना न लेने की शिकायत

२--श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में केसर शुगर मिल, बहेड़ी ने इस साल गेट एरिया का कुल कितना गन्ना पेरा और कितना गन्ना किसानों के खेतों में खड़ा रह गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केसर शुगर मिल बहेड़ी ने सीजन १९५५-५६ में अपने गेट पर कुल ४६.३५ लाख मन गन्ना खरीद कर पेरा। यह मिल, जब तक उसकी आवश्यकतानुसार गन्ना मिलता रहा, बराबर गेट पर खरीद करती रही और लगभग समस्त प्राप्य गन्ने को पेर कर दिनांक ३ जुलाई सन् १९५६ को बन्द हुई। शायद थोड़ा सा गन्ना जो किसानों द्वारा मिल को सप्लाई नहीं किया गया, खेतों में खड़ा रह गया था।

३--श्री नत्थू सिंह--क्या यह सच है कि बहेड़ी के किसानों ने कई बार सीजन के दौरान में केन कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि इस मिल को बाहर का गन्ना देने की कृपा न करें ? यदि हां, तो प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त (क) जी हां, बहेड़ी गेट सोसाइटी क्षेत्र से कुछ प्रार्थना-पत्र केन कमिश्नर को प्राप्त हुये थे जिनमें यह मांग की गयी थी कि बहेड़ी फैक्ट्री को केवल गेट क्षेत्र का गन्ना पेरने को दिया जाये और अन्य क्षेत्रों (विशेषतः) नैनीताल तराई क्षेत्रों का गन्ना अन्य मिलों द्वारा पिरवाने का प्रबन्ध किया जाये।

(ख) केन कमिश्नर ने समय-समय पर बराबर गन्ने की स्थिति को देखते हुये प्रबन्ध किया और जनहित का ध्यान रखते हुये जहां तक सम्भव हो सका बहेड़ी गेट जोन के गन्ने को बहेड़ी मिल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पिरवाने की व्यवस्था की गन्ने की अधिकता के कारण जहां पूरी मात्रा में उपलब्ध गन्ना मिलों द्वारा नहीं पेरा जा सकता है, वहां उन सभी क्षेत्रों का गन्ना जो मिलों को गत वर्षों में गन्ना देते रहे हैं, उचित अनुपात में पिरवाने का प्रबन्ध करना पड़ता है; और यह संभव नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के ही किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये उनको पूरा गन्ना बिकवाया जाये और अन्य क्षेत्रों के किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाये। इसी नीति के आधार पर बहेड़ी गेट क्षेत्र के किसानों की प्रार्थना अनुचित समझी गयी और उसको पूर्णतः स्वीकार करना केन कमिश्नर के लिये संभव न हो सका।

४—श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार आगामी सीजन के लिये ऐसा कोई प्रबन्ध पहिले से करने पर विचार करेगी ताकि किसानों के खेत का गन्ना मिल पर समय से पहुंच सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में आगामी सीजन में जो नीति बर्ती जायगी उस पर विचार हो रहा है जहां गन्ना मिल की पिराई की शक्ति से अधिक उपलब्ध किया जायगा वहां यह आवश्यक हो जायगा कि विभिन्न क्षेत्रों से उचित अनुपात में गन्ना मिल को दिलाने का प्रबन्ध किया जाय, क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता कि एक क्षेत्र के किसान बढ़ी हुई मात्रा में भी अपना गन्ना मिल को बेंचकर समाप्त कर लें और दूसरे क्षेत्र के किसानों का गन्ना खेतों में रह जाये।

लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल, सहारनपुर, के मजदूरों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसेवक जी यादव ने भेजा है। वह इस प्रकार है—

"लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल सहारनपुर के मजदूरों के वेतन में कमी गैर कानूनी ढंग से की जा रही है जिसके विरोधस्वरूप तीन मजदूर ४ दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ३४ मजदूरों को मिल से निकाल दिया गया है और ८ मजदूरों को मुअत्तल कर दिया गया है। उपर्युक्त घटना तथा मिल मालिक के अनुचित व्यवहार के कारण मिल के मजदूरों तथा जनता में असन्तोष और रोष का वातावरण व्याप्त है और विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है।

अतः इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह माननीय श्रम मंत्री जी से संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में उनको कोई आपत्ति है?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—श्रीमन्, इसकी सूचना मुझे ११ बजे ही प्राप्त हुई है इसलिये मुझको इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। इसके अलावा यह विषय सरकार से सम्बन्धित भी नहीं है क्योंकि मिलों में आमतौर पर हड़तालें वगैरह होती रहती हैं, भूख हड़ताल भी समय-समय पर हो जाती है। इसमें जो लिखा है कि कानून के विरुद्ध उनको निकाल दिया गया है तो इसका जरिया तो यही हो सकता है कि औद्योगिक झगड़े के सिलसिले में जो अदालतें बनी हुई हैं वहां पर इस बात का निर्णय हो सकता है। हमारे लिये यह कहना कि उनका निकालना गैर-कानूनी था या नहीं था, मुश्किल होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं यादव जी से जानना चाहता हूं कि आप कैसे समझते हैं कि इसका सम्बन्ध सरकार से है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---श्रीमन्, अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो सम्बन्ध सरकार से है। माननीय मंत्री महोदय के इतना स्वीकार करने के बाद मैं नहीं समझता कि ज्यादा सफाई की कोई जरूरत है। फिर भी माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक तार भी मिला है। आज सुबह साढ़े नौ बजे मैं भी वहीं बैठा हुआ था जब कि श्री राजनारायण जी से फोन पर बातचीत भी हुई। इस तरह से यह एक गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। ३४ आदमियों को निकाला गया है जिसकी वजह से ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति गम्भीर हो सकती है। इससे सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार का सम्बन्ध भी इससे है।

श्री अध्यक्ष---मैंने अभी पूछा कि सरकार से इसका क्या सम्बन्ध है। नियम के अनुसार बेकायदा जब कभी कोई कार्यवाही हो तो अदालतें उसके लिये बनी हुई हैं। ट्रिब्यूनल व कांसिलिएशन अथारिटीज भी मौजूद हैं। तो वे प्रश्न उन्हीं से सम्बन्धित होते हैं। सरकार से प्रत्यक्ष उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं। यह अवैध है।

सदन में वितरणीय साहित्य के हिन्दी में वितरण किये जाने की व्यवस्था की मांग

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। इधर देखने में यह आ रहा है कि जो साहित्य हम लोगों को बंटता है उसमें अंग्रेजी भाषा को ही प्रधानता मिलती है। फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट व प्रक्रिया नियमावली की रिपोर्ट भी हम लोगों को अंग्रेजी में ही मिली है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ भी रहे कि यहां हिन्दी में साहित्य मिलने की जो व्यवस्था है उसी के मुताबिक हिन्दी में ही साहित्य मिले। अंग्रेजी में रिपोर्ट तो पहले मिल जाती है, लेकिन हिन्दी में बहुत बाद को मिलती है।

श्री अध्यक्ष---प्रक्रिया नियमावली के बारे में मैं आपको बतला दूं कि वह प्रक्रिया नियमावली चूंकि हमारे यहां अंग्रेजी में ही स्वीकृत है, इसलिये उसके संशोधन भी अंग्रेजी में ही लाये जायेंगे। जल्दी की वजह से केवल अंग्रेजी में उन्हें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बहुत से संशोधन उसमें हैं। तो उसका हिन्दी में अनुवाद हो रहा है, लेकिन जानकारी के लिये वह अंग्रेजी में पहले भेज दिये गये हैं। दूसरी जो रिपोर्ट है वह इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में है। उसके बारे में सरकार यह बतलावे कि वह अंग्रेजी में क्यों छपी, हिन्दी में क्यों नहीं आयी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---हिन्दी में रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी थी।

श्री अध्यक्ष---तो वह कब तक आ जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह---कल बतला दूंगा कि कब आयेगी।

प्रदेश में बाढ़ एवं भूकम्प सम्बन्धी स्थिति पर सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कुछ दिन पूर्व मैंने एक कामरोको प्रस्ताव प्रदेश की बाढ़ सम्बन्धी स्थिति और भूकम्प सम्बन्धी स्थिति पर विचार

करने के लिये दिया था तो उस समय सरकार की ओर से आश्वासन मिला था कि दो तीन दिन में एक बयान सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जायगा और फिर आपने कहा था कि उस पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि अब सदन दो तीन दिन के लिये उठ रहा है। . . . .

श्री अध्यक्ष—वह कल लिया जायगा। वे आज ही वक्तव्य देना चाहते थे लेकिन आज असरकारी दिन होने की वजह से मैंने उसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। कल के कार्यक्रम में मैंने उसको रख दिया है।

बैठक की तिथियों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, कल भी मैंने प्रश्न किया था और परसों भी, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला कि यह ३ दिन की जो छुट्टी हो रही है. . . . .कल. . .

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी कल थे लेकिन बीच में ही दूसरा प्रश्न उठ गया वह रह गया, अब मैं कल उनको मौका दे दूंगा, कल वह मौजूद होंगे आज वह मौजूद नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश लोक-लेखा समिति में विधान परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीति करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब सभापति लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रस्ताव पर, जो ६ सितम्बर, १९५६ को उपस्थित किया गया, विवाद जारी होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस पर भाषण दे चुका था और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैं भी उस पर कुछ कहूंगा, कुछ माननीय सदस्य भी उस पर बोलना चाहते थे, तो माननीय वित्त मंत्री जी व जो सदस्य बोलने वाले हैं उनको सुन कर मैं फैसला करूंगा कि मैं इसको प्रेस करूं या न करूं।

श्री अब्दुलमुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम २० की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है कि प्राइवेट मेम्बर्स के काम के लिये जो दिन मुकर्रर हो, यदि उस दिन का काम समाप्त न हो तो दूसरे दिन उसी काम को प्राथमिकता प्राप्त होगी। आपकी इजाजत हो तो मैं उस नियम को पढ़ दूं।

"Private Members, business set down for the day allotted for that class of business and not disposed of on that day shall not be set down for any subsequent day, unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day :

Provided that any business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class and shall have precedence over all other business set down for that day."

इसलिये आपसे निवेदन है कि कल जो बिल सदन में चल रहा था उसी को आज प्रिसिडेंस मिलना चाहिये और जो यह पहले का काम बाकी है उसको नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि श्री रामसुमेर जी का प्रस्ताव जो कल चल रहा था उस पर पहले विचार होना चाहिये और इस सभापति लोक लेखा समिति के प्रस्ताव को बाद में लिया जाना चाहिये। बात यह है कि मुझसे बताया गया था कि आज माननीय

श्री अध्यक्ष]

वित्त मंत्री जी यहां आयेंगे और वह इसको स्वीकार कर लेंगे और ५ मिनट में ही इसका झगड़ा खत्म हो जायगा। यह थोड़ा सा नान-आफिशियल भी इस माने में है कि श्री मदन मोहन जी ने इसको पहले रख दिया था। मैं समझता था कि मिसलेनियस विषय की तरह यह शीघ्र तय हो जायगा लेकिन अब इस पर वाद-विवाद होना है तो श्री रामसुमेर जी का ही प्रस्ताव पहले ले लिया जाय।

मैं जानना चाहूंगा ..... वित्त मंत्री जी ने इसे इसलिये स्थगित कराया था कि वह अपनी राय इसके विषय में बना लें। मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी नहीं हैं तो माननीय हुकुम सिंह जी ने शायद उनसे सलाह कर ली होगी। वह अगर अपनी राय प्रकट कर दें तो मैं समझता हूं ५ मिनट में काम हो जायगा।

श्री हुकुम सिंह--अगर उनके आने के वक्त ही यह बात पूछी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है यह बाद में आ जायगा और अभी श्री रामसुमेर जी का प्रस्ताव ही चलेगा।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक प्रश्न अभी उठाया गया था उस पर आपका निर्णय नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष--निर्णय तो हो गया, जो वह चाहते थे मान तो लिया।

श्री राजनारायण--जी नहीं, निर्णय नहीं हुआ, उन्होंने....

श्री अध्यक्ष--इस वक्त मैंने उसको मान लिया, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं नान-आफिशियल डे को चाहूं तो कोई दूसरी कार्यवाही भी रख दूं। अगर सदन का कोई काम हो तो उसके लिये हमेशा प्रिफिरेंस रहेगा जैसे आप बीच-बीच में अनेक विषयों के प्रश्न पूछ लेते हैं। वह विषय एजेंडे पर नहीं रहते लेकिन मैं उनके लिये पहले मौका दे देता हूं, सदन का काम रुक जाता है लेकिन फिर भी मैं इजाजत दे देता हूं। यह मिसलेनियस विषय स्वल्प सा है। कार्यक्रम में शामिल नहीं होता यानी मैंने ऐजेंडे में न रखा होता तो कोई आपत्ति नहीं होती, एजेंडे में रख दिया गया इसलिये यह टेकनिकल आपत्ति सामने आ गई। कार्यक्रम में आने की बात थी। तो उसको दूसरे नम्बर पर एजेंडे में रखना चाहिये था यह बात सही है। इसलिये खाली टेक्निकलटीज पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात तय हो गई है कि वह अभी नहीं लिया जायगा, बाद में कभी लिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी हासिल करना चाहता था कि रामसुमेर जी के प्रस्ताव के बाद कौन सा आइटम लिया जायगा ? यह लिया जायगा या जो कार्यवाही में लिखा हुआ है वह लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--माननीय कृषि मंत्री जी यह उम्मीद करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी शायद इस बीच में आ जायं। अगर वे आ जायं तो ठीक है। वह शायद कुछ अर्से के लिये बाहर जा रहे हैं लिहाजा यह प्रश्न पड़ा न रह जाय इसलिये मैं चाहता हूं कि आज ही किसी वक्त मौका आ जाय तो उसे ले लिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना था कि आपने जैसा कहा कि आप यह आशा करते हैं कि उस पर वाद-विवाद नहीं होगा वैसी बात है नहीं। वह वाद-विवाद का प्रश्न है और हम लोग कुछ इस बात के विरोधी हैं। इसलिये मैं यह सूचना आपको दे देना चाहता था। इस सूचना के प्रकाश में आप जो निर्णय चाहें वह करें।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज गैर सरकारी दिन है। माननीय मदनमोहन जी का जो प्रस्ताव है वह तो सरकार और उनका दोनों का है। गैर सरकारी दिन जो है वह गैर सरकारी प्रस्तावों के लिये है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर उसका विरोध करना है और उसके बाद वाद-विवाद करना है तो आध घंटा भी सम्मिलित कर लिया जाय ताकि जो प्रस्ताव गैर सरकारी आये हैं उनका वक्त ज़ाया न जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर वाद-विवाद होना है तो आज वह नहीं लिया जायगा क्योंकि मुझे यह सूचना मिली थी कि इसको स्वीकार करने में सदन में ५ मिनट भी नहीं लगेंगे, सदन उसे स्वीकार कर लेगा। इसलिए मैंने रख दिया था। अगर इस पर विरोध है तो यह किसी दूसरे दिन रक्खा जायगा, आज नहीं लिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अगर मौका दे दिया जाय तो मैं इस प्रस्ताव को वापस ही ले लूं, क्यों वक्त ज़ाया हो।

श्री अध्यक्ष—इसको मैं इस वक्त लेता भी नहीं। इस वक्त यह विषय आयेगा ही नहीं।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा था जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि मदनमोहन जी का जो प्रस्ताव है वह सरकार का प्रस्ताव है और उनका भी है यानी उन दोनों का है। स्पष्टीकरण के लिये यह जानकारी हासिल करना चाहता था कि विरोधी दल के एक माननीय सदस्य का जो विरोधी दल के उपनेता हैं और सरकार का दोनों का प्रस्ताव एक हो गया यह बात माननीय नेता विरोधी दल के मुखार बिन्दु से निकल रही है...।

श्री अध्यक्ष—इसका स्पष्टीकरण मैं ही दिये देता हूं। इसमें लिखा है "सभापति, लोक लेखा समिति" और जब सभापति, लोक लेखा समिति होगा तो वह सदन की तरफ से नियुक्त व्यक्ति होगा। इस तरह से यह सदन का प्रश्न है, पार्टी का प्रश्न नहीं है। उन्होंने पार्टी की हैसियत से नहीं रक्खा है। लोक-लेखा समिति के सभापति और सरकार के बीच का यह प्रश्न है।

श्री राजनारायण—तब तो सदन ही कहना चाहिये। सरकार का कहना गलत है।

श्री अध्यक्ष—हां, सदन ही कहना चाहिये।

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय (नियुक्ति व सेवा उपबन्ध विनियमन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब श्री रामसुमेर जी के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय (नियुक्ति व सेवा उपबन्ध विनियमन) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा—

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—कल कोई माननीय सदस्य भाषण तो नहीं दे रहे थे?

श्री व्रजभूषण मिश्र—जी नहीं।

---

२७ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† २३ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक मैंने उपस्थित किया था उसके संबंध में जिन माननीय सदस्यों ने सपोर्ट किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ जो इस पर आलोचना की गई है उन आलोचना करने वालों को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उस आलोचना में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि हमारे लिये और प्रजातांत्रिक विकास के लिये बहुत फायदे की बात हो सकती है । अगर उनके अनुसार हम सब काम करें । लेकिन चूंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मुझे कुछ स्पष्टीकरण अवश्य कर देना चाहिये । मैं यह नहीं जानता कि सरकार का रुख अंतिम इस पर क्या होगा । पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ बात कही अवश्य है । लेकिन इस विधेयक के बारे में अंतिम रुख क्या होगा यह संभवतः अभी जो माननीय मिनिस्टर साहब बैठे हैं वह उसके बारे में कुछ निर्णय करेंगे । लेकिन मैं चाहता यह हूं कि इसका निर्णय इस प्रकार से किया जाय कि किसी प्रकार की यह बात न हो जो कि प्रजातंत्र की स्प्रिट के विरुद्ध हो । मैं चाहता हूं कि इसे बहुत ही शांतिपूर्वक समझा जाय और न तो इस लाइट में समझा जाय कि चूंकि यह बिल सरकार की तरफ से नहीं आया और मैंने इसको उपस्थित किया है इसलिये इसका विरोध सरकार करें और न इसका मतलब यह समझा जाय कि चूंकि इसका विरोधी दलों ने अधिक सपोर्ट किया है इसलिये इसका विरोध किया जाय । इस बिल को इस प्रकार से ध्यान में रखा जाय कि यह बिल हर पार्टी का है । न तो कांग्रेस का है, न सोशलिस्ट पार्टी का है न कम्युनिस्ट पार्टी का है । यह प्रजातंत्र को चाहने वालों की जो स्प्रिट मेरे अन्दर हुई उसके हिसाब से मैंने उपस्थित किया था । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार की भावना या इस प्रकार के बिल को लाने का आशय, कुछ ऐसी बातें थीं जिनके कारण मैंने समझा कि इस बिल को ले आऊं । यह सवाल करीब-करीब १९५२ से हमारे सामने है । १९५२ में श्री भगवान सहाय जी ने एक प्रश्न पूछा था इस सेक्रेटरिएट के बारे में । यह है १८ सितम्बर का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नं० ३ । प्रश्न यह था--

"क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा सचिवालय के पुनर्संगठन के संबंध में कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

जवाब दिया था, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने--

"जी हां, विधान सभा और विधान परिषद् सेक्रेटरियटों के पुनर्संगठन का मामला कुछ अर्से से सरकार के विचाराधीन है ।"

उसके बाद फिर सवाल हुआ । उस सवाल में भी यह दोहराया गया कि वह विचाराधीन है और इस पर सरकार विचार कर रही है । यह १५ दिसम्बर, १९५३ का है । उसके बाद सन् ५५ में हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में यह कहा कि हम इसके बारे में रूल्स वगैरह देख रहे हैं, पुनर्संगठन के बारे में देख रहे हैं और जल्दी कोई फैसला कर देंगे । इस प्रकार से अगर देखा जाय तो यह प्रश्न बहुत दिनों से पेंडिंग है । अगर मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया तो मेरे ख्याल से मैंने कोई गुनाह नहीं किया । अगर कोई सरकार अच्छी बात नहीं करती, अगर उसके दिमाग में नहीं आती, अगर मैंने एक प्राइवेट मेम्बर की हैसियत से कर दिया तो क्या दोष है ? मैं समझता हूं कि कोई दोष नहीं । पांच वर्ष का समय व्यतीत हो गया और इस बीच में सरकार ने कोई रूल नहीं बनाया जब कि कांस्टीट्युशन में स्पेशली प्रोवाइडेड है कि असेम्बली जब तक ऐक्ट न बनाये तब तक गवर्नर साहब, स्पीकर साहब और चेयरमैन की सलाह से रूल बना दें । यह प्राविजन है । और यह भी है कांस्टीट्युशन में है कि उसका इफेक्ट वही होगा जो ला का इफेक्ट होता है ।

इस मिनिस्ट्री को पांच साल हो रहे हैं। अगर इस बीच में उसने रूल्स नहीं बनाये और मैंने कर दिया तो बुरा नहीं किया। सरकार को यों ही मान लेना चाहिये। लेकिन शायद सरकार को कुछ परेशानी हो। मैं नहीं जानता कि सरकार की क्या परेशानी है। लेकिन अब उसके बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं कि दो चार बातें ऐसी कही गयी हैं जो साफ होना आवश्यक है। पहली बात तो यह कही गयी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो प्वाइंट्स आफ आर्डर उठाया गया था उस पर आपका जो निश्चय हुआ था उस पर कुछ नहीं कह रहा हूं जो मैंने उसके बारे समझा था उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य ने कांस्टीट्युएशन के आर्टिकल १६ को रेफर किया था और माननीय शिवनारायण जी ने भी किया था आर्टिकिल १६ और १३(२) को।

मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद १६ और १३ को देखने के पहले कांस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की जनरल चीज को जरूर देखना चाहिये और उस कांस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल की बात देखनी चाहिये कि उसका आशय क्या है। सिर्फ १६ और १३ कह देने से ही काम नहीं चल जाता। बल्कि उसके साथ १२,१३,१४, १५ सब आर्टिकिल्स को देखने की आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारे कांस्टीट्यूशन ने भी कई किस्म का डिफरेनसियेशन किया है। कुछ धारा हमारी ऐसी हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स पर लागू होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नौन सिटीजन्स और सिटीजन्स दोनों के ऊपर लागू होती हैं। धारा १६ और १५ सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होती हैं। तो सर्विसेज के बारे में संदेह यह था कि उसमें किसी किस्म का भेद होगा। उसमें यह है कि बराबर सबको अपौर्चुनिटी होगी। उसके बारे में यह नहीं है कि स्पीकर साहब को कोई ऐसी पावर दी जा रही है कि वह डिस्क्रीमिनेशन करेंगे। विभेद का मतलब यह है कि जो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पढ़कर सुनाऊंगा। विभेद का मतलब यह होता है कि सिटीजन सिटीजन में विभेद न किया जाय। लेकिन अगर कोई किस्म की वह क्लास बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में कहीं भी किया जा सकता है, इसके बारे में कोई बार नहीं है। अगर सब आदमी बराबर की क्वालिफिकेशन के हैं और उसमें कोई आदमी किसी खास विषय का स्पेशलिस्ट है तो इसका मतलब यह नहीं है वह सब बराबर माने जायं स्पेशलिस्ट को स्पष्ट किया जा सकता है। उसके बारे में मैं चाहूंगा कि मैं सुप्रीमकोर्ट का फैसला सुना दूं। माननीय सदस्य और गवर्नमेंट की तरफ वाले उसको सुन लें। रिफरेंस है केस का--

"(Venkataraman V. State of Madras, A.I.R., 1951 S.C. 229 : (1951) S.C.J. 318)."

मद्रास गवर्नमेंट के एक कम्युनल जी० ओ० के विरुद्ध पेटीशन हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है, मैं शार्ट में बता देना चाहता हूं

"His (the Petitioner's) ineligibility for any of the posts reserved for the other communities (other than Harijans and backward Hindus), although he may have far better qualification than those possessed by members falling within those categories, is brought about only because he is a Brahmin and does not belong to any of those categories. This ineligibility created by the Communal G.O. does not appear to us to be sanctioned by Cl. (4) of Art 16 and it is an infringement of the fundamental right guaranteed to the petitioner as an individual citizen under Art. 61 (1) and (2). The Communal G.O., in our opinion, is repugnant to the provisions of Art 16 and is as such void and illegal."

तो यह विधेयक जो है यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ पड़ता ही नहीं, कोई विभेद का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं मैंने माननीय सदस्य से यह कहा था कि जब खंड का विचार हो तब उसके ऊपर विचार हो सकता है कि वैध है या अवैध है। मैंने धेयक को वैध करार दे दिया। तो आपको जनरल डिस्कशन में इसका जवाब

[श्री अध्यक्ष]

देने की आवश्यकता नहीं है। जब खंड पर आपत्ति करें तो आप जवाब दे सकते हैं। औरों के बारे में भी और लोगों ने कुछ कहा है। तो सबका जवाब देने की आपको यहां इस वक्त जरूरत नहीं है।

श्री रामसुमेर---तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की कोई चीज इस विधेयक में नहीं है या स्पीकर साहब को कोई ऐसी पावर नहीं देता है यह विधेयक जिस पर कोई सन्देह हो।

दूसरी चीज जो कही गई थी वह कमीशन और मुख्य मंत्री जी ने गवर्नर की पावर के बारे में कही थी। मैं उस एतराज को भी चाहता हूं वह स्पष्ट हो जाय ताकि किसी किस्म का सन्देह हमारे भीतर न रह जाय कि हमने कोई ऐसी बात कही थी जो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाती है। मैं कमीशन के बारे में, श्रीमन्, निवेदन कर देना चाहता हूं कि कमीशन को जो कंसल्ट करने की बात है उसमें उसको किस प्रकार से कंसल्ट किया जाता है, जो कि ३२० आर्टिकिल के भीतर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आब्जेक्शन किया था। उसके बारे में मैं कांस्टीट्यूशन की कमेंट्री से कुछ चीजें पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है---

"So, the Public Service Commission shall merely give its opinion to the President or the Governor or Rajpramukh (as the case may be), and it will not be obligatory upon the latter to accept that opinion or recommendation."

इसी प्रकार से एक फैसला भी हुआ था मुन्नालाल वर्सेस हैराल्ड स्कोट उसमें यह कहा गया था---

"Even though it was not obligatory upon the Government to accept the advice of the Commission."

तो इस प्रकार से सन्देह यह हुआ था कि कमीशन जब कोई चीज रिकमेंड करेगा तो यह बड़ी रिडिकुलस पोजीशन होगी अगर स्पीकर साहब उसको न मानें। मगर यह बात नहीं है। आज भी गवर्नमेंट बहुत से मामलों में कमीशन की रेकमेंडेशन को नहीं मानती। तो इस प्रकार से स्पीकर को कोई पावर ऐसी नहीं दी गयी थी जिससे कोई गलत बात हुई हो। इसमें हमने गलत बात कौन सी कह दी थी। तो इसको अगर देखा जाय श्रीमन्, तो न कोई कमीशन की बात थी और न कोई ऐसी बात थी जो इलीगल मानी जा सकती थी और न कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट या उसके स्पेसिफिक प्राविजन्स के खिलाफ कोई बात मैंने रखी थी। लेकिन चूंकि सन्देह था इसलिये मैंने उसको साफ कर दिया। दूसरी बात गवर्नर साहब के बारे में कही गई थी कि शायद गवर्नर साहब के बारे में पावर अगर हम कोई ऐसी रख दें कि डाइरेक्ट एप्वाइंटमेंट हो या किसी मेम्बर को कमीशन में भेजा जाय तो गवर्नर की पावर के ऊपर हम आघात करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें ३२० को पढ़ा जाय कि जिस क्लाज को स्पेसिफाई कर देंगे गवर्नर साहब कि इसमें कंसल्ट न किया जाय कमीशन को उसमें नहीं किया जायगा। तो उसके कुछ स्पेसिफिक प्राविजंस हैं। वैसे ही प्राविजंस हमने इसमें भी कर दिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ हो। दूसरे गवर्नर की ड्यूटी के बारे में मैं डाक्टर अम्बेदकर की स्पीच को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है ड्यूटी के बारे में कि---

"In relation to the Ministry, the Governor shall have a two fold duty. One is that he has to retain the Ministry in office because the Ministry is to hold office during his pleasure. The second duty is to advise the Ministry and suggest an alternate method of dealing with a problem and ask them for reconsideration of decisions."

दूसरी चीज उसके फंक्शंस के बारे में है—

"The function of the Governor shall be to lubricate the machinery of Government, to see that all the wheels are going well by reason not of his interference, but of his friendly intervention."

इसी प्रकार से कमीशन के बारे में सन्देह यह हुआ था कि गवर्नर के डिस्क्रीशन की बात उसमें है। लेकिन उस डिस्क्रीशन के बारे में श्रीमन्, बहुत ही साफ इस कमेंट्री में लिखा हुआ है। मैं उसको चाहता हूं कि वह भी साफ हो जाय ताकि कोई ऐसी चीज सन्देह की बात न रहे कि हम किसी के अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं। उसमें लिखा है डिस्क्रीशन के बारे में कि—

"All this reproduction of the provisions of the Government of India Act, 1935, is, however, not of much value, for the Constitution (as finally passed) requires very little function to be exercised by the Governor in his discretion.....

So, no Governor other than that of Assam has any authority to act in his discretion in any matter and the discretionary authority of the Governor of Assam is also limited to the above matters only."

तो इस प्रकार श्रीमन्, डिस्क्रीशन के बारे में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। इसलिए हमने जो रखा था वह बिल्कुल कांस्टीट्यूशनल था और कोई प्राविजन ऐसा मैंने नहीं रखा था जो कि कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध हो।

अब रही बात इसकी कि इसमें अर्जेंसी क्या है? श्रीमन्, 'अर्जेन्सी' की डेफिनीशन क्या की जाय? जो चीज मुझे अर्जेंट है, वह शायद गवर्नमेंट को अर्जेंट न हो। जो हाउस को अर्जेंट हो वह गवर्नमेंट को अर्जेंट न मालूम दे। जो गवर्नमेंट को अर्जेंट मालूम हो वह हम लोगों को न अर्जेंट हो। लेकिन एक चीज अर्जेंट होती है जिसको कि लोग मानते हैं किसी एक रिलेशन में। इस माने में कि यह एलेक्शन होने वाला है। हम डिजाल्व हो जायंगे। कोई ऐसी चीज हमने नहीं की जो कि डेमाक्रेसी का एक अंश होती और उसको हमने पूरा नहीं किया। तो अर्जेन्ट क्या यह नहीं है? इसकी अर्जेंसी यह नहीं है कि जब हरिजन मन्दिर प्रवेश डिक्लेरेशन राइट्स जो कि एक सेक्शन के बारे में था वह अर्जेंट हो सकता है तो पूरे प्राविंस के लिए जो है वह अर्जेंट नहीं है? बहुत से केसेज ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न थे डिपार्टमेंट के और स्पीकर साहब के, लेकिन मुझे लिखने का अधिकार नहीं है। परेशानी है, जिसे गवर्नमेंट भी महसूस करती है और सम्भव है हमारे स्पीकर साहब भी महसूस करते हों, लिखने की आवश्यकता नहीं है और वह परेशानी तभी दूर हो सकती है जब कि एक अलग सेक्रेटेरियट हो। इसलिए इसकी अर्जेंसी के बारे में रिटिन इसलिए नहीं है कि शब्द जो हैं वह ला के हिसाब से रखा जाता है। उसके स्पेसिफिक केस के बारे में लिखा नहीं जा सकता है। श्रीमन्, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इसको आप भी समझते हैं और सरकार भी समझती है और माननीय सदस्य भी समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है?

इसी प्रकार बजेटिंग के बारे में तो आदेश दिया गया था कि बजट का सिस्टम क्या हो। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आज हम स्पीकर और उनकी जो एप्वाइंटेड आथरिटीज हैं उनके बारे में हाउस में डिस्कशन करते हैं या नहीं करते? हम

[श्री राम सुमेर]

नहीं कर सकते। तो हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया कि वह जिम्मेदार नहीं है, आज हाउस के अन्दर हम उस पर बहस नहीं करते। आज भी जो चीजें होती हैं जैसे मैंने सवाल किया था तो स्पीकर साहब ने मुझे चेम्बर में बुला करके सेक्रेटरी के जरिये से इनफार्मेशन दिया, हाउस में नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आज भी नहीं करते। अगर उसको रूल में प्रोवाइड कर दिया तो उसमें कौन सी बुरी बात है? मान्यवर, हमारा यह प्रेशन आफ हो रहा है। मेरी यह इच्छा थी कि हम डेमोक्रेसी के अध्याय में एक चीज जोड़ दें जिससे आने वाले लोग हमको आदर्श मानें। अगर माननीय सदस्य पसन्द नहीं करते तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर हाउस रिजेक्ट करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

एक बात जो नवल किशोर जी ने कही थी कि अगर इस बिल में डिफेक्ट है तो उसे सिलेक्ट कमेटी को रिफर कर दिया जाय, तो मैं इसको अवश्यक समझता अगर सरकार इच्छुक होती। मगर सरकार इच्छुक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि हमारे सामने कुछ परेशानी है। तो अगर हाउस के अन्दर उनके एश्योरेंसेज को देखा जाय तो यह कभी तो पास होगा ही, लेकिन जो नवलकिशोर जी का सजेश्चन था वह बहुत उचित था और इसको मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। दूसरी बात संभवतः नौरंगलाल जी ने कही थी कि हम दोनों चीजों को अपोज करते हैं। मेरे दिमाग में कोई बात आई नहीं। उन्होंने कहा था कि सिलेक्ट कमेटी में जाकर भी शायद यह ठीक होगा नहीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में कोई बिल उसी वक्त रेफर होता है जब उसके उसूल हम मान लेते हैं। अगर हम उसूल को नहीं मानते हैं तो उसे सिलेक्ट कमेटी नहीं भेजते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम उसूल मान लें तो फिर कौन सी ऐसी बात है जिसको आप तरमीम नहीं कर सकते हैं जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि तरमीम की गुंजाइश नहीं है। मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। आप दस बातें और इसमें जोड़ सकते हैं, सब बातें निकाल सकते हैं, उसूल रहना चाहिये। उसूल मान लेने के बाद जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि तभी वह सिलेक्ट कमेटी में रिफर होता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कांस्टीट्यूशन के द्वारा अल्ट्रावायर्स हो सकती है या सरकार के विरुद्ध यह चीज थी बल्कि स्पीकर के कार्यालय के काम को अच्छी तरह से संचालन करने के लिये और कंट्रोल करने के संबंध में यह चीज थी, जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क में होनी चाहिये और सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिये।

लोगों ने यह कहा कि रामसुमेर जी इसको वापस ले लें तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। अगर हम इंगलैण्ड का कांस्टीट्यूशन देखें तो यह पायेंगे कि हर एक आदमी के अन्दर एक अर्ज था और जहां कि हम बहुत तारीफ करते हैं। इंगलैंड के हर एक छोटे-बड़े आदमी ने डेमोक्रेसी के लिये कंट्रीब्यूट किया और जब वापस होने की बात आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने समझ लिया कि अभी कुछ दिन लगेंगे इस ट्रेडीशन को अपने मुल्क के कायम करने के लिये। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और गवर्नमेंट की बात जानना चाहता हूं, इसके बाद मैं कहूंगा।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर कई रोज से काफी बहस हुई। हमारे तमाम साथियों ने इसके हर पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश की और मुख्य मंत्री जी ने भी इस विधेयक के सिलसिले में शुरू में अपने विचार कुछ हद तक व्यक्त किये। कल से तमाम बातों को इस सदन में बैठकर सुन रहा हूं और हर माननीय सदस्य की बात समझने की चेष्टा कर रहा हूं। आज मैंने अपने मित्र रामसुमेर जी का भी व्याख्यान सुना। अभाग्यवश मुझे उनके प्रथम व्याख्यान को सुनने का मौका नहीं मिला।

आज उन्होंने कुछ बातें दुहराई। उनके दिल में ऐसा शक मालूम होता है, चूंकि यह विधेयक सरकार की तरफ से नहीं आया है, उन्होंने पेश किया है और अपोजीशन के तमाम साथियों ने इसकी ताईद की है, इस वजह से सरकार इसको मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं अपने मित्र से यह नम्रता के साथ कह देना चाहता हूं कि सरकार का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा है। रामसुमेर जी तो अपने दल के हैं और दल के विशेष व्यक्तियों में से एक हैं। अगर विरोधी दल के किसी भाई की तरफ से भी उचित बात आये तो सरकार हमेशा उसको स्वीकार करने के लिये तैयार रहती है। लिहाजा मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो ऐसा भ्रम हमारे माननीय मित्र के दिल में है उसको वह निकालने की कोशिश करें।

दूसरी बात हमारे मित्र ने यह भी कही कि बहुत अर्सा हो गया था और सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा यदि हमने सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि इस विधेयक को पास करें तो कोई कसूर नहीं किया। यह फिर हमारे मित्र की एक ऐसी भावना है जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं तो सरकार और अपनी तरफ से अपने मित्र रामसुमेर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हालांकि गैर जरूरी था लेकिन फिर भी सरकार की तवज्जेह दिलाने की कोशिश की। सरकार उनके इस कार्यवाही से प्रसन्न है न कि अप्रसन्न। ऐसा खयाल उनको नहीं करना चाहिये।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जैसा मैंने शुरू में कहा, इस सिलसिले में बहुत से व्याख्यान हुये और बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गयीं। उनका जवाब देने की न तो मुझे इजाजत मिलेगी और न मैं प्रयास करूंगा जवाब देने के लिये। वह बातें ऐसी हैं जिनका इससे कोई सम्बन्ध न था, लिहाजा उनका जवाब देने की जरूरत नहीं। जहां तक आर्टिकिल १८७ का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसके आधार पर इस सदन को पूरा-पूरा अधिकार है कि एक विधेयक इस सम्बन्ध में लाये। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जैसा मैंने कहा, सरकार भी इस बात में किसी से पीछे नहीं है कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति के अख्तियारात काफी विस्तृत किये जायं। लेकिन सरकार यह अवश्य चाहती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वाकई तौर से करें। आधे दिल से कोई काम करना न करने से बदतर होता है।

हमारे मित्र रामसुमेरजी, बड़े सुयोग्य, विद्वान, बड़े कारीगर--आर्कीटेक्ट के सेन्स में मैं कहता हूं--लेकिन उन्होंने जो मूर्ति इस बिल की बना कर सदन के सामने पेश की उसको देखकर मैं तो बड़ा दंग सा रह गया कि ऐसे सुन्दर आर्किटेक्ट के हाथ से ऐसी बदशक्ल मूर्ति बनायी गयी। बकौल मेरे मित्र के वह मूर्ति ऐसी बेडौल है कि भरसक प्रयत्न किया जाय कभी सुडौल हो नहीं सकती। कमी नहीं है ऐसों की, जिन्होंने इसकी खामियों को महसूस किया हो। हमारे वयोवृद्ध और बड़े पुराने, अनुभवी साथी भाई पालीवाल जी ने भी इसको सोचा और मैं समझता हूं कि उनका यह प्रस्ताव कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय इस बात का द्योतक है कि इस बिल में बड़ी खराबियां हैं, इसे दूसरे कारीगरों के पास भेजा जाय, ताकि इसकी खराबियों को दूर करके इसे सुडौल बनाया जाय। लेकिन.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय--हर बिल का सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने से यही मतलब समझा जाता है।

श्री हुकुमसिंह--जी नहीं, सबसे नहीं। कुछ में तो जरा से ब्रुश से काम बन जाता है और किसी को जड़ से काटना पड़ता है। लिहाजा हर चीज सिलेक्ट कमेटी में बन ही नहीं सकती। यह मूर्ति वैसी ही बनी हुई है। इस मूर्ति की जब वे नाक बनाने लगे तो नाक पर ऐसी सख्त छेनी लग गई कि उस नाक की जड़ तक कट गई। अब उस जगह के लिये कोई ऐसा मैटीरियल मावेलेबिल नहीं है जो सिलेक्ट कमेटी उसे अच्छी तरह नाक बना दे।

एक सदस्य--आर्टिफिशियल लगा दी जाय।

श्री हुकुमसिंह--आर्टिफिशियल लगाना बहुत निकम्मी चीज होगी। हम तो असलियत में यकीन करने वाले हैं।

मैं इस वक्त डिटेल में जाना नहीं चाहता। नियम भी हमको मजबूर करता है वह स्टेज तो दूसरी होती है जब डिटेल्स में जा सकते हैं लेकिन हम इस समय जेनरल प्राविजन्स को भी डिसकस कर सकते हैं। जिन उसूलों पर यह बिल आधारित है उससे जेनरल प्राविजन्स का क्या सम्बन्ध है इसको हम जेनरल डिस्कसन में डिसकस कर सकते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे माननीय अध्यक्ष तथा सभापति के अधिकार पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिये जिस तरह से सुचारु रूप से सेक्रेटेरियट का काम चल सके उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिये। हमारे मित्र ने जो मौजूदा बिल में धारा ३ रखी है उसमें कह दिया कि जितनी जगहें मौजूद हैं जो काडर हैं वही रहेंगे और अगर कोई बढ़ाना हो तो फाइनेंस कमेटी से कंसल्ट करके तब बढ़ायें। मूर्ति की नाक यही है। जब हमारे माननीय अध्यक्ष और सभापति को इतना भी अधिकार नहीं होगा कि जिस हद तक वे चाहें अपने सेक्रेटेरियट के काडर को बढ़ा सकें तो यहीं पर उनके अख्तियारात को नियंत्रित कर देते हैं और इससे जो लाभ होने की आशा की जाती है उस पर यहीं पानी पड़ जाता है। मैं भी नियंत्रित अख्तियारात देने में यकीन नहीं करता। वाकई में विषय बड़ा गूढ़ और बड़ा डेलीकेट है और मेरे ऐसे आदमी के लिये इस विषय पर विस्तार के साथ कोई बात करना जरा दिक्कत की बात मालूम होती है। कोई माहिर भले ही काट-छांट करके अपना रास्ता निकाले, मैं तो सीधी बात कहने वाला हूं। तो यह प्राविजन जिस शक्ल में रखा गया है बिल्कुल गलत और नाकाफी है और इसका बिल काबिल नहीं है कि इस विधेयक में रखा जाय और इसकी वजह से यह विधेयक इस काबिल नहीं है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजें और तमाम वक्त माननीय सदस्यों का सर्फ हो। इस तरह से यह नामुकम्मिल है जो किसी तरह से मुकम्मिल नहीं किया जा सकता।

जहां तक फाइनेन्स कमेटी से कन्सल्ट करने की बात है, इसके बड़े इम्प्लीकेशन्स इसमें आयेंगे। यह जो नियंत्रण रखा गया है कि मौजूदा काडर ही रहे बाकी फाइनेन्स डिपार्टमेंट से मशविरा करके बढ़ायें। इसको हम कैसे रख सकते हैं। यह भी वाकई में बड़ा गूढ़ प्रश्न है। इस पर भी विचार होना है।

हमारे मित्र ने कई नजीरों और आर्टिकिलों का हवाला दिया। बाज वक्त मुझे भी भ्रम होता है कि कहीं दिक्कतें बढ़ न जायं। मुझे उनकी नजरों को सुनने में कुछ दिक्कत भी हुई, मगर फिर भी मफहूम समझने की कोशिश की और उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने जो नजीरें पेश कीं उनका इस बिल से जरा भी संबंध नहीं है। खैर, ऐसी बातें तो बहुत सी हैं जिनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है तो उस फेहरिस्त में यह भी एक इजाफा सही। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि संविधान के आर्टिकिल ३१६, ३१८ और ३२० से क्लेश करती हैं। इस बिल के क्लाज ४ और ५ मेन क्लाजेज हैं। एक जगह कहा गया कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति यह तय करेंगे कि किन मामलों में पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट किया जाय और किनमें नहीं। संविधान में लिखा है कि यह बात महज गवर्नर ही तय कर सकता है। तो अगर हम ऐसा प्राविजन रखते हैं तो संविधान के प्राविजन का कंट्रावेंशन होता है। एक जगह यह कहा गया है कि अगर कोई मसला पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा जाय तो माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति अपना एक प्रतिनिधि वहां भेजेंगे और उसके वही अधिकार होंगे कि जो कि अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के हैं। संविधान में लिखा है कि चेयरमैन ऐण्ड मेम्बर्स आफ दि पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर तैनात करेगा। तो उधर गवर्नर को उनकी तैनाती का अधिकार और इधर हम अधिकार देते हैं माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति को एक नुमाइन्दा भेजने का उन्हीं अधिकारों के साथ जो कि उन लोगों के हैं। इसके अलावा भी उसमें कुछ शर्तें और हैं कि आधे मेम्बर कमीशन से कम से कम ऐसे होने चाहिये कि जो गवनमेंट सर्विस में रहे हों और उनको कुछ साल का तजुर्बा रहा हो। अगर आपका एक नुमाइन्दा जाता है

वही अधिकार ले करके, तो वह आधे से कम हो जाते हैं। तो इससे कमीशन के कांस्टीट्यूशन को भी धक्का पहुंचता है। इसी तरह से उस प्राविजन को धक्का पहुंचता है। अगर यह सब प्राविजन निकाल दिये जायं तो भी काम नहीं बनता। धारा ६ जो रखी गयी है वह भी धारा ५ से क्लैश करती है। एक जगह कहा जाता है कि सेक्रेटरी की तैनाती गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ स्पीकर ऐण्ड चेयरमैन करेंगे और एक जगह पावर दी जाती है कि पूरी पावर हमारे माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति को रहेगी। वह पावर इतनी जनरल है कि उसमें सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। तो यह दोनों एक दूसरे से मुतजाद होते हैं, क्लैश करते हैं। अगर यह क्लाजेज ३, ४, ५ और ६ निकाल दिये जायं तो रह क्या जाता है? महज प्रियेम्बिल और डेफिनीशन का क्लाज रह जाता है और सारी दफात खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा बिल जो संविधान से इस तरह से क्लैश करता हो आप सोचें कि उसका नतीजा क्या होगा अगर पास होगा। अगर उन दफात को निकाल कर हम देखें तो बिल की जो सूरत रह जाती है उससे बिल कहना सर्वथा गलत होगा। जो उद्देश्य हमारे माननीय मित्र रामसुमेर जी का है, इसको पास कराने से है वह पूरा नहीं होता। मैं इसमें उनसे बिलकुल सहमत हूं कि जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति होनी चाहिये और उसकी पूर्ति करने में किसी को आड़ या दरेग नहीं है। मैं उनकी इत्तला को लिये कहना चाहता हूं और हमारे सभी मित्र जानते हैं कि आर्टिकिल १८७ हमारे स्टेट के लिये है और आर्टिकिल ९८ सेंट्रल पार्लियामेंट के लिये है। दोनों के बिलकुल एक ही अल्फाज हैं जिसके आधार पर पार्लियामेंट को ऐसा कानून लाने का अधिकार है लेकिन अभी तक वह नहीं लायी और वह इस वजह से नहीं लाये कि वह करना नहीं चाहते बल्कि इस वजह से काम, वह देखते हैं, कि ठीक चल रहा है। बिना किसी दिक्कत के काम चल रहा है। वहां पर नियम बना रखे हैं जिनकी वजह से काम में कोई रुकावट नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया।

जहां तक और स्टेट्स का संबंध है मेरी जानकारी में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो अभी तक ऐसा बिल लायी हो। जहां तक हमारी इस स्टेट का संबंध है मैं अपने मित्र का आभारी हूं कि यह बिल लाकर उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी दी।

श्री राजनारायण--मद्रास में ऐसा है।

श्री हुकुम सिंह--मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तो जैसा मैंने कहा कि जहां तक हमारे राज्य का संबंध है शायद हमारे मित्र को मालूम होगा या मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति के मशविरे से कुछ रूल्स बनाये गये हैं। उनमें से कुछ लागू भी कर दिये गये हैं जैसा कि आर्टिकिल १८७ में दिया हुआ है। कुल रूल्स पर सरकार विचार कर रही है और वह देखे जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि इनमें से कुछ रूल्स को ट्रायल दे और ट्रायल देकर देखे कि हमारा काम चलता है या नहीं। अगर काम नहीं चलता है तो सरकार जरूर विधेयक लायेगी। यह सरकार किसी तरह से उदासीन नहीं है। रूल्स एक्जामिन किये जा रहे हैं लेकिन बड़े काम में बड़ा वक्त लगता है। इस वजह से अगर देर हुई तो इसके माने यह नहीं है कि इसको हम करना नहीं चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह--अपनी उमर के बाद करे तो क्या हर्ज है?

श्री हुकुम सिंह--आपकी उमर तो रहेगी। चाहे हम करें या आप करें यह तो एक ही बात है। इस बात की बहुत आवाज लगायी गयी कि हमारे सामने ही यह हो जाना चाहिये, क्योंकि प्रजातांत्रिक पद्धति का यह एक पहला नमूना है और अगर हमने नहीं किया तो इससे इस सदन में और संसार में बड़ी बदनामी होने की आशंका है। इस तरह की बात कही गयी। कुछ श्राप भी देने की कोशिश की गयी, लेकिन मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इस बहस से बड़ा चकित हुआ। हां, रोजमर्रा यह सदन बैठता रहता है और हर तरह के कानून पास करता रहता है। सुबह से ११ बजे से १२ बजे तक सवालात भी किये

[श्री हुकुम सिंह]

जाते हैं और जवाब भी उनके होते हैं और मिनिस्ट्रान उन सब का जवाब देते हैं। अगर यह प्रजातंत्र पद्धति नहीं है तो क्या है? जमींदारी एबालिशन का कानून यहां से पास हुआ और दुनिया भर के कानून यहां से पास हुये यह प्रजातंत्र पद्धति का नमूना नहीं है तो क्या है? १८७ आर्टिकिल के मुताबिक जब तक बिल न लाया जाय तब तक प्रजातंत्र पद्धति को फालो नहीं करेंगे यह समझ में नहीं आया। जो बातें हम कर रहे हैं प्रजातंत्र की पद्धति के बारे में वह इसी प्रकार की हुआ करती हैं और होती आयी हैं। अगर बहुत ज्यादा और बड़े-बड़े काम हैं जो हमको और आपको करने हैं गेंदा सिंह जी कहते हैं कि वे काम अभी हो जायं। यह शायद इस उसूल में यक़ीन रखते हैं कि अगर हम बाग लगायें तो उसके फल हम ही खायें। बाग लगाने वाले को बहुत कम मौका फल खाने को मिलता है और बाज वक्त अगर कलमी बाग न लगाया और तुख्मी पेड़ लगाये तो फिर लड़कों को भी नहीं बल्कि पोतों को खाने को मिलेंगे। लिहाजा दुनिया में बहुत सी बातें हैं जो उजलत करने से गड़बड़ हो सकती हैं। हम कहते हैं कि वह इतने निराश क्यों हैं? हम नहीं आवेंगे तो कोई दूसरा आवेगा। हम तो इतने निराशावादी हैं नहीं। हमको तो पूरी आशा है कि रामसुमेरजी और गेंदासिंह जी भी आवेंगे। लेकिन अगर उनके दिल में चोर है तो उसे वही समझ सकते हैं। इसलिये जब हम और आप आवेंगे तो जो काम बाकी रहेगा उसे करेंगे, क्योंकि सारी जिन्दगी काम ही करना है? जितने काम दुनिया में हैं वे सब पूरे भी नहीं हो सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में जाने से इस बिल की खामियां दूर नहीं हो सकती हैं। इसलिये मैं सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपने मित्र रामसुमेर जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को वह वापस ले लें और सरकार को अपना प्रयोग करने दें। उसके बाद अगर सरकार को जरूरत महसूस हुई तो वह जरूर विधेयक लावेगी और कोई कमी है तो उसे पूरा करने की चेष्टा करेगी।

श्री रामसुमेर--मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए लिखित विभाजन में चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब अन्य विधेयकों के लिये हमने लिखित विभाजन में समय खर्च नहीं किया तो इसके लिये कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७०,
विपक्ष में--१२।)

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों के निषेधार्थ विधेयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेशीय सरकार शीघ्र विधान सभा में एक विधेयक उपस्थित करे कि जिसके अनुसार समस्त प्रदेश में १ अप्रैल, १९५८ तक स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद सभी मादक द्रव्यों का सेवन केवल औषधि हेतु प्रयोग को छोड़कर पूर्णतया निषिद्ध हो जाय।

मान्यवर, हमारे संविधान के आर्टिकिल ४७ का यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि मद्यनिषेध पूरे देश में लागू किया जाय। उसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर आल इंडिया

कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी ने अप्रैल, ५४ में एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया कि प्लानिंग कमीशन को इस विषय पर विचार करने के लिये कहा जाय ताकि वह वस्तुस्थिति को देखकर ऐसी सिफारिश करे.....

श्री अध्यक्ष—इसमें शब्दावली यह है कि "स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद सभी मादक द्रव्यों का सेवन केवल औषधि हेतु प्रयोग को छोड़ कर पूर्णतया निषिद्ध हो जाय।"

क्योंकि यह हो सकता है कि डाल्डा जिस प्रकार से हानिप्रद नहीं समझा जाता है उसी प्रकार शराब भी हानिप्रद न समझी जाय, ऐसा भी कहा जा सकता है और डाक्टरों के कहने से उसका प्रयोग भी हो सकता है तो आपका मतलब इस शब्दावली से क्या है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—स्वास्थ्य के लिये डाक्टरों के कहने से इजाजत दी जा सकती है।

इसी वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार प्लानिंग कमीशन के पास यह मसला भेजा गया और प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी १९ दिसम्बर, १९५४ को बैठाई, जिस कमेटी के चेयरमैन श्रीमन्नारायण जी अग्रवाल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टोटल प्रोहीबिशन लागू करने की सिफारिश की और यह भी कहा कि १ अप्रैल, १९५८ तक पूरा मद्य निषेध किया जाना चाहिये।

बहुत सी बातों में हमें अपने प्रदेश पर गर्व है। जैसा कि जमींदारी एबालीशन बिल हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम बनाया गया। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश के गांवों में पंचायत राज्य की स्थापना के लिये सबसे पहले कदम उठाया गया, लेकिन जहां तक मादक द्रव्यों के निषेध की बात है बावजूद संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल के, बावजूद प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के हमें उस ओर जो कदम उठाना चाहिये था, वह नहीं उठाया। बाम्बे की स्टेट ने कांस्टीटयूशन के बन जाने के ३ महीने के अन्दर ही टोटल प्रोहीबीशन लागू कर दिया और जिसका इनआगरेशन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने ६ अप्रैल सन् ५० को कर दिया। बाम्बे में इस एक्साइज डियूटी से ९ करोड़ ७४ लाख रुपये की आमदनी होती थी, सन् १९४६-४७ में। इतनी बड़ी आमदनी को छोड़कर बाम्बे गवर्नमेंट ने एक सिद्धान्त के आधार पर, महात्मा गांधी के कदम पर चलते हुए और संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, पूरा का पूरा अमल किया है। और जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको डाक्टर की ऐडवाइस से शराब या दूसरे मादक द्रव्यों का प्रयोग करना आवश्यक था उनके लिये परमिट सिस्टम की व्यवस्था की। वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मादक द्रव्य उनको परमिट पर देने के लिये मिलता था उसमें भी वह साल ब साल बराबर कमी करती चली गयी और इस तरह से उन्होंने बराबर इस बात की कोशिश की कि बम्बई प्रदेश में कोई भी मादक द्रव्य का सेवन करने वाला न रह जाय सिवा उन लोगों के जिनके लिए डाक्टरी व्यवस्था के अनुसार बहुत जरूरत थी या दवा आदि के इस्तेमाल के लिये जरूरत थी।

हमारे प्रदेश में सरकारी आंकड़े के अनुसार सन् १९५२-५३ में ६ करोड़ ४ लाख रुपये की समस्त आबकारी राजस्व से आय हुई। उसमें से व्यय १ करोड़ १ लाख ७ हजार काट कर राजस्व ५ करोड़ के लगभग रहा। सन् ५३, ५४ में ६ करोड़ ५ लाख समस्त आबकारी राजस्व में से एक्सपेंडिचर १ करोड़ ९ लाख काट कर ४ करोड़ ९५ लाख आबकारी से वास्तविक आय हुई। सन् ५४,५५ में ५ करोड़ ६० लाख समस्त आबकारी राजस्व में से व्यय ८९ लाख ३९ हजार काट कर वास्तविक आबकारी आय ४ करोड़ ७८ लाख के करीब रही। तो हम देखते हैं कि बम्बई के मुकाबले में हमारा आबकारी राजस्व करीब आधा के रहा और पूरे बजट के मुकाबले में हिसाब लगाने पर हमारे यहां का आबकारी राजस्व साढ़े ५ फीसदी के लगभग आता है। जब कि बम्बई में

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

१९ फीसदी के लगभग आता था। तो बम्बई प्रदेश ने इतनी बड़ी रकम को जब कि हमारे प्रदेश की आमदनी से कहीं अधिक उसे आमदनी थी, त्याग दिया तो फिर कोई वजह नहीं है कि इस कलंक को हम अपने इस प्रदेश में क्यों रखे हुए हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में बजाय इसके कि इसको सफल बनाने और मद्यनिषेध लागू करने की तरफ ध्यान दें और उसकी तरफ कदम बढ़ावें, हमने देखा कि सन् ५४-५५ में गांजा और भांग की दूकानें जो १,१७७ थीं वे सन् ५५-५६ में बढ़कर १,१९६ हो गयीं। देशी शराब की दूकानें जो पहले १४४२ थीं वे सन् ५५, ५६ में बढ़ कर १४६२ हो गयीं। तो दूकानें बढ़ती जायं, यह तो इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार चाहती है कि और अधिक शराब या और अधिक मादक द्रव्यों की बिक्री बढ़े। यह नाजायज चीज जिसको कि हमारे धर्मशास्त्रों में और सभी के धर्मशास्त्रों में चाहे वे मुसलमानों के मजहब के हों, चाहे इसाई मजहब के हों, चाहे हिन्दू मजहब के हों, हर मजहब में इस चीज को बहुत ही हेय और निकृष्ट समझा गया है। यहां तक कि बहुत सी कौमों में तो इनके पीने वालों को आउट कास्ट तक कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में.....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद को जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक मद्यपान की बात है, उसे प्रायः सभी धार्मिक ग्रंथों ने और नेताओं ने बुरा कहा है, केवल एक वाममार्गी मजहब जरूर है जिसमें पंच मकार के अन्तर्गत मद्यपान को भी उचित करार दिया गया है। अगर हम लोगों का वाममार्ग में विश्वास नहीं है तो शीघ्र से शीघ्र सारे प्रदेश में मद्यनिषेध लागू कर देना चाहिये था। हां, अगर किसी माननीय सदस्य को वाममार्ग में विश्वास हो तो वह इसका विरोध कर सकते हैं और हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। हमारे यहां मद्यनिषेध के संबंध में पहला कदम सन ३७ में उठाया गया था, लेकिन उस वक्त बाद में जब कांग्रेस सरकार हट गई तो फिर वह प्रयत्न अपनी जगह पर समाप्त हो गया। उसके बाद सन् ४६ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट फिर स्थापित हुई तब मद्यनिषेध का कदम फिर उठाया गया और उस समय ११ जिलों में और ३ धार्मिक स्थानों में मद्यनिषेध योजना लागू हुई लेकिन शुरू में जरूर इस बात की आशा हुई कि धीरे-धीरे करके प्रायः सभी जिले मद्यनिषेध की योजना में आ जायेंगे लेकिन सन् ४६ से आज दस ग्यारह वर्ष हो गये सरकार ने इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं की। केवल पिछले वर्ष अभी थोड़े दिन हुये गांजे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, गांजे की बिक्री पर रुकावट कर दी गई, गांजे की बिक्री से सरकार को अधिक आमदनी होती भी नहीं थी। सन् ५४-५५ में सरकार को गांजे, भांग से ३६,८९,६४४ रुपये की आय हुई, सन् ५५-५६ में ४०,८४,६३४ रुपये की आय हुई। सरकार ने अपनी इस पालिसी को केवल गांजे को ही बन्द करने तक आगे बढ़ाया लेकिन शराब जो स्वास्थ्य के लिये बहुत खराब है और जो असली मद्य है और बहुत ही नुकसान करने वाली है, घर को बर्बाद करने वाली है, पीने वाले की दरिद्रता को बढ़ाने वाली है उसे सरकार ने रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जो ११ जिले सरकार ने ले लिये थे उनके अलावा दूसरे जिले लेने की सरकार की कोई भी इच्छा अभी नहीं जान पड़ रही है। ऐसा मालूम होता है कि जो तुलसीदास जी ने कहा है "भई गति सांप छछूंदर केरि" वह सरकार पर लागू होता है क्योंकि वह न तो मद्यनिषेध को लागू ही करना चाहती है और न मद्य निषेध की पालिसी को खत्म ही करना चाहती है, कुछ बीच की स्थिति में है। जब बम्बई स्टेट ने अपनी इतनी बड़ी आमदनी को सिद्धांत के ऊपर निछावर कर दिया तो फिर हमारी सरकार को इसमें आनाकानी करके उस सिद्धांत की अवहेलना नहीं करना चाहिये।

मद्यनिषेध की योजना जिन जिलों में लागू है वहां की स्थिति के बारे में प्रायः इस सदन के सदस्यों ने अपना असंतोष व्यक्त किया है। एक जगह लागू हो जाय, लेकिन पड़ोस के जिले में लागू न हो इसमें कितना भ्रष्टाचार बढ़ता है, किस तरह स्मगलिंग होता है, यह प्रायः सभी जानते हैं और जिस तरह नाजायज शराब बनाई जाती है उसको रोकने में जिस तरह से पुलिस के कर्मचारी भी अपनी असमर्थता दिखाते हैं, भ्रष्टाचार की भी शिकायतें होती हैं यह स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है जो किसी से छिपी नहीं है। अगर हमारे पूरे प्रदेश में मद्य निषेध की योजना को लागू कर दिया जाय तो एक सुन्दर वातावरण बन सकता है और तभी भ्रष्टाचार भी दूर किया जा सकता है।

सरकार यह कहती है और प्रायः कहा भी गया है कि यह एक बहुत बड़ा आमदनी का सवाल है। अगर सरकार इतनी बड़ी क्षति को उठाने के लिये तैयार नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस आशय की तरफ एक बार कुछ इशारा भी किया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा जी ने भी एक बार इस संबंध में कहा था कि शराब की आमदनी से अगर हम अपने बच्चों को तालीम देंगे तो वे बच्चे कभी भी चरित्रवान और अच्छे विचारक नहीं होंगे। हमारे यहां बहुत प्राचीनकाल से यह कहा गया है कि जैसा धन होता है वैसी बुद्धि बनती है। शराब की आमदनी जहां कहीं भी लगेगी सभी जगह उस आमदनी का गन्दा प्रभाव पड़ेगा और गन्दे विचार प्रवेश करेंगे। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिये अपने सुन्दर शुद्ध विचार की भावना भरने के लिये इस कदम को उठायें। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि ५ करोड़ क्या इससे भी कहीं अधिक आमदनी अगर शराब से होती हो तो उसे सरकार को छोड़ने के लिये तैयार हो जाना चाहिये। सरकार अपनी दुकानें खोलती जाय उसको जायज कहे और उस बिक्री को अपनी दुकानें खोल कर बढ़ाने का प्रयत्न करे यह हमारे लिये शोभाजनक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे बम्बई स्टेट में प्रोग्रेसिव टैक्सेज वगैरह के तरीके पर अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न किया संभवतः सेल्स टैक्स भी जब हमारे प्रदेश में लागू किया गया था शायद जहां तक मुझे याद है यह विचार व्यक्त किया गया था कि सेल्स टैक्स इसलिये भी लागू करना आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में आमदनी उससे कुछ हो, क्योंकि हमको प्रोहिबीशन करना है अपने प्रदेश में। वह सेल्स टैक्स लागू हुआ। सेल्स टैक्स में संशोधन हुए। आमदनी के और जरिये बढ़ाये गये। लेकिन प्राहिबिशन अपनी जगह पर ज्यों का त्यों है। चूंकि गुड़ और गन्ने का प्रयोग हमारे प्रदेश में ज्यादा होता है, शीरा ज्यादा निकलता है। अब तो शीरे से पेट्रोल बनने लगा है। शीरे से जहां शराब बनती है वहां शीरे से पेट्रोल भी बनाया जाता है। अगर सारा शीरा पेट्रोल के बनाने में इस्तेमाल किया जाय तो शायद बहुत अंश तक उस पेट्रोल की आमदनी से शराब की आमदनी जो नहीं रहती है वह पूरी की जा सकती है। और भी तरीका सोचा जा सकता है। लेकिन चाहे दूसरा तरीका हो या न हो एक क्षण के लिये भी हमारे बीच में मद्य निषेध न होना दुखदायी है।

मान्यवर, मैं तो आपसे भी सहायता चाहता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्य भी इस बात के साक्षी हैं कि इस सदन के प्रायः अधिकांश सदस्य गांधी जी के आदेश पर शराब की दूकानों पर लोटते थे, धरना देते थे। और तरह-तरह के शराबियों के जुल्म भी सहने को तैयार रहते थे। सीने पर पैर रख कर चले जाते थे। मुंह में थूक देते थे। हमने जब यह कदम अंग्रेजी सरकार के जमाने में उठाया जिसको हम भ्रष्टाचारी सरकार कह कर खत्म करना चाहते थे आज हम अपने हाथों उस शराब को बेचें, सरकार दूकानें खोल कर जनता को शराब पिलाये। यह हमारे लिये अत्यन्त शोक और कलंक की बात है। जिस चीज को हम बहुत बुरी नजर से देखते थे आज पैसे के लोभ में उसी को अपने हाथ से करें यह कदापि बरदाश्त करने योग्य नहीं है और न हम जनता के सामने जवाब देने के योग्य हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेसी सदस्य तो हमारा समर्थन करेंगे लेकिन जो हमारे.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लाल बत्ती क्यों जल गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। लाल बत्ती समय के सूचनार्थ जलायी गयी है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं आशा करता हूं कि हमारे विरोधी दल के सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे और सभी माननीय सदस्य समर्थन करेंगे और मुझे यह भी आशा है कि जैसा प्रस्ताव है उसके अनुसार सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है मानने में और सरकार की तरफ से मैं आशा करूंगा कि यह नहीं कहा जायगा कि मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो संकल्प माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने प्रस्तुत किया है उसकी पंक्ति एक में शब्द "शीघ्र" के स्थान पर शब्द "यथासंभव आम चुनावों से पहले" रख दिये जायं। मेरे संशोधन से यह स्पष्ट है कि मैं इस प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और केवल शाब्दिक समर्थन नहीं करता बल्कि यह चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कोरा प्रस्ताव न रह कर शीघ्र से शीघ्र कार्य रूप में परिणत हो। शीघ्र शब्द जिसका प्रयोग माननीय मौर्य जी ने अपने प्रस्ताव में किया है वह जैसा कि अंग्रेजी में वेग कहते हैं, अस्पष्ट है। अपनी-अपनी भावना के अनुसार शीघ्र के मानी लोग सैकड़ों वर्ष भी लगा सकते हैं। ब्रह्मा के दिन के मुताबिक वह भी शीघ्र है और जो चाहते हैं कि समय में हो उनके लिये यह शीघ्र है कि वह १५ दिन के अन्दर होना चाहिये। इसलिये मैंने एक अवधि उसकी रख दी कि "यथासम्भव आम चुनावों से पहले" यह मद्यनिषेध हमारे प्रदेश में पूरी योजना लागू कर दी जाय। एक दलील यह दी जा सकती है कि आम चुनाव तो अब मार्च में होने वाले हैं और इसलिये वह बहुत जल्दी हो सकता है। पहले तो मार्च में होने वाले आम चुनावों में कोई जल्दी की बात है नहीं। जहां तक मालूम पड़ता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर में फिर हमारे यहां अधिवेशन होने वाला है और नहीं होने वाला है तो होना चाहिये क्योंकि अगर १७ या १९ नवम्बर से लोकसभा का अधिवेशन हो सकता है तो आम चुनाव उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रहे हैं, यहां भी नवम्बर में अधिवेशन हो सकता है और सरकार इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत कर सकती है। और इसके अलावा मार्च में चुनाव होंगे ही यह बात अभी अधिकृत रूप से सरकार द्वारा नहीं बतायी गई। इसलिए केवल इस आशा पर कि बादल बरसने वाले हैं पानी के घड़ों को फोड़ देना बुद्धिमानी की बात नहीं है और चुनावों की धमकी दे करके अच्छे कार्यों को मुलतवी कर देना कोई अच्छी नीति नहीं है। साथ ही साथ में यह भी कह देना चाहता हूं आज ही यहां सदन में एक बात कही गई थी कि अभी हम लोगों को बहुत वर्ष जिन्दा रहना है और धीरे-धीरे सब अच्छे काम करेंगे। तो इस सम्बन्ध में मुझे एक श्लोक हितोपदेश का याद आता है वह उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विशेष रूप से लागू होता है, इसलिये कह देना चाहता हूं। "अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥" विद्या और धन का संचय तो बुद्धिमान पुरुषों को यह समझ कर करना चाहिये कि हम अजर रहेंगे, अमर रहेंगे और इसलिये इसमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक तरह से उसे किया जाय। अपने जीवन काल में जितना कर सकें अच्छा है। इस जीवन में न कर सकें तो हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार और जीवनों में उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन धर्म के कामों को इस तरह से धीरे-धीरे नहीं किया जा सकता। उसको तो यह समझ करके करना चाहिये कि हमारे बाल मृत्यु ने पकड़ रखे हैं और हम नहीं कह सकते कि कल ही हमारी मृत्यु हो जाय। इसलिये जो धर्म का काम है उसे तो हमें आज ही बिना एक क्षण का समय खोये हुए ही कर डालना चाहिये। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि आम चुनावों से पहले होना चाहिये। "यथासम्भव" मैंने इसलिये रख दिया है। मैं खास तौर पर जो बात कहना चाहता हूं वह इतनी व्यावहारिक कहना चाहता हूं कि सरकार के लिये कोई विशेष कठिनाई जिससे न हो और सरकार अगर सचमुच जनतंत्रीय ढंग से और अच्छी भावना से काम करना चाहे तो उसको कर सके। इसलिये मैंने

"यथासम्भव" शब्द भी रख दिया है। इस प्रस्ताव के लाने के लिये मैं मौर्य जी को बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूं। जैसा मैं कह चुका हूं मेरे सामने सब सवालों में पार्टीबन्दी नहीं होती और विरोध में भी कोई शत्रुता भी भावना नहीं होती और इसलिए अगर सरकारी पक्ष से भी अच्छी बात कही जाती है, अच्छा प्रस्ताव आता है तो उसका समर्थन और स्वागत करने में और उसके लिये सरकार को और सरकारी पक्ष के सदस्यों को बधाई देने में मैंने कभी कंजूसी नहीं की, आगे भी नहीं करने वाला हूं। इसलिये मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं।

एक दूसरा कारण इस प्रस्ताव के समर्थन के लिये यह भी है कि इस प्रस्ताव को मैं एक नैतिक प्रस्ताव मानता हूं। नैतिकता और सदाचार का एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें एक महान् आदर्श है, बहुत पवित्र सिद्धान्त जिसके भीतर सन्निहित हैं और जिसके लिये उसका समर्थन किया जाना चाहिये। वह सिद्धान्त यह है कि जनता की नैतिक उन्नति भौतिक उन्नति से पहले नहीं तो साथ-साथ अवश्य होनी चाहिए। अगर भौतिक उन्नति की ओर ही हम लोग ध्यान दें और नैतिक उन्नति को बिल्कुल छोड़ दें तो फिर यह जरूरी नहीं है कि भौतिक उन्नति होने पर जनता की भलाई हो ही जाय। मैं अपने इस कथन का समर्थन पहले तो अर्थ शास्त्र के आधार पर करूंगा अर्थात् जो लोग अर्थ को, धन को, भौतिक उन्नति को ही सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, प्रधानता देते हैं, उनके शास्त्र के अनुसार ही इस बात का प्रतिपादन करूंगा कि नैतिक उन्नति न हो तो केवल भौतिक उन्नति होने से जनता की भलाई अन्त में जाकर नहीं हो सकती। एक पुस्तक है संसार प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के आचार्य की। उनका नाम ए० सी० पेगू है। और पुस्तक का नाम है 'इकोनामिक्स आफ वेलफेयर'। जनहित और जनकल्याण के लिए जो काम किये जाते हैं उनका अर्थ शास्त्र। पुस्तक का नाम ही यह है और उस पुस्तक के विद्वान् लेखक ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विभाज्य, अगर बढ़ जाय तो उससे राष्ट्र का हित होगा या नहीं होगा, इस विषय का विवेचन उस बड़ी पुस्तक में बड़े-बड़े ग्रन्थों के हजारों प्रमाणों के साथ उस विद्वान् ने किया है। उसमें उसने चार उपाय बताये हैं जिनका असर पड़ता है जनकल्याण के ऊपर, नेशनल गुड के ऊपर, नेशनल हैपिनेस के ऊपर, उसमें एक यह है कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय विभाज्य, नेशनल इनकम और नेशनल डिविडेंड दोनों बढ़ जांय और उनका वितरण भी समान रूप से हो जाय, समाजवादी सिद्धान्त से हो जाय तब भी यह जरूरी नहीं है कि जनता का भला हो जायगा, क्योंकि उन्होंने जैसा मैंने कहा चार बातें बतायी हैं, जब तक वह चारों न हों तब तक केवल भौतिक उन्नति होने से जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। उनमें से यह है पहली बात कि जो प्रोडक्शन हो, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय जिन साधनों से कमाई जाती हो जब तक कि वह अच्छे न हों, यानी अगर वह आमदनी बुरे उपायों से होती हो तो कितनी भी आमदनी बढ़ जाय राष्ट्र का कल्याण नहीं होने वाला है, जनता का कल्याण नहीं होने वाला है।

दूसरी बात उन्होंने वितरण की कही है। तीसरी एक्सचेंज की कही है और चौथी कंजम्पशन की कही है। तो इसमें राष्ट्रीय आय बढ़ जाय, राष्ट्रीय विभाज्य भी बढ़ जाय, जनता का आर्थिक जीवन स्तर बढ़ जाय तो उससे कल्याण नहीं होने वाला है अगर जनता ने जो आमदनी बढ़ी उसका कंजम्पशन, उसका व्यय, उसका उपयोग करना नहीं सीखा। तो उसने खास तौर पर यह दलील दी है कि किसी देश की जनता की राष्ट्रीय आय बढ़ जाय और उस आमदनी को वह शराब पीने में, मुकदमेबाजी में या विलासिता में और आलस्य और प्रमाद में खर्च कर दे तो उस बढ़ी हुई आमदनी से जनता का कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा। तो यह अर्थशास्त्र के अनुसार भी केवल पंचवर्षीय योजनाओं से या विकास और निर्माण के नाम से कोई भलाई जनता की होने वाली नहीं है

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जब तक कि उसके साथ-साथ, अगर उससे पहले नहीं, नैतिक उन्नति की ओर ध्यान न दिया जाय और महात्मा गांधी ने इसीलिए मद्यपान निषेध को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य अंग रखा था। आजकल तो इस सदन में विकास, निर्माण आदि इन शब्दों को ऐसे स्वाद के साथ कहा जाता है जाने कहां से आविष्कार करके यह शब्द लाये जाते हैं कि इसे सुनकर सब मन्त्रमुग्ध हो जायेंगे और सब बातों को भूल जायेंगे साथ ही यह भी कहा जाता है कि रचनात्मक सुझाव होने चाहिए। लेकिन यह मद्यमान निषेध वाला प्रस्ताव और वह भी उसी पार्टी के एक सदस्य द्वारा यह इस बात को साबित करता है कि ऐसा रचनात्मक कार्यक्रम, ऐसा रचनात्मक सुझाव जिसे राष्ट्र के बापू महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे कांग्रेस बार-बार तीसों वर्ष से हर वर्ष हर अधिवेशन में दुहराती रही, उस कार्यक्रम को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो जब ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम को जो कि कांग्रेस के ४ सूत्रीय प्रोग्राम का मुख्य अंग है, अब तो वह १८ सूत्रीय हो गया है, पहले ४ सूत्रीय था जिसको कि महात्मा गांधी जी ने बनाया, उसमें यह मुख्य अंग था, वह नहीं किया जा रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल आर्थिक या नैतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दोनों दृष्टियों से मद्य-पान निषेध की बात इतनी आवश्यक है कि हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिये और जैसा मैंने शुरू में कहा इस प्रस्ताव में एक सिद्धान्त की बात यह है कि यह प्रस्ताव हमें गांधी मार्ग, गांधीवाद की ओर, नैतिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए मैं आपसे यह कहता हूं कि भौतिक उन्नति के फेर में हम नैतिक उन्नति को न भूल जायं, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और तीसरा कारण यह है कि जहां तक जनता से सम्बन्ध है, "जनता" तो एक बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन जब जनता की ओर देखते हैं तो जनता मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बंटी हुई है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और जनता का जो निम्न वर्ग है वह हमारे प्रदेश में और विशेष कर हिन्दू समाज में हिन्दुओं की पिछड़ी हुई जातियों का और परिगणित जातियों का है और इसकी आबादी कुछ लोग तो बताते हैं कि ५६ प्रतिशत और कुछ ७६ प्रतिशत अभी तक मानते हैं। उस वर्ग को सब से अधिक हानि इस मद्यपान से होती है। इसलिए जनसाधारण के हिसाब से, आबादी की दृष्टि से मद्य-पान निषेध अनिवार्यतः आवश्यक है, इसलिए भी हमें इसको पूरा करना चाहिये।

५ करोड़ की जो बात कही गयी कि ५ करोड़ की हमारी सरकार को आमदनी की हानि हो जायगी तो मेरा कहना यह है कि ५ करोड़ की हानि आमदनी कम होने से होती है। एक भाई की भलाई के लिए एक रुपये का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए सब कोई एक-एक रुपया अपनी आमदनी में से दे सकते हैं। हमें उस रुपये का मोह नहीं करना चाहिये। हमें रुपयों में नहीं देखना चाहिये, मनुष्यों की दृष्टि से इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिये। रुपये का सवाल आता है कि अगर पाप की कमाई कम हो जायगी तो कहां से रुपया आयेगा? मेरा निवेदन यह है कि एक तो मैं इस श्रम-विभाग को नहीं मानता कि जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है कि अधिकार तो तब सरकार पक्ष के हाथ में होना चाहिये और कर्तव्य सब इधर के हिस्से में आया है तो अधिकार और कर्तव्य के इस बटवारे को मैं नहीं मानता। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा काम केवल हो रुपये जुटाना तो फिर मिनिस्टर किस मर्ज की दवा है। मेरा कर्तव्य है कि आमदनी कहां से आयेगी वह पूरा तभी होगा जब यह दल वहां जाकर बैठेगा और वह दल यहां, उस समय कहा जा सकता है कि कहां से रुपया लाओगे। फिर भी मैं बताने को तैयार हूं। मोटे तौर पर आगे जो गेंदासिंह जी का प्रस्ताव है उसमें यह है, लेकिन मैं तो उससे आगे बढ़ कर जाता हूं। उसमें कहा गया है कि एक लाख से अधिक आमदनी पैदा करने वालों पर कर लगा कर इकट्ठा किया जाय। मैं कहता हूं कि जैसा कि प्रगतिशील पार्टियों का प्रस्ताव है कि दो हजार रुपये से ज्यादा आमदनी न होनी चाहिये। इतना भी हम न सोचें तब भी जिन लोगों की आमदनी २५ हजार रुपया साल से ज्यादा है उन पर खूब कर लगाया जाय और एक कैपिटल लैवी भी उन पर

लगायी जा सकती है और ऐसे करों के जरिये से, जैसा कि कुछ द्वारकाप्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो बम्बई सरकार ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पालिसी अख्तियार की है उससे कमी पूरी की जा सकती है। इसलिए मैं माननीय मौर्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने संशोधन के बारे में आशा करता हूं कि सदन जैसा कि मौर्य जी ने आशा की कि उनके प्रस्ताव का स्वागत करेगा और स्वीकार करेगा, वैसे ही इस संशोधन को भी स्वीकार करेगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्न लिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :---

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त संकल्प को कार्यान्वित करने से जितनी आय सरकारी कम होगी उसकी पूर्ति बड़े वेतनों में कमी करके तथा २५ हजार रुपये सालाना की आमदनी से अधिक पैदा करने वालों पर कर लगाकर पूरी की जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी के प्रस्ताव में कमी रह जायगी यदि ऐसा न किया जाय। सरकार के लिये कोई परेशानी की बात हो सकती है और वह यह हो सकती है कि करोड़ों रुपये की आय में जो कमी होगी वह कहां से पूरी की जाय उसके लिये यह संशोधन रास्ता खोल देता है और स्पष्ट कर देता है कि अगर इस काम को इतना पवित्र और आवश्यक समझा जाता है कि इसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता है तो फिर ऐसी कल्याणकारी योजना को कार्यान्वित करने में जिनकी २५ हजार रुपये साल की आमदनी हो उनसे इस घाटे को पूरा किया जाय या जो बड़े वेतन भोगी हैं उनका वेतन कम करके पूरा किया जाय तो नामुनासिब नहीं होगा बल्कि उचित ही होगा।

समाजवादी व्यवस्था में या मामूली तौर पर जिसको कल्याणकारी कहा जा सकता है उसमें भी निर्धनों को मदद करना और दबे हुओं को उठाना सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये। यह तब तक नहीं हो सकता है, दबे हुये नहीं उठ सकते हैं और न निर्धनों की मदद हो सकती है जब तक कि धनवान् लोगों से धन इकट्ठा करने की कोशिश न की जाय। यदि सरकार का कर लगाना मुनासिब है और इस कर से कल्याणकारी योजनायें चलती हैं तो फिर यह आवश्यक है कि उसके लिये धन का भी बन्दोबस्त किया जाय तो फिर विधान सभा का यह परम कर्त्तव्य है कि वह सरकार से जब कोई बात कहे कि अमुक योजना को लागू करे और उसके लिये धन की आवश्यकता है तो सरकार के पथ-प्रदर्शन के लिये बताया जाय कि कहां से रुपया आयेगा और यह कार्य हमारा संशोधन पूरा करता है। बड़े वेतन के माने में वेग नहीं रखना चाहता हूं लेकिन स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक हजार से अधिक वेतन देना उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मान के विरुद्ध है। एक हजार से अधिक जो वेतन पाते हैं वे मैं समझता हूं गांधी जी के शब्दों में समाज के चोर हैं।

इस प्रदेश में जिसकी आमदनी सरकारी आंकड़ों में प्रति वर्ष २७७ रुपये बतलाई गई है, वैसे वह बहुत कम है, अगर ठीक-ठीक हिसाब लगाया जाय। लेकिन २७७ रुपये भी मान लें तो २३ रुपये मासिक आमदनी सबकी होती है। यद्यपि यह हिसाब गलत है फिर भी जिस सूबे की आमदनी २३ रुपये मासिक हो उसमें ३, ४,५, हजार रुपये मासिक वेतन कोई ले वह कम से कम समाज सेवक नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं सोचता हूं और इस अवसर से लाभ भी उठाना चाहता हूं कि यह काम पूरा करना है। सीलिंग आमदनी को मुकर्रर करना और जमीन की सीलिंग मुकर्रर करना, यह बहुत आवश्यक हो गया है, जिससे इन्कार करना दिन को दिन कहने से इन्कार करना है। मैं डरता हूं अगर हम लोगों ने यह सुझाव न दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

और मौर्य जी का प्रस्ताव सरकार को दिया जाय। तो उसमें शायद ४–६ करोड़ के बीच में कमी पड़ेगी। उस कमी को पूरा करने के लिये अभी तक तो हमने भीख मांगने वालों पर कर लगाया है---अनाज पर। रोटी का टुकड़ा भी जिस वक्त खरीदें तो कर देना पड़ेगा। कोढ़ी आदमी अगर एक गज कपड़ा भी खरीदे तो टैक्स से बरी नहीं हो सकता। अब किस टैक्स का अनुमान हम लगायें। किसी टैक्स को बर्दाश्त करने की ताकत उत्तर प्रदेश की जनता में अब नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---सेल्स टैक्स पर बोल रहे हैं आप ?

श्री गेंदासिंह---हमें उपदेश मिल रहा है कि मैं सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूं। मैं बहुत कद्र करता हूं अपने दोस्तों के उपदेश की, लेकिन मैं यह बात जरूर सोचता हूं कि जो हम को उस तरफ से यह उपदेश हुआ करता है जब हम कहते हैं कि बाढ़ वालों की मदद करो, भूख से मरने वालों की मदद करो कि जरा यह भी तो बताना कि पैसा कहां से लायें। तो जब मैं वही काम इस वक्त पूरा कर रहा हूं तो मुझसे कहा जाता है कि सेल्स टैक्स पर बात कर रहे हो। हम क्यों न करें सेल्स टैक्स पर बात। किसी की हिम्मत है यह कहने की कि सरकार ने भीख मांगने वालों पर टैक्स इम्पोज नहीं किया। शराब पीना बुरा है, गांधी जी का यह विचार था। नमक पर टैक्स लगाना बुरा है यह भी उनका कहना था और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। मगर इस सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया। लेकिन अगर प्रदेश की सारी जनता ने आन्दोलन न किया होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको वापस नहीं लेती। अभी मिट्टी के तेल पर टैक्स है, हमारी सारी खाने-पीने की चीजों पर टैक्स है। तो उपाध्यक्ष महोदय, हम केवल इस ओर संकेत करके सदन को इस समस्या पर पूरी तरह से गौर करने के लिये कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय तो हमारे संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय, जिसमें यह हालत पैदा न हो कि जो ४, ६ करोड़ के बीच में सरकारी आय में कमी पड़ेगी उसके लिये फिर निर्धनों पर टैक्स न लगाना पड़े। ऐसा न हो कि एक तरफ तो हम निर्धनों को शराब पीने से बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उससे बड़ा पाप यह कर लें कि सारे निर्धनों के ऊपर आंख मूंद कर टैक्स की वृद्धि कर दें। यह डर लगता है हमको और मैं चाहता हूं कि हमें इससे बचना चाहिये। कभी हमारा यह मत नहीं है और न यह समझना चाहिये कि हम द्वारका प्रसाद जी मौर्य के प्रस्ताव के विरोध में हैं। संशोधन है जो बहुत सीधा सादा है। रुपये की कमी होगी और उसकी पूर्ति के लिये जो बात हमारी समझ में आयी हमने रख दी और दूसरे महानुभावों की समझ में कोई बात और आवे तो वह उसको रखें।

श्री व्रजभूषण मिश्र---आपके सुझाव को मानने पर कितने करोड़ की आमदनी होगी यह बता दें तो अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह---यह मैं जोड़कर तो बता सकता हूं। मैंने अब इसीलिये १ लाख से २५ हजार कर दिया है यानी जिसकी आमदनी २५ हजार सालाना से ज्यादा हो उस पर टैक्स लगे। फिर जिनका वेतन १ हजार हो उससे ज्यादा न दिया जाय। उनको उससे ज्यादा न मिले। इस प्रकार से इस कमी की पूर्ति हो। इसके बाद भी अगर हमारे और ग्रामवासी जी के हिसाब में कमी पड़ती हो तो उसके लिये और भी तरीके ढूंढ़ लिये जायं बशर्तेकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ न पड़े। बस इतनी ही बात है। मैं समझता हूं कि इसको वर्क आउट करने की जरुरत पड़े तो उसके लिये फायनेंस डिपार्टमेंट इतना बड़ा है और हम भी तैयार हैं और दूसरे लोगों के लिये भी कहा कि वे भी मदद दे सकते हैं, वे भी तरीका बतावें और जब कभी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करें तो बिना इसके उस धन की कमी पूरी नहीं होगी जो इस प्रस्ताव के कारण आयेगी। बम्बई और मद्रास का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने जिस वक्त प्राहिबिशन का एन्फोर्समेंट किया उस वक्त उन्होंने सेल्स टैक्स लगाया और उसके लिये यही

जस्टीफिकेशन दिया कि टोटल प्राहिबिशन के लिये जरूरी है। इसलिये जब हम भी टोटल प्राहिबिशन के बारे में सोचें तो हमेशा यह सोचें कि हम गरीबों के ऊपर किसी तरह का भी टैक्स नहीं लगायेंगे और अगर लगायेंगे तो इस टोटल प्राहिबिशन का जितना पुण्य होगा वह सब इस पाप में डूब जायगा ।

श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय मौर्य जी ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसकी शब्दावली में तो सम्मति का स्थान हो सकता है.....

श्री उपाध्यक्ष---पहले आप अपना संशोधन पेश कर दीजिये ।

श्री जगदीशसरन---लेकिन जिस सिद्धान्त को वह प्रतिपादित करता है उसमें तो मतभेद का स्थान नहीं हो सकता। मैं तो उससे और कुछ आगे चलना चाहता हूं और उसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इस संकल्प की दूसरी पंक्ति में "स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद" शब्द निकाल दिये जायं। इन शब्दों को निकालने के बाद संकल्प इस तरह से पढ़ा जायगा:---

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेशीय सरकार शीघ्र विधान सभा में एक विधेयक उपस्थित करे कि जिसके अनुसार समस्त प्रदेश में १ अप्रैल, १९५८ तक सभी मादक द्रव्यों का सेवन केवल औषधि हेतु प्रयोग को छोड़कर पूर्णतया निषिद्ध हो जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुये मैं यह मानता हूं कि सभी मादक द्रव्य स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। इसलिये इन शब्दों की सार्थकता नहीं है। फिर आगे चलकर इसमें शब्द "औषधि हेतु प्रयोग को छोड़कर" मौजूद हैं। तब "स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद" शब्दों की और भी आवश्यकता नहीं रहती है। वास्तव में इस बात में तो मतभेद हो सकता है कि कोई मादक वस्तु किस मात्रा में स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद हो लेकिन सभी डाक्टरों ने एक मत से यह तो स्वीकार ही किया है कि कोई भी मादकवस्तु बाहुल्य प्रयोग से हानिप्रद होती ही है। अब दिक्कत यह पड़ती है कि जब एक मादक वस्तु उपलब्ध है तब इतना बड़ा आकर्षण होता है उसके सेवन करने वालों के लिये यह कठिन हो जाता है कि वह उसका विधिवत् सेवन कर सकें, उचित मात्रा में सेवन कर सकें, यह संभव नहीं हो पाता। इसलिये ऐसी वस्तुओं का उपलब्ध होना ही अनुचित है। इसी भावना से प्रेरित हो कर श्रीमन्, मैंने यह संशोधन उपस्थित किया।

मुझे श्रीमन्, इस विषय में केवल दो बातों की ओर इस माननीय सदन का ध्यान दिलाना है। यह विषय इतना निर्विवाद होते हुये भी एक प्रकार से बड़ा गहन है। यदि श्रीमन्, देखें तो मदिरा मादक द्रव्यों की रानी है। मदिरा आप देखेंगे कि एक तरफ तो कवियों की कल्पना का विषय रही है और दूसरी ओर अगर हम इतिहास के पृष्ठ लौटें तो पायेंगे कि सब धर्मों में, सब समाजों में इसका निषेध होते हुये भी यह बनी रही है। अब हमें देखना यह है कि वह कौन से कारण हैं कि यह मादक द्रव्य इतने निषेध रहते हुये भी समय-समय पर देश-देश में विद्यमान रही है? और दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि इस के निषेध के लिये दूसरे देशों में भी जो प्रयत्न हुए हैं उनकी ओर भी हम देखें। प्रायः सभी देशों में यत्न हुये हैं प्रोहिबिशन के लिये। हम देखते हैं कि रशा में, चीन में, नार्वे में, स्वीडेन में, आइसलैन्ड में, फिनलैन्ड में, न्यूजीलैन्ड में, अमरीका में, सभी देशों में समय-समय पर इसके निषेध के लिये प्रयत्न हुए।

अमरीका की एक स्टेट ने सब से पहले १८४६ में एक स्टेट प्रोहिबिशन ला द्वारा मद्य निषेध का कानून पास किया और उसके बाद १८८९ में ६ अमरीका स्टेट्स में यह कानून लाग

[श्री जगदीशसरन]

हो गया। लेकिन १९३२ में वहां यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस पर राय ली जाय जनता को। लोगों ने एक पब्लिक रेफ्रेंडम किया और उसके द्वारा यह जानकारी की कि यह प्रोहिबिशन की स्कीम चल सकती है या नहीं। श्रीमन्, उसका परिणाम यह हुआ कि पब्लिक ओपीनियन रेफ्रेंडम में प्रोहिबिशन के खिलाफ आई और १९३२ में इस प्रोहिबिशन की पालिसी के खिलाफ एक दूसरा बिल पास हुआ। तो मैं संकेत मात्र में केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिये कि दूसरे मुल्कों ने जब-जब प्रोहिबिशन के लिये कोई कानून पास किया है, उसको लागू किया है या हमारे ही देश में और प्रदेशों में जब-जब प्रोहिबिशन के लिये जिस मात्रा में कानून पास किये गये हैं, उनमें क्या-क्या कठिनाइयां सामने आई हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कठिनाई यह रहती है कि जिस मात्रा में, जिस क्षेत्र में प्रोहिबिशन किया जाता है वहां इल्लिसिट लिकर की मात्रा बढ़ जाती है और उससे चारों तरफ भ्रष्टाचार का वातावरण पैदा हो जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां तक इस बिल के सिद्धांतों का प्रश्न है मैं जानता हूं कि उनके प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं। वह तो हमारे विधान की ४७वीं धारा में पहले ही निश्चित हो चुका है कि इस तरफ हमें बढ़ना है और जल्द से जल्द बढ़ना है और यह माननीय मंत्री जी का उत्तरदायित्व है कि वह उस ओर चलें, बढ़ें, लेकिन मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देखना इस बात को है कि जिन क्षेत्रों में प्रोहिबिशन लागू है वहां पर क्या दशा है। मेरा अपना विचार यह है कि प्रोहिबिशन वाले जो क्षेत्र हैं उनकी दशा उन क्षेत्रों से जहां जहां प्रोहिबिशन नहीं है, भी बदत्तर है। तो अगर यह दशा रही कि एक तरफ हम सरकारी रेवेन्यू खोयें, एक तरफ हम टैक्स द्वारा उसको पूरा करने की बात सोचें, जो करना चाहिये और दूसरी तरफ इनटाक्सीकेंट्स उसी मात्रा में मिलें, पैदा होते रहें, उसी मात्रा में इस्तेमाल होते रहें और भ्रष्टाचार के नये दरवाजे, फाटक खुल जायं तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम इस ओर ध्यान दें। हम यह देखें कि जिन जिलों में प्रोहिबिशन शुरू हो चुका है वहां कड़े से कड़े कदम उठाये जायं उसको लागू करने के लिये और उसको अमल में लाने के लिये। जैसा कि माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी ने जिक्र किया था और जैसा कि हम सब जानते हैं इस वर्ष हमारी सरकार ने गांजा बन्द कर दिया है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपकी सेवा में और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह छानबीन करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज भी गांजा उन दुकानों पर उसी मात्रा में बिकता है जिस मात्रा में पहले बिका करता था। सरकार को भी जो रेवेन्यू पहले उनसे मिला करता था वही रेवेन्यू या उससे कुछ ही कम सरकार को आज भी मिलता है।

मैं आपको बतलाऊं कि अभी हाल की ही बात है कि हमारे यहां बरेली में ओपीयम की दुकान का नीलाम होने वाला था जिस आदमी ने उसको पहले ले रखा था उसने फिर उसको ४०, ४५ हजार रुपये में लिया। उसके बाद उसके ऊपर कुछ सख्ती शुरू हुई और वहां के स्थानीय अधिकारियों ने सख्ती की और उनकी दुकान पर रेड किया तो वे लोग मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि जिस समय नीलाम हुआ था तो हमको यह आश्वासन दिया गया था कि गांजा बेंच सकोगे और आज गांजे को बेंचने नहीं देते हैं और उसका बेचना बन्द कर दिया है, नहीं तो हम ४०, ४५ हजार रुपया कैसे दे सकते थे। मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार कभी भी इस तरह से रेवेन्यू बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर दृष्टिपात करें और वह देखें कि जब इस सदन में कोई नियम पास होता है तो उसकी वजह से हम अपने रेवेन्यू का नुकसान उठाते हैं और उस रेवेन्यू का बोझ गरीब किसान और गरीब मजदूर पर पड़ता है। एक तरफ हम यहां पर कानून पास करें और दूसरी तरफ हमारे अधिकारी उसको बेकार बना दें यह एक बहुत ही नुक्सान पहुंचाने वाली चीज है।

एक बात और मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा अपना विचार यह है कि प्रोहिबिशन का दूसरे देशों का अनुभव सामने रखते हुये अगर आप प्रोहिबिशन को लागू करना

चाहते हैं तो उसके पास करने के पहले जनमत को आप तैयार करें। उसके लिये ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे कदाचित् सफलता प्राप्त हो। अगर आप ऐसा न करें तो फिर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। देश से मादक द्रव्यों का प्रयोग हट सके उसके लिये आज देश में एक आन्दोलन की आवश्यकता है। मेरा अनुभव है कि आज हमारे नेता या कार्यकर्त्ता जब मादक द्रव्य प्रयोग करने वाले लोगों के बीच भाषण देने के लिये जाते हैं तो वह उनके बीच में इस बात का साहस नहीं कर पाते हैं कि इस बात को स्पष्ट कह सकें कि आप लोग जो मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हो उससे आप पतन की ओर जा रहे हो। मैंने अपनी आंखों देखा है कि जब एक साथी कार्यकर्त्ता ने एक भाषण दिया और उसमें यह कहा कि आप मादक वस्तुओं का जो इस्तेमाल करते हो उससे आपका पतन हो रहा है। तो इस पर लोग चिल्ला उठे। उनमें बहुत से ऐसे भी रहे होंगे जो वहां पर मादक द्रव्य पीकर आये हों लेकिन वे लोग चिल्ला उठे और कहने लगे कि यह हमारी इज्जत पर हमला है। इस कारण हमको अपने कार्यकर्त्ताओं के अन्दर इस प्रवृत्ति के विरुद्ध एक साहस पैदा करना पड़ेगा और जब हम जनता के बीच में जायेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि जो मादक द्रव्य के शिकार हो रहे हैं उससे कितना भारी नुक्सान है और इसके दुष्परिणाम क्या हैं और इससे किस भयंकर दशा में वह जा रहे हैं। जब तक इस साहस को प्राप्त न करेंगे और जब तक सही वातावरण हमारे देश में पैदा नहीं होगा तब तक इस प्रकार के जो नियम या कानून यहां पर हम पास करते हैं उनको कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। हम कितने ही कानून यहां पर पास कर दें लेकिन उसका परिणाम यही होगा कि उससे भ्रष्टाचार का दरवाजा और खुलता जायगा।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करने के साथ सारे सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हम सबका कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रोहिबिशन को इन्फोर्स करने के पहले प्रदेश के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि जिस वातावरण से किसी भी निषेध नियम के लिये एक उचित बैकग्राउन्ड पैदा हो जाय। जब तक हम ऐसा वातारण पैदा नहीं करते उस समय तक इस सदन में हमारे लिये कोई भी नियम बनाना और राजस्व को खोना उचित नहीं होगा। मेरे इन शब्दों का अर्थ कदापि यह न लगाया जाय कि मैं मदिरा पर टैक्स लगाकर आई राजस्व को अच्छा समझता हूं। मेरा तो यह निश्चित मत है कि ऐसी आमदनी जितनी जल्दी हम अपने कोष से निकाल दें उतना ही अच्छा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो यह कहती है कि जैसा धन होता है वैसा ही बुद्धि पर असर पड़ता है। बुरे जरिये से पैदा किये हुये पैसे से हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। कोई मादक वस्तु अगर विधिवत् छोटी मात्रा में ली जाय तो मुमकिन है कि यह बहुत घातक न हो लेकिन वह समय असंभव है मैं इस प्रस्ताव का स्वागत और समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो शब्द मैंने इसमें निकालने की चेष्टा की है उन्हें माननीय प्रस्तावक स्वीकार करेंगे।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं श्री मौर्य जी के संकल्प में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि पंक्ति ३ के शब्द "द्रव्यों" के आगे शब्द "जैसे शराब, गांजा, अफ़ीम, चरस," बढ़ा दिये जावें और संकल्प के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"और बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू का सेवन १८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिये प्रतिबंधित हो।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने आज्ञा दे दी है तो मुझे इसकी कापी मिल जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—हां, आपको कापी मिल जायगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, यह इस प्रकार हो जायगा "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेशीय सरकार शीघ्र विधान सभा में एक विधेयक उपस्थित करे कि जिसके अनुसार समस्त प्रदेश में १ अप्रैल, १९५८ तक स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद सभी मादक द्रव्यों, जैसे शराब, गांजा, अफ़ीम, चरस का सेवन केवल औषधि हेतु प्रयोग को छोड़कर, पूर्णतया निषिद्ध हो जाय और बीड़ी, सिगरेट व तम्बाकू का सेवन १८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिये प्रतिबंधित हो।" माननीय मौर्य जी का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौर्य जी का लक्ष्य . . . .

श्री शिवनारायण—मेरा यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि बीड़ी, सिगरेट सेन्ट्रल सरकार से संबंध रखती हैं, हमारी सरकार से नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह पेश कर सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, हमारे संशोधन को माननीय सदस्य ने समझा नहीं है और न माननीय मौर्य जी के प्रस्ताव को ही। मैं समझता हूं कि उस प्रस्ताव में हमारा यह संशोधन शामिल कर लिया जाय। जहां तक हमारे संशोधन का सम्बन्ध है हमने देखा भी है और जानते भी हैं कि आज पश्चिमी सभ्यता की नकल कर बहुत से परिवारों में छोटे-छोटे बच्चों के लिये औषधियों के रूप में स्वास्थ्य के लिये उचित समझ कर लोगों ने मादक द्रव्यों को देना आरम्भ कर दिया है और उसका कुप्रभाव हो रहा है।

श्रीमन्, आज कुछ ऐसी नैसर्गिक मान्यतायें हैं जिनका अनुगामी हो जाने के बाद भी आज का मानव समाज से बाध्य होकर उसके औचित्य को साबित करने के लिये उन नियमों की नैसर्गिता को मानता है। जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, ईश्वर और शराब। ऐसी चीजें हैं जिनका आदमी आदर न करे, अपने जीवन में उनका अनुगामी भी न रहे लेकिन समाज के डर से बाध्य होता है और दूसरे के राग में राग मिला कर यह कहता है कि मैं भी उसका पक्षपाती हूं। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि सरकार लोगों को शराब पिलाये, लोग नशे में रहें, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शराब या नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी यह चाहते हैं कि शराबबन्दी हो।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं और यह निवेदन इसलिये कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बरेली से आते हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि कानून का कड़ाई से पालन हो, तो मुझे उसमें कुछ शंका हुई कि क्या किसी भी तरह की कड़ाई से किसी कानून की जो खासतौर से इस सम्बन्ध में हो, हो सकती है और उससे यह लोगों की आदत दूर की जा सकती है कि लोग मादक द्रव्यों का सेवन छोड़ दें। यह असंभव है। इसके साथ-साथ सरकार, को यह करना पड़ेगा कि वह कानून बनाने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को ईमानदारी से कानून को पालन कराने की क्षमता दे, प्रेरणा दे न कि सरकार लोगों को बाध्य करे कि तुम्हें एक विशेष प्रकार का काम करना पड़ेगा। सरकार लोगों को बताये कि मादक द्रव्यों से उनके स्वास्थ्य के लिये हानि होती है, उनके धन की हानि होती है। तब उसे सफलता प्राप्त हो सकती है।

आज इन मादक द्रव्यों का सेवन कौन करता है? निम्न श्रेणी के लोग अथवा उच्च श्रेणी के लोग, मध्यम वर्ग के लोगों में इसका प्रचार बहुत कम है। हरिजन लोगों और अन्य पिछड़े हुए लोगों में इसका चलन बहुत है या जो अधिक मेहनत करते हैं, जिनके पास गम ज्यादा, जिनके पास दुनियां में ऐश और आराम की चीजें बहुत कम हैं वे हताश होकर मादक द्रव्यों से राहत पाने का विफल प्रयत्न करते हैं। इसीलिये वे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। यह उनकी ग़लतफहमी है। इस ग़लतफहमी को दूर करने के लिए कठोर नियमों के पालन कराने से कुछ नहीं हो सकता। इसको दूर

करने के लिए उनकी अन्तर्चेतना को ठोकर दी जाय, उनको समझाया जाय कि इससे उनको शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक क्षति होती है, इसलिये उनको छोड़ना आवश्यक है। तब जा कर लोगों को इसका अहसास हो सकता है। और देश का कल्याण हो सकता है। यदि आप कानून को सफलतापूर्वक लागू होते देखना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा। मान्यवर, मैं समझता हूं कि मादक द्रव्यों का सेवन खासकर उन इलाकों में जो कि गरीब इलाके हैं जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें काफी मात्रा में होता है। हमने कम से कम इस देश के तमाम सूबों को देखा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूर्वी यू० पी०, तराई के इलाके और पहाड़ी इलाके में जितना मादक द्रव्यों का सेवन लोग चरस, गांजा या शराब के रूप में करते हैं दूसरे लोग उनसे कम करते हैं। पंजाब के हिस्से में भी शराब पी जाती है, लेकिन वहां तम्बाकू, चरस और गांजे का कम सेवन होता है। उसी तरह से डकन में भी कुछ दूसरे मादक द्रव्यों का सेवन होता है। पूर्वी यू० पी० और पहाड़ी इलाके में शराब की खपत ज्यादा होती है। तो स्थान विशेष का प्रभाव भी मादक द्रव्यों के सेवन पर पड़ता है। इसके बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि समाज के अन्दर जो कुरीतियां पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हैं और जो एक तरह से प्रचलित सामाजिक प्रथा सी हैं जहां कि विशेष मौकों पर मादक द्रव्यों का सेवन अनिवार्य समझा जाता है, वे रूढ़िवादी कुरीतियां भी समाप्त हों, इसका भी कुछ न कुछ प्रबन्ध करना पड़ेगा।

मान्यवर, मैंने देखा है कि आज हमारे देश की यह हालत है कि आप स्वयं लखनऊ शहर की किसी पान की दूकान पर खड़े हो जायं तो आप बहुत से लोगों को वहां सिगरेट और बीड़ी पीते हुए पायेंगे। दस-दस और बारह-बारह वर्ष तक के बच्चे बीड़ी और सिगरेट पीते हुए पाये जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पश्चिम के भी कई देशों में नाबालिग बच्चों के मादक द्रव्य सेवन करने पर प्रतिबन्ध है और मैं नहीं जानता कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार से इस अवसर पर हम यह उम्मीद करते हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी भी अपने प्रस्ताव में इस संशोधन को स्वीकार करेंगे कि सरकार अविलम्ब इस सदन में एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके जिससे छोटे बच्चे जो १८ वर्ष से कम के हैं उनके बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, शराब आदि मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। अगर ऐसी प्रतिबन्धात्मक कोई कार्यवाही की जाय तो मैं यह भी चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे १८ वर्ष से कम के बच्चों को इस बात की जानकारी होना अनिवार्य हो कि इनसे क्या-क्या बुराइयां होती हैं। शिक्षा प्रणाली में इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये कि मादक द्रव्यों के सेवन का कुपरिणाम भी उनको बतलाया जाय। अगर सरकार इस रास्ते पर चलेगी और इस प्रकार की व्यवस्था बनायेगी तो हो सकता है कि मादक द्रव्यों के निषेध के लिये जो विधेयक इस सदन में लाने का उसका विचार है, उसमें वह सफलता प्राप्त कर सकती है।

श्रीमन्, यों तो मादक द्रव्यों के निषेध के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बेसिस पर कोई विधेयक केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यू० पी० ने इस तरह का कोई विधेयक पास भी कर दिया और वह ऐक्ट भी बन गया और बिहार, मध्य प्रदेश तथा नेपाल में मादक द्रव्यों का सेवन चालू रहा तो मादक द्रव्य निषेध के सम्बन्ध में हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाई प्रस्तुत होगी। श्रीमन्, प्रमाण स्वरूप में आपसे कहना चाहता हूं कि कानपुर में मादक द्रव्यों पर निषेध है और वहां शराब भी नहीं बिक्री होती है और यहां लखनऊ में कोई मादक द्रव्य पर निषेध नहीं है। श्रीमन्, हमने देखा है कि कारों में बैठ कर बड़े-बड़े लोग, फैक्टरियों के इंस्पेक्टर, सरकारी अहलकार, मिलों के मालिक और कपड़े के बड़े-बड़े व्यापारी लखनऊ में आते हैं और यहां से

[श्री रामेश्वरलाल]

कारों में बोतलें रख-रख कर कानपुर को ले जाते हैं और कानपुर में खुले आम उसका सेवन चल रहा है। तो फिर जब कि कानपुर में नशाबन्दी हुई और लखनऊ में नहीं हुई तो उसका कानपुर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार को इस तरह का एक प्रस्ताव नेशनल प्रस्ताव के रूप में पेश करने के लिये कहे जिससे तमाम देश के अन्दर, सारे प्रान्तों में मादक द्रव्यों का पूर्णतया निषेध हो जाय। मुझे आशा है कि माननीय मौर्य जी अपने प्रस्ताव में मेरे इस संशोधन को सम्मिलित कर लेंगे जिससे उनकी मंशा के साथ-साथ हमने जो अपनी मंशा व्यक्त की है वह भी सफल हो जायगी। मुझे उम्मीद है कि माननीय मौर्य जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। यह संकल्प हमारे इस प्रदेश के ही नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की स्वर्णिम कल्पनाओं का नेतृत्व करता है। हम समझते हैं कि अगर हम सचमुच लगन के साथ इस राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो यह निर्विवाद है कि हमें इस राष्ट्र के अन्दर से वह बड़ी-बड़ी बुराइयां खत्म करनी चाहिये कि जिनके कारण केवल चन्द व्यक्ति ही नहीं बल्कि अधिकांश जनता पीड़ित है, जिसके कारण अधिकांश जनता के घरों में तबाही आ रही है, जिसके कारण हमारे राष्ट्र के नौजवान और बच्चों के स्वास्थ्य बरबाद हो रहे हैं और जिसके कारण गरीबों का धन दौलत खसोटा जा कर चन्द व्यक्तियों की जेबों में जा कर या तो सरकार के खजाने में जाता है या अधिकारियों में उड़ाया जाता है।

मैं तो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि अपने राष्ट्र के नौजवानों और बच्चों के स्वास्थ्य को इस बड़ी बुराई से बरबाद करके, उनके धन दौलत को लूटें और खसोटें और उस लूट खसोट के पैसे को चन्द व्यक्तियों के हवाले करके या सरकार के खजाने में लेजा कर देश के भविष्य पर कुठाराघात करें। क्या इसी कमाई से देश का भला होगा, देश का उत्थान होगा? हम समझते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय सरकार जो कि अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहती है, कोई भी सरकार जो ईमानदारी की दोहाई देती है या कोई भी सरकार जो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है, उस सरकार के सामने यह प्रश्न नहीं रह जाता कि वह बुरे तरीकों से या बुरी चीजों का व्यवसाय कर के राष्ट्र को पतन की ओर ले जाय। जिनको हम शराब की लत देते हैं, जिनको हम मौत देते हैं, जिनका हम धन दौलत लेते हैं, जिसके एवज में हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य को खत्म करते हैं, घरों के जलते चिराग बुझाते हैं—क्या इन तरीकों से, इन व्यवसायों से कोई भी राष्ट्र ऊंचा उठ सकता है? हरगिज नहीं। कभी इस चीज को देखने का प्रयास यहां की सरकार ने नहीं किया कि उसके खजाने में इस बुराई से जितना रुपया आता है उसके मुकाबले में जरा वह उस लुटती हुई तन्दुरुस्ती की कीमत का तखमीना लगाये कि जिन नौजवानों और मासूम बच्चों की तन्दुरुस्तियां बरबाद होती हैं कितना सामान, मकान, जायदाद और आबरू नीलाम होती हैं, कुर्कियां होती हैं, कितनी माताओं और बहिनों के जेवर खसोटे जाते हैं, बच्चों को भूखा रख कर शराबें पी जाती हैं क्या हम ऐसे धन दौलत की लूट के पैसे से राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? हम समझते हैं कि अगर सरकार के खजाने में दस करोड़ या पचास करोड़ रेवेन्यू भी इससे आती है तो इस ५० करोड़ की रेवेन्यू के एवज में हम राष्ट्र की जनता की तन्दुरुस्ती की अरबों और खरबों की तबाही को न्योता देते हैं, ऐसा राष्ट्र अपने उत्थान का कोई दरवाजा नहीं खोल सकता, जिसमें बुराइयों को तन्दुरुस्ती के हनन के लिये बेचा जाता हो। मुझे मालूम है कि पौड़ी में कांग्रेस की दुकान के सामने एक शराबी गुजरा तो वह सफेद टोपी को लक्ष्य कर के कहता था कि हमारी सरकार ने शराब की दुकानें खोली हैं, क्या सरकार नहीं जानती कि जब पैसा लिया जाता है तो उसकी शराब पी जायगी, जब हम पीते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य गिरता है, दिमाग बिगड़ता है, वारदातें होती हैं, जेल में बन्द किये जाते हैं, मुकदमें चलते हैं, जुरमाने होते हैं और मार पड़ती है। तो यह कहां तक ठीक है

कि सरकार पैसा भी लेती है। और इस तरह से जोर जुल्म भी करती है। हम कहते हैं कि इस प्रगति के जमाने में, इस कान्शसनेस के जमाने में शराब का बेचना, दूकानें खोलना देश के उत्थान के जमाने में किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आज जो यह कहते हैं कि मद्य निषेध करने से सरकार के खजाने में पैसा कम आयेगा वे अपने देश के भविष्य का विचार नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ जिलों के एक भाग से शराब की दुकानों को बन्द कर दिया गया तो उन जिलों के दूसरे भाग में शराब की दूकानें अभी जारी हैं। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा, जितनी जल्दी हो सके हमें उन शराब की दूकानों को खत्म करना चाहिए। सारे गढ़वाल से शराब की दूकानें बन्द कर दी गईं परन्तु गढ़वाल का दरवाजा जिसको कोटद्वार कहते हैं उस फाटक पर खुले आम शराब की दुकानें हैं और वह शराब बार्डर तक बेची जाती है। मेरी समझ में नहीं आता इस तरह से दुकानें बन्द कर देने से हमारा क्या मकसद हल हुआ। यही नक्शा हमारे मैदानी इलाके का है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अधूरे कदम को हम जस्टीफाई नहीं कर सकते। कोई भी तर्क, कोई भी तथ्य हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे कि हम अपने अधूरे कामों को उचित सिद्ध कर सकें। मैं यह चाहता हूं कि तत्काल हमारी सरकार एक पालिसी निर्धारित करे। हाफ हार्टेड कदम उठाने से कोई लाभ नहीं होगा।

जितने इसमें संशोधन मूव किये गये हैं, जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने एक संशोधन पेश किया है, मैं उन तमाम संशोधनों का समर्थन करता हूं, क्योंकि वे संशोधन जो हैं कतई इन्नोसेंट हैं। उनके अपनाये जाने से कोई भी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का या हमारे समाज का अनहित नहीं होगा बल्कि उससे हमारा हित होगा। माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी ने जो प्रेरणा इस सदन में दी है उसकी मैं सराहना करता हूं। फिर हम एक बार अपने अतीत की ओर दृष्टिपात करें जब कि हम भारतवर्ष के कोने-कोने में, गली और कूचों में झंडे लेकर दाखिल होते थे और हमने जनता के सामने जाकर ये दृढ़ प्रतिज्ञायें की हैं कि हम इस देश से हर बुराई को खत्म करके रहेंगे और हमारी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हम शराबखोरी को इस देश से मिटा देंगे। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग हो। यहां इस देश के अन्दर कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से सिस्टेमेटिकली हमारे राष्ट्र का विकास हो ऐसा न चाहता हो, परन्तु उस राष्ट्र के विकास को जब कोई सेबोटेज करता है, जो उसे अंडर-माइन करता है, जो राष्ट्र के करेक्टर को खोखला बना देता है, जो राष्ट्र की शक्ति का ह्रास करता है, जो राष्ट्र के खजाने को तबाही की ओर ले जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे जबरदस्त रोग का हमारी सरकार को डट कर मुकाबिला करना चाहिये। अगर भारतवर्ष के अन्दर चरित्र की कमी हो जाती है, अगर भावी संतान का चरित्र तबाह कर के हम रुपया पैसा इस देश के अन्दर पैदा करते हैं तो क्या हम इस देश को समृद्धिशाली कर सकते हैं जिस देश के अन्दर बुद्धि नहीं है, जिस देश की बुद्धि का दीवाला हो गया हो, जिस देश के चरित्र का दिवाला हो गया हो क्या वह देश समृद्धिशाली कहा जा सकता है? सोने और चांदी से कोई देश नहीं उठा करता। राष्ट्र अपने नैतिक बल के आधार पर ही खड़े हुआ करते हैं। नैतिक बल के आधार पर ही उनका विकास हुआ करता है, रुपये पैसे से किसी राष्ट्र का विकास नहीं हुआ करता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि टी० बी० के पेशेंट को आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाइये, आप उसको अच्छे से अच्छा खाना दीजिये लेकिन जिसकी शक्ति का ह्रास हो चुका है वह सुन्दर वस्त्र और खाना उसकी जिन्दगी को बचा नहीं सकते। इसी प्रकार वह राष्ट्र जिसका चरित्र खत्म हो चुका है, जिसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, जिसका नैतिक बल खत्म हो चुका है, सोने और चांदी का ढेर उस देश के रोग को नष्ट नहीं कर सकता, उसको जिन्दा रखने का कोई सहायक नहीं हो सकता।

इसलिए मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं द्वारकाप्रसाद जी मौर्य को। उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने गत वर्षों के प्लेजेज के ऊपर एक

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बार दृष्टिपात करें कि आज हमने कहां तक प्रगति की है कहां तक हमने उसमें सफलता हासिल की, कहां तक हमने जनता के विश्वास को बढ़ाया है, कहां तक हमने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है ? मैं निहायत अदब के साथ उपाध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करना चाहता हूं। हम लफ्जों तक ही, केवल जबानी शब्दावलियों तक ही अपने देश की तरक्की के समर्थक न हों। हमारी सुन्दरता, हमारे विचारों की सुन्दरता, हमारे विचारों का प्रकाश केवल हमारी स्पीचेज जो रिपोर्टें किताबों में छपती हैं उन्हीं तक महदूद नहीं रहनी चाहिये बल्कि जब तक उसको हमारी जनता के अन्दर, हमारे विचारों की शक्ति इस भारतवर्ष की हर झोपड़ी तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम जनता को सद्बुद्धि और सदाचार देने में समर्थ नहीं होते हैं। जब तक हम जनता को चरित्र देने में और उस चरित्र का विकास करने में सफलीभूत नहीं होते तब तक सारे अमेरिका के खजाने को इस भारतवर्ष के कोने-कोने में बिखेर कर के भी भारत को ऊंचा उठाने में समर्थ नहीं हो सकते। असली ताकत इंसान के चरित्र में, बुद्धिबल में, नैतिक बल में निहित हुआ करती है। जो देश इन मामलों में खोखला होता है, जो अपनी अंदरूनी समृद्धि से खाली होता है और बाहर से सारी समृद्धि को समेटना चाहते हैं उस देश की जिन्दगी के दिन इने-गिने होते हैं। वह देश ज्यादा दिनों तक संसार में जीवित नहीं रह सकता इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस सरकार को मजबूर करें कि हम इन बुराइयों को इस प्रदेश से ही नहीं बल्कि समस्त भारत से जड़ से उखाड़ दें। इन्हीं शब्दों में मैं माननीय मौर्य जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--डिप्टी स्पीकर महोदय, मौर्य जी ने जो संकल्प हम लोगों के सामने पेश किया है मैं उसके ऊपर उनको बधाई देता हूं। उन्होंने एक ऐसा अहम मसला हमारे सामने पेश किया है जिस पर बड़े गौर की जरूरत है। यह सही है कि प्राहिबिशन का मसला ऐसा नहीं है जो पार्टी क्वेश्चन हो। यह एक ऐसा मसला है जिसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। यह भी सही है कि हमारे इस सूबे में गुजिश्ता कई साल से प्राहिबिशन जारी है और तकरीबन ग्यारह जिलों में और दो तीन बस्तियों में नशीली चीजों का बेचना और उनका इस्तेमाल मना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह प्राहिबिशन यहीं पर खत्म हो जाय या इसको और बढ़ाया जाय। और अगर यह प्राहिबिशन बढ़ाया जाय तो उसके क्या फाइनेंशल इम्प्लीकेशंस होंगे और यह क्यों कर मुमकिन हो सकता है। यह है जो मकसद मैं इस रेजोल्यूशन का समझा हूं। यह सही है कि वह जो प्राहिबिशन हमारे सूबे के अन्दर चल रहा है उसके नतायज से हम मुतमईन नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन दो ढाई करोड़ रुपये की आमदनी इस प्राहिबिशन की नजर हो चुकी लेकिन उससे वह नतायज जो हम ख्वाहिश रखते थे कि बरामद हों वह बरामद नहीं हो सके। प्राहिबिशन के जरिये यह सही है कि कुछ लोगों को इस बात से मना कर दिया गया है कि वह नशीली चीजों का इस्तेमाल न करें। लेकिन उसके जरिये हम लोगों के अखलाक बेहतर करना चाहते हैं हम उनकी माली हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं, जरायम का इंसदाद करना चाहते हैं अगर इस कसौटी पर प्राहिबिशन को देखा जाय तो इसमें बहुत सी खामियां निकलेंगी। इस हाउस के अन्दर एक से ज्यादा मर्तबा बार-बार यह बात याद दिलाई गई चूंकि हम प्राहिबिशन को चला रहे हैं उस पर करोड़ों रुपये सर्फ कर रहे हैं और जिस वक्त टोटल प्राहिबिशन तमाम सूबे में हो जायगा तो तकरीबन ७ करोड़ का घाटा हमको आयेगा। यह घाटा आसमान से तो बरस कर पूरा होगा नहीं, बल्कि इसकी कहीं न कहीं फिक्र करनी पड़ेगी। इसलिये पहले यह भी जांच करनी है कि जो रुपया हम प्राहिबिशन पर सर्फ कर चुके हैं उसका क्या नतीजा निकला। मगर मुझे अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि इस हाउस और बजट की बारबार तकरीरों में याद दिलाने के बावजूद भी कि गवर्नमेंट ऐसी कमेटी एक बनाये जो इस बात की जांच--पड़ताल करे कि सूबे के अन्दर जो प्राहिबिशन जारी रहा उसमें क्या खामियां हैं, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। आज तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बैठ सकी, न हमारे सामने कोई तफसीली रिपोर्ट आ सकी इस महकमे से जिससे अन्दाज लग सकता कि वाकई प्राहिबिशन कामयाब रहा।

जनाबवाला, हम बजट की तकरीरें भी बारबार सुनते रहे और हमेशा इस बात की आस लगाते रहे कि आइन्दा बजट के मौके पर शायद दो या तीन जिलों में और प्रहिबिशन बढ़ाया जायगा। लेकिन बजट की तकरीर सुन कर बड़ी मायूसी हुई, इसलिये कि बारबार यही कहते सुनने को मिला कि प्रौहिबिशन बढ़ाया नहीं जा सकता, माली दिक्कतें हैं उनकी वजह से प्राहिबिशन का बढ़ाना मुश्किल है और उन्हीं जिलों में वह काम जारी रहेगा जिनमें अब तक है। अगर उन्हीं जिलों में वह काम इस तरह से जारी रहता जिससे प्राहिबिशन सही माने में चलता तब भी ठीक था। लेकिन ऐसा भी नहीं है। लोग अक्सर एतराज करते हैं कि गांवों में भट्ठियां खुल गई हैं, लोग शराब के उस जमाने से ज्यादा आदी हो गये हैं जैसा कि वह प्राहिबिशन से पहले थे। हमें बारबार यह क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट हाफ हार्टेड वे में इस पालिसी को चला रही है जिससे मालूम होता है कि वह वाकई खुद इसमें बिलीव नहीं करती। बल्कि सिर्फ इस वजह से कि वह एक पालिसी है, कांस्टीट्यूशन का डायरेक्टिव है, प्लानिंग कमीशन ने इस बात के लिये हमें जोर दिया है, इसलिये वह ऐसा चला रही है। मैं मानता हूं गवर्नमेंट की हरगिज यह मंशा नहीं है, गवर्नमेंट इसके लिये बहुत ही सीरियस है और चाहती है कि सूबे के अन्दर प्राहिबिशन हो जाय। लेकिन बहरहाल यह दूसरी बात इस किस्म की है, लोगों के दिलों में बहुत शक डालती है। इसलिये मैं फिर एक मर्तबा अदब से कहना चाहता .....

एक सदस्य--सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुल्तान आलम खां--मैं बहुत अदब से फिर गवर्नमेंट से दर्ख्वास्त और इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक छोटी सी कमेटी बना दे जो इस बात की जांच करे कि प्राहिबिशन पर जो रुपया सर्फ हो रहा है उसका मसरफ कहां तक ठीक है, प्राहिबिशन कहां तक कामयाब है, उसमें क्या खामियां हैं और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है और खास तौर पर जो एतराजात जानकारी न होने की वजह से जनता के दिल में पैदा हो गये हैं वे भी दूर हो सकें।

अब यह असल मसला जो इस वक्त है वह यह है कि टोटल प्राहिबिशन तमाम सूबे के अन्दर ३१ मार्च, १९५८ से फैला दिया जाय और उसके लिये कुछ अमेंडमेंट्स भी आये हैं। मेरे दोस्त गेंदा सिंह जी ने एक अमेंडमेंट दिया है कि उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन्स को देखते हुए उन्होंने यह तजवीज की है कि २५ हजार रुपये से ऊपर की आमदनी रखने वाले लोगों पर टैक्स लगा दिया जाय और उन्होंने यह भी तजवीज की है कि जो लोग एक हजार रुपये से ज्यादा माहवार पाते हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जाय या उनको उससे ऊपर तनख्वाह न दी जाय।

इसके अलवा और भी अमेंडमेंट आये हैं। पालीवाल जी ने एक अमेंडमेंट दिया है कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द नफ़ाज करे। गेंदा सिंह जी ने जो अमेंडमेंट दिया है उसके मुताल्लिक इस वक्त हूं मैं न तो उस की ताईद कर सकता हूं, न उसकी तरदीद कर सकता हूं इस वजह से कि मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है उस के इम्प्लीकेशंस और काम्प्लीकेशंस क्या होंगे जब तक कि इस को वर्क आउट न किया जाय, इसको केलकुलेट न किया जाय कि इसके जरिये से कितनी आमदनी हो सकती है और कितने रुपये की हमको जरूरत होगी।

यह सही है कि अगर सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाना है तो हमको यह जरूर करना होगा कि उंचे तबके के लोगों पर टैक्स का बोझ ज्यादा डालना होगा और कम आमदनी जिनकी है उनको उससे अलग करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी

[श्री सुल्तान आलम खां]

स्टेट और हमारा मुल्क इस वक्त प्लानिंग और डेवलपमेंट की तरफ रुजू है और जब कभी हमारे सामने प्राहिबीशन का सवाल आया तो यही सुनने को मिला कि चूंकि डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिये रुपयों की जरूरत है इसलिये हम इस वक्त बिलकुल प्राहिबीशन नहीं लागू कर सकते। एक हद तक यह बात ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि खुद प्लानिंग और डेवलपमेंट में प्राहिबीशन के लिये क्या रखा गया है? प्लानिंग और डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम अपनी मारेल तरक्की करें, स्पिरिचुअल तरक्की करें, अपनी जरूरियात को पूरा करें और क्या यह सही नहीं है कि उन तमाम जरूरियात के साथ-साथ शराबखोरी और नशीली चीजों से दूर रहने के लिये कोई योजना अगर बनाई जाय तो क्या यह उस में नहीं आती? मेरे खयाल से प्लानिंग के अन्दर इसके लिये काफी गुंजाइश है लेकिन हमें अफसोस है कि प्लानिंग के अन्दर इतना रुपया जो खर्च होता है, हजारों रुपया सड़कें बनाने में कलवर्ट्स बनाने में खर्च होता है, हमारी गवर्नमेंट का बहुत उम्दा रिकार्ड है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट के हर मुहकमें में गवर्नमेंट ने काफी रुपया खर्च किया है और सूबे की सूरत बड़ी हद तक बदली है लेकिन सवाल यह है कि जहां इन तमाम चीजों के ऊपर खर्च होता है वहां क्या प्राहीबीशन के लिये हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते? अगर हम कुछ रकम काटछांट करके उस में लगायें तो अपने बजट में हम उतनी रकम अपने अखराजात के हिस्से में से निकाल सकते हैं। अगर हम उस में रुपया लगायें तो हमें इस बात की जरूरत नहीं होगी कि इस को सेल्फ सफिश्यंट बनाने के लिये हम इनकम साइड में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ देखें। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इस योजना को खास तौर पर एक डेवलपमेंट और प्लानिंग की योजना मान लें और समझ लें तो हमारी दिक्कतें और दुश्वारियां भी बड़ी हद तक दूर हो जायेंगी। बाज मर्तबा यह भी एतराज होता है कि प्राहीबीशन कामयाब नहीं हो सकती। मैं भी उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि प्राहिबीशन का काम बहुत दुश्वार है। प्राहिबीशन का काम आसान काम नहीं है। इसके लिये बड़ी मेहनत और बड़ी पब्लिसिटी, प्रोपोगंडे की जरूरत है। इसमें बहुत मेहनत के साथ काम किया जाय तब कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं जो इस बात को मानने को तैयार हैं कि यह तजुर्बा जब अमेरिका में हुआ था और वहां एक मर्तबा नाकामयाब हुआ तो हिन्दुस्तान में भी नाकामयाब होगा।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस सिलसिले में इस किस्म के लोगों के लिये जो दलीलें दी गई हैं उनके लिये मेरे पास एक किताब है। ह्वाई प्राहिबीशन। उस में वजह दी हुई है प्राहिबीशन के लिये। मैं वह व्यूज यहां पढ़ देना चाहता हूं—

"The view that Prohibition failed in America should not therefore be accepted unquestioningly. Even if it fails there in the future, it does not follow that it will fail in India also. We have many points of advantage over America in this respect. (1) Our liquor trade is not so wealthy and well organized as that of the U. S. (2) Only a small percentage of our people drink, which means that if handled efficiently now, the drink evil can be nipped in the bud before it has had a chance of getting entrenched as it appears to be in the U. S. (3) Public opinion in India is already for the most part against drink. This is not the case in the U. S. In fact, if there is one country in the world, eminently fitted to make Prohibition a success it is India."

इससे यह जाहिर होता है कि हमारे यहां लोगों में इस बात की भावना भी है कि वह प्राहिबीशन को कबूल करें। हम प्राहिबीशन को करना चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, कांस्टीट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपिल भी इस का मौजूद है और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन की भी यही

ख्वाहिश है लेकिन इस के बावजूद प्राहिबीशन अगर अब तक नहीं हो सका तो इसकी दलील यह सुनने को मिलती है कि फाइनेंशयल इम्प्लीकेशंस की वजह से इस को तरक्की नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर गवर्नमेंट इस के लिये तैयार हो तो एक कमेटी बैठाये और उस से जांच करायी जाय कि जो प्राहिबीशन में दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, जिनकी वजह से वह पूरे तरीके पर कामयाब नहीं हो सकी, उस को पूरा करने की कोशिश की जाय और इसके साथ-साथ उसके टर्म्स आफ रेफ़रेंस में यह भी रखा जाय कि वह कमेटी जांच करे कि टोटल प्राहिबीशन के लिये किन-किन रिसोर्सेज़ की जरूरत है और वह किस तरह से टैप किये जा सकते हैं। इसके लिये जो तजवीजें हमारे सामने आई हैं, मसलन गेंदासिंह जी की तजवीज़ कि मजीद टैक्सेशन किया जाय या जो बड़ी तनख्वाहें हैं वे कम की जायं, ये स्कीमें भी एग्जामिन की जा सकती हैं और जो भी मुमकिन प्लान हो वह एग्जामिन किया जा सकता है और हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई चीज पक्की हो जानी चाहिये। हम एक दफा फैसला कर लें, हम अपने दिल को मजबूत कर लें और इस बात के लिये तैयार हो जाय कि वाकई में अगर हमें प्राहिबीशन से नफा उठाना है तो वह पीसमील तरीके पर नहीं हो सकता, बल्कि टोटल प्राहिबीशन के जरिये ही वह मुमकिन है। टोटल प्राहिबीशन जब तक सूबे में नाफ़िज न किया जाय तब तक हम उससे पूरा नफा हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर प्राहिबीशन के लिये इस तरीके से बढ़ा जाय कि चन्द जगह प्राहिबीशन लागू कर के आगे न बढ़ा जाय तो इस से बेहतर यह होगा कि प्राहिबीशन को टोटली स्क्रैच कर दिया जाय और उस से जो रुपया बच जायगा वह दूसरे प्लानिंग और डेवलेपमेंट के कामों में सर्फ किया जाय।

यकीनन अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस प्राहिबीशन का फायदा जनता को पहुंच सके तो हमारा एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब हो सकता है जब टोटल प्राहिबीशन हो जाय और टोटल प्राहिबीशन करने के लिये जो जरूरी सामान की जरूरत है, जैसे रुपये की जरूरत है, जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ को मीट करने की जरूरत है, उस के लिये हम एक कमेटी के जरिये से सोच-विचार करें, लेकिन वक्त इसमें बहुत बड़ा फ़ैक्टर है। इस काम को जल्दी से जल्दी होना चाहिये इसलिये गुजिश्ता ५–६ साल से गो बार-बार वह तजबीजें हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन कोई खातिर-ख्वाह तरक्की की सूरत अब तक देखने में नहीं आई। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले को राइट अर्नेस्ट में देखना चाहिये और मैं इस तरीके पर मौर्य जी के उस रेज़ोल्यूशन की जो उन्होंने हाउस के सामने पेश किया है, ताईद करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं।

यों तो मद्य का विषय मनुष्य समाज में और खास तौर से हमारे भारतवर्ष में एक विशेष विषय रहा है, अन्त में एक बात हम देखेंगे कि कभी समाज ने इस को एक अच्छे रूप में नहीं लिया। सबसे पहले सन् १३१० में अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य का निषेध भारत में किया, पूरे राज्य में पूरे तरीके से किया था। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य के काल में और विशेष प्रकार से जहांगीर के काल में मद्य का रिवाज भारत में बढ़ गया। परन्तु औरंगजेब ने, हम से छिपा नहीं है कि बहुत कड़ाई के साथ सारे देश में मद्य निषेध लागू किया। इसके बाद अंग्रेजों का काल आता है। वह पहला काल है जिसमें हम यह देखते हैं कि आय लेने के लिये शराब की दुकानें खोली गयीं और यह सन् १७९० में इंडियन एक्साइज़ ऐक्ट द्वारा हुआ। इससे पहले हमने भारतवर्ष के इतिहास में नहीं देखा कि शराब की दुकानें इसलिए खुलवाई जायं कि सरकार को आय हो, नफा हो। सन् १८७५ से १९०५ तक यही नहीं रहा कि शराब की दुकानें खोली जायं, बल्कि सरकार की यह नीति भी देखने में आयी कि बाहर की शराब बड़ी मात्रा में भारतवर्ष में आई और उसका यह परिणाम हुआ कि मद्य का आयात हमारे देश में ७ लाख टन से लगभग १२ लाख टन हो गया, तब कुछ चिन्ता हुई और सन् १९०५ में इंडियन एक्साइज़ कमेटी ने उसके ऊपर कुछ सोचा।

[श्री जगदीश प्रसाद]

उस समय इन्डियन एक्साइज कमेटी ने कहा है कि :—

"The consumption of all classes of foreign liquor has largely increased, the cousumption of its unless property controled is liable to lead to much drunkenness—

The consumption of country beers is causing much drunkenness in certain areas and the beers made are sometimes very deleterious."

"विदेशी मद्य का खर्च बहुत बढ़ गया है और ताड़ी यदि रोकी न गयी तो बहुत बढ़ जायगी; देशी मद्य का खर्च बहुत बढ़ गया है और कभी-कभी वह बहुत हानिप्रद होती है।

उस समय की सरकार को सोचना पड़ गया कि मद्य का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। लेकिन सरकारी नीति यही रही। उसके बाद एक प्रस्ताव है और उसके अनुसार गवर्नमेंट आर्डर है। उसको पढ़कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। लेकिन उसमें कहा गया था कि हम शराब को रोकना तो नहीं चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत बढ़ा देना चाहते हैं जिस से शराब की बिक्री कम हो जाय और उस समय से हम देखते हैं कि सरकार की एक ही नीति रही कि शराब का मूल्य बढ़ाया जाये और उससे आमदनी कमायी जाये। इससे शराब बन्दी हो जाय तो हो जाय वरना कोई बात नहीं है और उसके परिणामस्वरूप १९२० में इन्डियन नेशनल कांग्रेस ने पहला प्रस्ताव पास किया कि मद्य निषेध का प्रोग्राम देश भर में रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद १९२५ में सेन्ट्रल असेम्बली में यह प्रश्न उठा और उस समय सेन्ट्रल असेम्बली ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि —

"This Assembly recommends to the Governor General that he be pleased to accept as the ultimate policy of Government the prohibition of production, manufacture, sale and import of intoxicating liquors save for medicinal and scientific purposes."

यह सब से पहला प्रस्ताव हमारी असेम्बली में आया लेकिन सरकार की नीति बदस्तूर वही रही और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप आपने देखा कि १९३० में महात्मा गांधी जी ने इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनाया और मद्य निषेध आन्दोलन में आदरणीय सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने कारावास की यात्रा की। हमने यह देखा कि गांधी-इर्विन पैक्ट में इसको इतना महत्व दिया गया कि और सब बातों पर फैसला करते हुए इस बात को रिजर्व रखा गया कि शराब पर से पिकेटिंग करने का हमारा अधिकार नहीं जायगा।

सन् १९३७ ई० में जब कांग्रेस शासन में आयी तो उसने मद्य निषेध की पालिसी को अपनाया और छः प्रदेशों में मद्य निषेध आरम्भ किया जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक था। इस के बाद कांग्रेसी सरकार कुछ दिनों के लिए नहीं रही और सन् १९४६ ई० में फिर कांग्रेस का शासन आया। उसने फिर से इस पालिसी को देश में चलाया। आज की स्थिति यह है कि हमारे देश के चार प्रदेशों में मद्य निषेध पूरी तौर पर लागू है। बम्बई, मद्रास, सौराष्ट्र और आंध्र, इनमें पूर्ण मद्य निषेध लागू है और ९ प्रदेशों में आंशिक मद्य निषेध है। पूरे प्रदेश की २८ प्रतिशत जनता और ३६ प्रतिशत क्षेत्र इस समय मद्य निषेध में आता है और हमारे प्रांत में जैसा कि आप जानते हैं कि ११ जिलों तथा तीन तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध है। इसके औचित्य के विषय में मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हमारे संविधान के डायरेक्ट प्रिंसिपिल्स में यह सन्निहित किया हुआ है तो फिर इसका अर्थ हुआ कि हम मानते हैं कि मद्य का प्रयोग अपने यहां नहीं होना चाहिए। और यह हमारे मौलिक सिद्धान्तों में माना गया।

मैं केवल थोड़ी सी बातें इस विषय में कहूंगा जो मद्य निषेध के विरोध में कही जाती हैं कि क्यों मद्य निषेध लागू न किया जाय। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित

जवाहरलाल जी नेहरू ने बम्बई गवर्नमेंट को १९५५ में उसके प्रोहिबिशन सप्ताह के अवसर पर एक मैसेज भेजा था और उन्होंने उसमें यह कहा था कि--

"This controversy is based on two factors : (1) the loss of revenue and (2) the difficulty of preventing breaches of the prohibition law and the manufacture of illicit liquor."

मद्य निषेध के विरोध में केवल दो बातों पर वाद विवाद है, एक तो यह है कि इससे स्टेट की आय की हानि होती है, राज्य की आय की हानि होती है। दूसरी यह कि पूर्ण तौर से यह लागू नहीं हो पाता है और ब्रीचेज होती हैं और यह तोड़ा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, पहले मैं आय के विषय को ही लूंगा। अभी हमारे साथी द्वारकाप्रसाद जी मौर्य ने बतलाया कि बम्बई ने इस सिलसिले में इतनी बड़ी आपकी कुरबानी की जो उनके बजट की १९ प्रतिशत आय थी और हमारे बजट की तो यह केवल साढ़े पांच प्रतिशत ही है। मदरास गवर्नमेंट ने जब अपने यहां १९३६-३७ में जब इसको प्रारम्भ किया तो उनकी इससे आय सबसे बड़ी आय से दूसरे नम्बर पर थी। सबसे अधिक आय मालगुजारी से और दूसरे नम्बर एक्साइज से। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी आशा करूंगा कि एक और दृष्टिकोण से भी हम इसको देखें। हम टैक्स लेते हैं तो किस लिए लेते हैं और उसका क्या उपयोग करते हैं? हम टक्स इसलिए लेते हैं कि जनता सुखी रहे, उसकी कुछ सेवायें हों, उससे सरकार चल जाय और जो रुपया आये वह निर्माण कार्य में लगे। उसकी शक्ल है अनाज की उपज बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना, कपड़ा बढ़ाना, मकान बनाना। आंकड़ों के हिसाब से हर एक रुपया जो सरकार एक्साइज से लेती है जनता को तीन रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार हम ५ करोड़ रुपये वसूल करने के लिए १५ करोड़ रुपये जनता से खर्च कराते हैं। और इस एक्साइज की आय का ५५ प्रतिशत मजदूर वर्ग से आता है। श्री खांडू भाई देसाई, जो केन्द्रीय सरकार के लेबर मिनिस्टर हैं, ने हिसाब लगाया कि तमाम देश के श्रमिक वर्ग की आय ५०० करोड़ रुपये है, जिसमें से ६० करोड़ रुपया मादक-द्रव्यों पर व्यय हो जाता है। अगर इस रुपये को उनके लिए मकान बनाने में लगाया जाय तो एक मकान पर तीन हजार रुपये लगा कर प्रतिवर्ष दो लाख मकान तैयार किये जा सकते हैं। शिक्षा में लगायें तो २० लाख बच्चों की शिक्षा मुफ्त हो सकती है। मद्रास सरकार ने इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि श्रमिक वर्ग एक वर्ष में १०८ रुपये प्रति व्यक्ति शराब पर खर्च करता है। और यह उस समय के आंकड़े हैं जब कि पर कैपिटा इन्कम २६५ रुपये थी। देश के तमाम श्रमिकों का हिसाब लगाया जाय, तो १०० रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। २६५ रुपये में १०० रुपया मादक द्रव्यों पर।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीशप्रसाद--अब अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह सवाल आयेगा कि अगर हम इस रुपये को बचा लेंगे तो क्या श्रमिक वर्ग इस रुपये को अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगा? मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा जो प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी ने इकट्ठे किये और जो हमारे लिए मान्य आंकड़े होने चाहिए। ये आंकड़े बताते हैं कि जो शराब पीता है वह खाने पर दो रुपये खर्च करता है और जो शराब नहीं पीता है वह खाने पर २६ रुपये खर्च करता है। जो आदमी शराब पीता है वह पान और बीड़ी पर २० रुपये खर्च करता है और जो शराब नहीं पीता वह बीड़ी और पान पर ८ रुपये खर्च करता है। ये आंकड़े तो अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने शराब पीने और न पीने वालों के रखे। अब मैं दूसरे आंकड़े आप के सामने रखता हूं, शराब पीने के समय के और शराब पीना छोड़ देने के बाद के। जब तक लोग शराब

[श्री जगदीशप्रसाद]

पीते थे, उस समय तक खाने पर वे ११ रु० १ आ० ३ पाई खर्च करते थे और पीना छोड़ने के बाद १५ रु० ७ आ० ९ पाई प्रति व्यक्ति खर्च करने लगे। इसी तरह शराब पीने के दिनों में कपड़े पर प्रति व्यक्ति १ रु० १० आ० खर्च करते थे और उसके बाद में २ रु० ५ आ० ७ पाई० प्रति व्यक्ति खर्च करने लगे। जब शराब पीते थे तो बिलकुल कोई पैसा नहीं बचाते थे। प्राहिबिशन होने के बाद १२ आ० ९ पा० प्रति व्यक्ति बचाने लगे। यह निर्माण नहीं है तो क्या है? यदि हम यह सोचें कि प्राहिबिशन करने से गवर्नमेंट की आय की हानि होती है तो हमारा यह सोचना गलत तरीके का होगा। इन्कम के प्रश्न को पेश करते समय मैं आपके सामने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने जो कहा है वह रखना चाहता हूं। वह कहता है—

"The fiscal aspect itself in the light of the avowed objective of the policy must undoubtedly be treated as secondary."

अगर हमारा कोई सिद्धान्त है तो वहां रुपये को सोचना कि हमारी आय कम होगी या ज्यादा होगी, यह गौण होना चाहिए, यह सेकेन्डरी होना चाहिए।

राष्ट्रपिता बापू ने इस विषय पर खास तौर से कहा है—

"Believe me, the deprivation to the Government of the drink revenue is of the least importance in a campaign (Prohibition). The country is simply impatient of the evil itself"

अगर मद्य निषेध करने से कुछ आय की हानि होती है तो वह सोचने के काबिल नहीं है। देश इस बुराई से व्यग्र है।

मैं अब इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। अब मैं आपके सामने इसका दूसरा रूप रखूंगा। अभी मैंने प्रधान मंत्री की रिपोर्ट से बतलाया था कि इसमें कानूनी दिक्कतें हैं, अपराध बढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अपराध बढ़ने का सम्बन्ध है एक बात साफ तौर से है। जब तक मद्यनिषेध लागू नहीं करते तब तक इल्लिसिट लिकर का बनाना पाप होता है। यही कहते हैं कि वह चीज बढ़ने लगी। जब तक हम प्राहिबिशन डिक्लेयर नहीं करते तब तक गैरकानूनी शराब बनना पाप होता है और बनाते हुए तथा उसके बरतन और औजार पकड़ सकते हैं और उसको सजा दे सकते हैं, उसका पीना व रखना जुर्म नहीं होता। दूसरी जगह बोतल में रखने के पश्चात् वह कानूनी हो जाती है। लेकिन जब प्राहिबिशन हो जाता है, उस वक्त पीना और रखना भी पाप हो जाता है। जब तक प्राहिबिशन नहीं है तब तक पीना पाप नहीं है और इसीलिए प्राहिबिशन के बाद के आंकड़े ज्यादा मालूम होते हैं कि वह बढ़ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इसमें यह कही गयी है कि अपराध के केसेज ज्यादा होते हैं और यह पूरे तरीके से लागू भी नहीं होता। दूसरी जगह की रिपोर्ट्स नहीं, आपको अपने ही प्रदेश की रिपोर्ट से एक भाग पढ़कर सुनाऊंगा—"पर मद्यनिषेध की योजना कार्यान्वित करने से उन शुष्क क्षेत्रों में आबकारी अपराध बहुत बढ़ जाते हैं अथवा बढ़ते जा रहे हैं। यह तर्क अथवा कुछ लोगों की यह धारणा निर्मूल ही है। शुष्क और खुले जिलों में अपराध स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं मालूम होता"। और मध्य प्रदेश के तो कुछ क्षेत्र के यह आंकड़े हैं कि जहां मद्यनिषेध था वहां अपराध ४८ प्रतिशत बढ़े और जहां नहीं था वहां ५२ प्रतिशत। अब यह बात हमारे सामने कही जाती है कि मद्यनिषेध के लिए वातावरण तैयार होना आवश्यक है। हमारे देश के आंकड़े यह हैं कि दस प्रतिशत लोग केवल शराब पीते हैं और स्त्रियों में हजार पीछे एक का भी औसत नहीं पड़ता। तो वातावरण के बनने के क्या अर्थ हैं? क्या ये दस प्रतिशत लोग जो पीते हैं वे कहने लगे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वीमेंस कान्फ्रेंस और सर्व सेवा संघ और न जाने किन-किन संस्थाओं ने अखिल भारतीय

स्तर पर खुले शब्दों में कहा है कि मद्य निषेध करो। दूसरे तरफ जितने आदमी शराब नहीं पीते, क्या उनमें से कोई ऐसा भी है जो यह कहे कि मद्य निषेध न करो, लेकिन क्या यह चाहते हैं कि जो शराब पीते हैं वे आ कर आप से कहेंगे कि शराब बन्दी करो। क्या जब वे कहने लगेंगे तब आप कहेंगे कि अब शराब बन्दी का वातावरण बना। तो यह कभी नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहने वाला था। यह प्रस्ताव संविधान के प्राहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सोचकर लिखा है, इसमें एक शब्द में भी परिवर्तन करना नहीं है।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी बड़ी मसर्रत है कि वह काम जो एक अर्से से इल्तवा में पड़ा हुआ था वह आज इस हाउस के अन्दर चन्द मुअज्जिज मेम्बरों की कोशिश से सामने आ गया। हमारी सियासी जिन्दगी की जब इब्तदा हुई थी तो हमने जो नारे बुलन्द किये थे महात्मा गांधी की लीडरशिप में उनमें यह भी एक था और जिस तरह से कोई मजहबी बातों को मानता है उसी तरीके से हमने अपनी सियासत का एक उसूल बनाया था और उस पर अपना पूरा ईमान और यकीदा रखा था कि उसके बग़ैर न हमारे मुल्क की इस्लाह हो सकती है और न भला हो सकता है और न हमारा मुल्क सही मानों में मुल्क ही कहलाया जा सकता है। जहां हमने विदेशी लोगों को, उनके असरात को हिन्दुस्तान से बाहर करना चाहा था, मेरा मतलब उनसे नहीं है जो यहां रहते थे, बल्कि उनसे है कि जो यहां पर हुकूमत करते थे, वहीं हमने बहुत सी बाहर से आई हुई चीजों को भी हिन्दुस्तान के बाहर करना चाहा था और किया और उसी तरह से चन्द आदतों को भी, जो हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा हो गई थीं उनको भी खत्म करना चाहा। गांधी जी ने इसी के साथ-साथ एक ट्रेनिंग भी हमको दी थी। उनकी मौत के बाद हम पोलिटिकली तो आगे बढ़ गये हैं लेकिन हमारी वह ट्रेनिंग रुक गई। हम वह मकसद हासिल नहीं कर सके जो कि हमको हासिल करना चाहिये था। जब हमने आजादी की जद्दोजहद में अपना सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, उस वक्त, जनाब वाला, आप को याद होगा कि हमने कुछ वायदे किये थे। उन वायदों में जमींदारी एबालिशन करने का वायदा भी एक था। हमने शराब बंदी के लिये भी कहा था कि पूरी तरह से नशाबंदी होगी। एक चीज हम हासिल कर चुके। एक वायदा जो हमने अवाम के साथ किया था उस को हमने पूरा किया। अब मेरे ख्याल में उस से ज्यादा अहम यह वायदा है। खुदा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से भी उसको पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है और सियासी जिम्मेदारी भी है और वह सियासी पेशवा जिसने एक एक आदमी को पोलिटिकल रोशनी दिखलाई, सियासत सिखलाई उस ने पूरी तरीके से इस बात का एलान किया था।

सन् १९२० में पंडित मोती लाल नेहरू जी जिन्दा थे जब महात्मा गांधी जी इलाहाबाद आये थे। उस वक्त वहां एक मीटिंग हुई थी। उसमें मैं भी मौजूद था। जहां और बातें उन्होंने कही थीं उन्होंने यह भी कहा था कि दिमाग और दिल को साफ करने के लिये और आत्मा को साफ करने के लिये, रूहानियत को पाक करने के लिए हमें कुछ चीजें सामने रखनी चाहिये और जब तक उन चीजों को सिद्ध न कर लें, उन चीजों को हासिल न कर लें उस वक्त तक हम एक बड़े मकसद में कामयाब नहीं हो पायेंगे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हमको मुकम्मिल तरीके से, बिला यह सोचे हुये कि हमारी आमदनी खत्म हो जायगी, जब हम आजाद होंगे उस समय नशाबन्दी कर देनी चाहिये। एकोनामिक फिलसफे के जानकार चाहे कुछ भी कहें लेकिन हमें कुछ सुनना नहीं चाहिये और हम को इस लानत को अपने मुल्क से दूर करना चाहिये लेकिन हमको देख कर हैरत होती है कि जब इतना एक अहम मसला, विषय यहां पर पेश है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री]

हमारी कैबिनेट के सिर्फ भाई गिरधारी लाल जी यहां बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को, हाफ़िज़ इब्राहीम साहब को और अलीजहीर साहब को भी, जो पहले इसके मिनिस्टर थे, यहां पर रहना चाहिये था और मैं तो चाहता हूं कि सारी कैबिनेट को यहां पर मौजूद रहना चाहिये था और इस मसले को पूरे तौर से सोचा जाता तो शायद हम लोग अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते और कैबिनेट को अपने हमराह कर लेते। लेकिन हमारे दूसरे मोहतरिम दोस्त गिरधारी लाल जी यहां बैठे हैं और उम्मीद है कि वह पूरी कैबिनेट को हम लोगों के ख़्याल से आगाह कर देंगे और बतलायेंगे कि हम लोगों के जज्बात क्या हैं, सदन के जज्बात क्या हैं और हम लोग इस मसले को किस निगाह से देख रहे हैं। वह जब दो मिनट के अपने जवाबी भाषण को देने के लिये खड़े होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम इतना तो जरूर कहेंगे कि आज से हमारे सूबे में नशाबन्दी मुकम्मिल तरीके से होगी और वह सिवाय दवाई के तौर पर लेने में, बीमारी वगैरह के दौरान में जब डाक्टर उस चीज़ को बता ही दें, और किसी तरह से इस्तेमाल न की जायेगी। हां, जो थोड़े से लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे उनको हम बाद में दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन वाक़ई मुकम्मल तरीके से नशाबन्दी चालू करेंगे और इस को इस किस्म से नाफिज करने के बाद इसको अमल में होते हुये भी आप देखेंगे कि सूबे के हर कोने में इस पर अमल हो रहा है या नहीं। यह आप की जिम्मेदारी है। आपको खुदा ने यह जिम्मेदारी दी है और आप को कौम ने भी यह जिम्मेदारी दी हुई है, आप कितने रिफार्म करते हैं यह क़ौम को दिखाना है। लेकिन जो हमारी मुक़द्दस तारीख़ है उसको देखते हुए मैं जनाबवाला से अर्ज़ करूंगा कि हमारे इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सब साहबान् इससे मुत्तफिक हैं और हमारी पेशानियों पर यह एक कलंक का टीका है। अगर हम नशाबन्दी नहीं कर सके और इसको यहां से न हटा सके तो यक़ीनन जनाबवाला, हम अपने फर्ज़ की अदायगी में कोताही करेंगे और शायद आगे आने वाली नस्लों को किसी तरह से अच्छी रोशनी नहीं दे पायेंगे और उनको अच्छा नहीं बना पायेंगे।

एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं। यह जो हमारा ५ साल का एलेक्शन का जमाना था वह अब ख़त्म होने वाला है और नया हाउस यहां पर आने वाला है। दिन बदिन नया जमाना आता जा रहा है। बावजूद इसके कि हमारे मुल्क के अन्दर पुरानी रोशनी चल रही है फिर भी विदेशी, मग़रबी रोशनी तमाम मुल्क पर छायी जा रही है। इस वक्त जब कि पुरानी तहज़ीब और पुरानी मज़बीयत के जानने वाले लोग इस सूबे के अन्दर मौजूद हैं अगर इनकी मौजूदगी में हम अपने मुल्क में नशाबन्दी नहीं कर सके तो आगे जो रौ आ रही है उससे कोई बच नहीं सकता है। आप देखेंगे कि हमारी पुरानी तहज़ीब की जगह पर यूरोप की तहज़ीब आ रही है। हम उसको कितना ही रोकने की कोशिश करें लेकिन उसको रोक नहीं सकेंगे और वह हमारी चौखट पर दिखाई देगी। आप देखते हैं कि लिबास बदल गया है, बात करने का तर्ज बदल गया है। आप मुल्क के किसी गोशे को ले लें, आप किसी रेलवे के स्टेशन को ले लें फौरन् तहज़ीब और ज़बान चल रही है। यह भी उस शराब का एक जुज़ है और वह गैर मुल्कों की तहज़ीब का एक हिस्सा रही है। टर्की की अन्दर इस्लाम जा चुका है। इरान में देखिये वहां पर जो लोग गये उन्होंने बताया कि वहां के होटलों में बस यही कहते सुनते हैं कि 'मरिहम प्यारी लाइये'। यह बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। आप इस हाउस के बाहर चलिये और देखिये कि चौराहे पर बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शराब का नाम लिखा हुआ है। हम सब लोग रोजाना वहां से गुजरते हैं। आज यह चीज़ तरक्की करती जा रही है। अगर गैरमुल्की तहज़ीब ने शराब को यहां पर आम कर दिया तो हमारी आने वाली नस्लें जो हमारे मुकाबले में कमजोर होंगी वह इस शराब का सख़्ती से मुकाबला नहीं कर सकेंगी।

मैं हुजूर वाला से यह अर्ज़ करूंगा कि इस हाउस का एक-एक मुअज्जिज़ मेम्बर इससे मुत्तफिक है। मैं जनाब से अर्ज़ करूंगा कि मुअज्जिज़ मिनिस्टर या जो गवर्नमेंट के साहबान

यहां पर नहीं हैं उन तक हम लोगों का यह पैग़ाम पहुंचाने की मेहरबानी करें कि इस मसले पर देर करने की जरूरत नहीं है। इस देरी को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। जल्द से जल्द इस नशाबन्दी को नाफिज़ कर के इस स्कीम को मुकम्मल तरीके से इस तरह से जारी करें कि सूबे के किसी भी गोशे में इस तरह से न रहे कि जहां पर इसको जारी न किया जाय। कोई सूबे का गोशा बाक़ी न रह जाय। इससे सूबे का फ़ायदा नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं और गवर्नमेंट की दिक़्क़तों से पूरी तरह आगाह हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो गवर्नमेंट की दिक़्क़तों को ख्याल न करते हों लेकिन मैं कहता हूं कि जब यह टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं तो हमारे सामने यह सवाल है कि अगर शराबबन्दी करदी गई तो गवर्नमेन्ट को एक बहुत बड़ी आमदनी बन्द हो जायगी। हमारे फाइव-ईयर प्लान भी हैं और उनमें कुछ कमी की जाय तो वह मुकद्दस चीज़ होगी बजाय इसके कि हम शराब से आमदनी करके उसे पूरा करें। आमदनी ही पूरा करना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कह कर थर्ड क्लास पर १ आना, सेकिन्ड पर २ आना और फर्स्ट पर ४ आना बढ़वा दीजिये और दूसरे डिपार्टमेंटों को हुक्म दें, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कहें, कि यह रक़म आवे, आपको घाटा नहीं होगा। लेकिन जब गवर्नमेंट हर अपनी बात को जायज़ कहने की कोशिश करती है और ज़िद करती है तो सिवाय प्रैस्टिज के कोई दूसरी बात नहीं दिखाई पड़ती है। हमारे ख्याल में शराब का चलते रहना हमारी मज़हबी, कौमी और सियासी कमज़ोरी है आज वे लोग भी जिन्दा हैं जिन्होंने अपने हाथ से हिन्दुस्तान से कब्ज़ा उठाया है, वे क्या कहेंगे कि हमने शराबबन्दी के खिलाफ बड़े-बड़े लोगों को जेल में भेजा और आज हम उसे जायज़ कहने की वजह ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से दलायल हैं जिन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद उनको जानती है और हर एम० एल० ए० जानता है और बड़े-बड़े मज़हबी दिमाग भी उससे मुत्तफिक़ हैं कि शराबबन्दी होनी चाहिये। जैसे अछूतोद्धार के लिये हमने काम किया है, उसी तरह से इसके लिये भी किया जाना चाहिये। कल हम अखबार में देखना चाहते हैं कि आज हमारे आनरेबिल मिनिस्टर ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं चाहता हूं कि बहुत पहले ही शराबबन्दी के लिये एक अधिनियम बन जाना चाहिये था। आपको याद होगा, पंडित आत्माराम गोविंद खेर के नेतृत्व में हमारी पीठ के अभी वे दाग नहीं मिटे हैं जिस समय शराब पर हम लोगों ने पिकेटिंग की और मार खाई। महात्मा गांधी ने कभी और इंडियन नैशनल कांग्रेस ने कभी अपने अधिवेशन में यह नहीं कहा कि शराब बन्दी न की जाय। हमको तो आशा थी कि जैसे ही हिन्दोस्तान आज़ाद होगा शराब-बन्दी हो जायगी और शराब ही नहीं, कांग्रेस ने जिन-जिन बातों के लिये कहा है वे सब पूरी की जावेंगी। वही लोग आज भी मौजूद हैं मगर कुछ आदतें बदल गयी हैं, कुछ मन बदल गया है, कुछ दिमाग बदल गया है, जमाने के साथ-साथ सरकार भी चल रही है। आज ज़माना अर्थ का गुलाम है और सरकार भी अर्थ की गुलाम हो गयी है। उसने जिस मसले को देखा है पहले यही सोचा है कि इससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। इस शराब की बंदी के मामले में भी उसने यही सोचा है। उससे मैं यही सोचता हूं कि इस शराब के टैक्स को कपड़े पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? कपड़ा खरीदने जाय पंडित बेचारा, वह साधु जैसे कि माननीय उमा शंकर जी, वह तो खद्दर पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिल का कपड़ा पहनते हैं वह बेचारे भी ऐक्साइज़ टैक्स देते हैं। तो सरकार को जो नहीं करना चाहिये था वह दृष्टिकोण अपना रही है और पैसे वाले मसले पर ही चल रही है। इसीलिये हमारे विरोधी दल के नेता ने सरकार के सामने संशोधन के रूप में एक सुझाव रक्खा है कि इसके करने से जो आमदनी कम होगी वह उनसे जिनके पास आमदनी बढ़ी हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाशंकर]

है, वसूल की जाय। जो उस आमदनी का दुरुपयोग करते हैं उनसे सरकार रुपया ले। मैं आज यह उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार को होश आयेगा।

एक बात और दुहरा दूं, कितने ही लोगों को यह याद भी होगी कि जब हम लोग शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर रहे थे तो एक सिपाही ने एक सत्याग्रही का कान पकड़ कर खींचा और उसके कान से खून बहने लगा। कई घटनायें इस प्रकार की हुई। इसलिये सरकार को कोई कड़ा अधिनियम बना कर रोक लगा देनी चाहिये। शराब बंदी के नाम पर, जब हम गुलाम थे तो हिन्दुस्तान की जनता से हमने वायदा किया था कि हम शराब बंद करेंगे वह हमारा साथ दे। हमने कहा था कि अंग्रेज हुकूमत को तुम खत्म करो ताकि हम शराब के दुर्गुण को बंद कर सकें। अंग्रेज तो चले गये, लेकिन वह क्या आपने किया? मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा बहुत बन्द करने का कदम उठाया भी था वह भी ढोंग मालूम होता है। जहां-जहां मादक द्रव्यों का बेचना बंद किया गया है वहां-वहां नाजायज भट्ठियां खुली हुई हैं। आज आसपास के जिलों की दुकानें खुली हुई हैं। आज जौनपुर में नशाबन्दी है, मगर बगल में थोड़ी दूर पर दुकानें हैं। आप वहां से आंकड़े मंगाइये। जब अंग्रेजी हुकूमत थी और जौनपुर में शराबबंदी नहीं थी, उस समय उस दूकान से कितनी बिक्री होती थी और आज उस दूकान की कितनी बिक्री होती है। आज उसकी बिक्री दुगनी तिगुनी हो गयी है। इसमें भी चोर बाजार चलता है। जौनपुर के जो आदमी खरीदकर ले जाते हैं वे वाजिब दामों पर नहीं बेचेंगे। सरकार की तो आमदनी घट गयी और जो शराब पीने वाले नहीं थे उन पर टैक्स लग गया। आज सब पार्टियों के सदस्य इसका समर्थन करते हैं कि सरकार के हाथ में जो अधिकार है उसके मुताबिक उसे शराब बंदी करनी चाहिये।

हम यह उम्मीद करते हैं कि सरकार चाहती नहीं है, अगर सरकार चाहती तो कोई अधिनियम बन गया होता। मगर इस हाउस के दबाव को सरकार मानेगी और इस हाउस की राय की इज्जत करेगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गांधी जी के नाम पर और नेशनल कांग्रेस के नाम पर जिनकी कमर पर बैठ कर वह इस गद्दी को भोग रही है उसकी कमर को मत तोड़वावे। हालां कि हिन्दुस्तान का यह रवैया रहा है लेकिन इसमें आपको एक्सेप्शन होना चाहिये। लेकिन आप एक्सेप्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां एक यह रिवाज चल रहा है कि जिस गाय को हम दुहेंगे उसी के बछड़े को मार डालेंगे और उसके चमड़े में पुआल भर कर दिखलाते हैं कि यह ठीक है, तुम्हारा बछड़ा यही है। तो यह चीज तो हमारे खून के साथ है और यह दोष हममें है। लेकिन सरकार को चाहिये कि वह इस दोष को दूर करे। जो भी आज इस हाउस की राय है उसे सरकार को मानना चाहिये और मैं तो चाहता हूं कि आज के बाद जो पहला विधेयक इस सरकार का पेश होगा वही विधेयक होगा जिसके जरिये जो शराब, गांजा और मादक द्रव्य हमारे सूबे में हैं उनकी बिक्री बन्द की जायगी। अगर इसके बिना किसी की जिन्दगी नहीं चल सके तो वह डाक्टरी सर्टिफिकेट लेकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आम तौर से यह इस्तेमाल नहीं किया जायगा और न इसकी बिक्री हो पायेगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहां सरकार की अन्य नीतियों का अपने को पक्का अनुयायी मानता हूं वहां पर यह घोषित करना चाहता हूं कि जो नीति सरकार की मद्यनिषेध के सम्बन्ध में है उसका मैं खुला विद्रोही हूं। मेरे लिये तो यह एक आठवां आश्चर्य मालूम हो रहा है कि आज इसको बन्द करने के लिये यहां बहस करनी पड़ रही है। आचार्य विनोबा जी ने दो वर्ष पूर्व कहा था कि पूरे देश भर में एक वर्ष के अन्दर पूर्ण मद्यनिषेध हो जाना चाहिये। राज गोपालाचारी साहब ने कहा था कि "प्रोहिबिशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फोर्थ विद इन दि होल आफ दि कंट्री"। ढेबर साहब ने कहा था

"A phase of programme was unnecessary and that prohibition should proceed with simultaneously all over the country."

इसका मतलब यह है कि राजा जी ने कहा था कि सारे देश में मद्यनिषेध तुरन्त लागू हो जाना चाहिये। और ढेबर साहब ने कहा था कि इसके लिये धीरे-धीरे प्रोग्राम बना कर मद्य-निषेध करना उचित नहीं है। बल्कि इसको तो देश भर में एक साथ तुरन्त लागू करना चाहिये। महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार जनता की बुरी आदतों की चीजों को मुहइया नहीं करती है। वह वेश्याओं और जुए का प्रबन्ध नहीं करती है। क्या यह (मद्य) दोनों की जननी नहीं है? तो कितने तर्कों से सिद्ध किया जाय कि यह मानव जाति के लिये संहारकारी शत्रु है। इस पर भी यह कहना कि इससे पैसे का नुकसान होगा, इसको शनैः शनैः लागू करने की नीति का बयान करना, मैं समझता हूं कि इसमें कोई सार नहीं है। सिद्धांत पैसे को नहीं देखता, सिद्धांत-सिद्धांत को देखता है। वह तो पैसे को त्याग करके सिद्धांत का पालन करता है और आंकड़ों से भी सिद्ध है कि हमें जो पैसे का जाहिरा नुकसान दिखलायी पड़ता है हमारे एक्सचेकर का वह वस्तुतः कोई नुकसान नहीं हुआ करता। एक कहावत है कि—

"If wealth is gone nothing is gone, if health is gone something is gone, but if character is gone everything is gone."

लेकिन मद्य पदार्थ ऐसी चीजें हैं कि जो वेल्थ, हेल्थ और करेक्टर तीनों को ही विनष्ट करती है और सर्वनाश करती है। यह तो थोड़े से पैसे के लिये जनता की वेल्थ, हेल्थ और करेक्टर के साथ खिलवाड़ करना है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिये यह उचित और शोभनीय बात नहीं है और खासकर उस सरकार के लिये कि जिस की संस्थापना करने वालों ने शराब और मद्यनिषेध के लिये सत्याग्रह किया, पिकेटिंग किया, जेल गये, जुर्माने दिये, बच्चों को भूखा मारा और क्या-क्या त्याग, परिश्रम और बलिदान नहीं किये। ऐसी सरकार जो इन भावनाओं से स्थापित की जाय वह यह कहकर कि इस से पैसे की क्षति होगी या सरकार के चलाने में बाधा होगी, मैं समझता हूं यह एक ओछी दलील है और किसी को मान्य नहीं हो सकती।

यह भी कहा जाता है कि प्राहिबिशन हो जाने से नाजायज शराब आदि बनाने की आदत पड़ जाती है और पीने वालों की संख्या बढ़ जाती है, मैं समझता हूं यह बात गलत है। मद्रास में प्राहिबिशन के पहले और उस के बाद जो शराब पीने वाले थे उन की संख्या तैयार हुई तो पता लगा कि वह २० से २५ प्रतिशत तक रह गये। इसी तरह से बम्बई में वह केवल ३० प्रतिशत रह गये।

यह भी कहा जाता है कि मद्यनिषेध के लिये देश में अभी वातावरण नहीं है। मैं समझता हूं यदि भारत में और खास कर हमारे सूबे में वातावरण नहीं है तो मैं समझता हूं संसार में कोई ऐसा छोर नहीं हो सकता कि जहां मद्यनिषेध के लिये वातावरण हो। अमेरिका में २२ गैलन पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) शराब की खपत है, हमारे यहां सन् २३–२४ में २.६८ गैलन प्रति शत शराब की खपत निकाली गई थी सपक्ष वातावरण का इससे बड़ा प्रभाव और क्या चाहिये? तो फिर यहां जबरदस्ती क्यों शराब पिलाई जाती है। इसलिये यह सब तरह से सिद्ध होता है कि यहां एक मिनट के लिये भी तनिक भी आधार नहीं मिलता कि इस को जारी रखा जाय। मुझे शिकायत है कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बड़ी निश्चेष्ट है और बड़ी निष्क्रिय है। हमारे अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में जैसे बम्बई, मद्रास, सौराष्ट्र आदि में काफी छानबीन इस दिशा में की गई है दिल्ली में भी की गई। काफी अनुसंधान और छानबीन इस दिशा में हुई है लेकिन क्या मैं अपने माननीय मद्यनिषेध मंत्री महोदय से या सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या वह बता सकते हैं कि क्या हमारी सरकार ने जब से यहां के ११ जिलों में मद्यनिषेध योजना लागू की है उसके बाद इस तरह के कोई आंकड़े तैयार किये हैं? हर साल कुछ पैसा प्राहिबिशन के प्रचार के लिये निकाला जाता है। एक तरफ तो दुकानें सरकार खुलवाती है और तब दूसरी तरफ कुछ पैसा निकाल कर पुस्तकें, तस्वीरें छपा कर या प्रचार करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। जब शराब पीकर लोग निकलते हैं तो तब उनसे कहा जाता है कि तुम शराब न पिओ तो वह कहता है कि तुम दुकान खोलने वाले हमको मना करते हो? इसमें कोई बल नहीं

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

रहता और शराबी तो अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही होंगे बड़े मस्त होते हैं। एक किस्सा है। राजा वाराणसी का क़िस्सा है। वे हाथी पर चले आ रहे थे। एक मुंशी पीकर निकला। वह राजा साहब से कहता है कि "अबे हाथी बेचेगा"। राजा साहब कुछ नहीं बोले। इत्तिफाक से राजा साहब का वह एक मुलाजिम था। दूसरे दिन दरबार में बुलाया गया और राजा साहब ने कहा कि "हाथी बेचने वाला बैठा है तुम खरीदोगे"। मुंशी जी ने कहा, सरकार ! खरीदने वाला इस वक्त गायब है। ये तो मस्त होते हैं। मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है। अगोरी और दुद्धी वहां के एक परिवार में बाप बैठता है, स्त्री, बहू, बेटी और बेटा बैठता है एक सर्किल में और शराब पीना शुरू करते हैं। अगर उनमें कोई लड़का कम पीता है तो बाप चांटे मारता है और उसे नालायक बताता है। चीन में भी एक कहावत है पहले आदमी शराब को पीता है, फिर शराब शराब को पीती है और फिर शराब आदमी को पीती है। इस तरह से शराब सब तरफ से सबका सर्वनाश करती है। हमारे जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने एक संशोधन रक्खा है जिसमें उन्होंने लिखा है "इंजूरियस टु हेल्थ" शब्द निकाल दिया जाय। उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो यह प्रस्ताव लिखा गया है वह कांस्टीट्यूशन के बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें कांस्टिट्यूशन में जहां डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स रक्खे गये हैं उसमें ४७ धारा में यह है:—

"The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

कांस्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसमें अन्तिम शब्दावली में यह दिया गया है "इंजूरियस टु हेल्थ" इस संकल्प को भी उसी ढंग से बनाया गया है जो कांस्टिट्यूशन के आधार पर है जिसके मान लेने में हमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये। साधारण तौर से कोई भी मत ऐसी नहीं है चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे भंग हो जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा बीड़ी और सिगरेट आदि भी कुछ न कुछ नशे के रूप में आते ही हैं बल्कि सिगरेट आदि तो इतना जबरदस्त नशा होता है कि एक आदमी जो इसका आदी बन जाता है, वह दो या चार घंटे एक जगह बिना सिगरेट के जम कर बैठ नहीं सकता अगर पी न ले। बहुत से तो चेन स्मोकर होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा चेन स्मोकिंग में खर्च करते हैं। यह व्यसन हमारे विद्यार्थियों और नौजवानों में बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि जहां हम निर्माण की आवाज लगाते हैं वहां जहां तक आचरण का सम्बन्ध है, हमारे संयम का सम्बन्ध है, वहां तक हम कह सकते हैं कि हम धीरे-धीरे बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं। इस लिये हमारा ध्यान चारों तरफ ऐसा होना चाहिये कि हम मद्यों से अपने बच्चों को, अपनी भावी संतान को, अपने आप को बचा सकें। इसलिये जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और अपनी सरकार से जोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं कि अब ढीलीढाली नीति छोड़ कर, संशय को छोड़ कर बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो कर वह कदम उठाये। हमारी सरकार सब मामलों में आगे है लेकिन दुख है कि इस मामले में यदि मैं कहूं कि भारतवर्ष में सब से पीछे है तो शायद मेरी कोई अतियुक्ति न होगी। मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार के लिये लाजमी है। हमने सब कामों में देश का नेतृत्व किया है लेकिन इसमें हम पीछे पड़े रहे यह शोभनीय नहीं है। जो मानव जीवन को विनाश करने वाला है सब से बड़ी शत्रु है अगर उसमें ढील होती है तो उससे न तो हमारे राष्ट्र का जीवन बनता है न हमारे राष्ट्रीय उन्नति होती है। नहरें और सड़कें कुछ नहीं कर सकतीं जितनी उन्नति हम मद्यनिषेध कर के कर सकते हैं।

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है इसमें हमें लूपहोल दिखाई देता है। आपने यह कहा कि वह दवा दारू के लिये एक स्थान खोल दिया जाय। आज हमारी सरकार की जो नीति है हमारा जो संविधान है हम ठीक उसी संविधान के आदेशानुसार चल रहे हैं। जैसा कि मिश्र जी ने और मौर्य जी ने कहा हम बहुत उतावले नहीं हैं। जल्दीबाजी वाली नीति सरकार की नहीं है। हम मद्य-निषेध की नीति पर अग्रसर हो रहे हैं। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मित्रों ने बड़े जोर से यहां कहा है। लेकिन अपने क्षेत्रों में भी कहने की आवश्यकता है। वी शुड गो टु दि मासेज एण्ड ट्रेन दि मासेज। (हमें जनता के बीच में जा कर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए) आज पहाड़ों में शराब चलती है। कानपुर में रात दिन किस्सा सुनता हूं उससे बड़ा दुख होता है। सुनता हूं कि हमारे भाई लोग स्पिरिट पीते हैं। स्प्रिट पीने से जल्दी मर जायगा शराब की बनिस्बत। सरकार धीरे-धीरे इस ओर बढ़ रही है। साइ-कालोजी में हमने पढ़ा था कि इंसान की हैबिट जब पड़ गई तो धीरे-धीरे हटाना चाहिये। हमारे बड़े-बड़े विद्वानों ने, बड़े-बड़े समाज सेवकों ने, गांधी जी ने कहा कि यह चीज बन्द होनी चाहिए। यह नहीं है कि हम उस पर पिछड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ११ जिलों में हमारी गवर्नमेंट एक्सपेरीमेंट कर रही है। हमारी सरकार का विश्वास सिम्पिल लिविंग और हाई थिंकिंग (सरल जीवन तथा ऊंचे विचार) में है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि सरकार को चाहिये कि बड़ी-बड़ी तनख्वाह वालों का पैसा कम कर दिया जाय, टैक्सेशन किया जाय। लेकिन उन्होंने खुद अपना कंट्रेडिक्शन किया। उन्होंने कहा था कि सरकार भिख-मंगों से पैसा ले रही है।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे जब गैर सरकारी दिन होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२४ अक्तूबर, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

राज्य में खाद्यानों के बढ़े भावों को कम करने के लिये तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की जनता की सहायता करने के लिये राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों को सस्ते मूल्य पर विक्रय करने के विषय में एक नोट :

(क) बढ़े हुए भावों को रोकने के लिए सरकारी दूकानों की स्थापना :

१—पर्वतीय क्षेत्र

पर्वतीय क्षेत्रों में अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल जिलों में सरकारी दूकानों द्वारा सस्ते भाव पर गेहूं बेचा जा रहा है। प्रत्येक जिले में उचित स्थानों पर सरकारी गोदाम खोले गये हैं जिनसे दूकानदारों अथवा सहकारी समितियों को १५ रु० प्रतिमन के थोक भाव से गेहूं दिया जाता है। इन गोदामों से दूकानों तक गेहूं ले जाने के व्यय को ध्यान में रखकर जिलाधीश प्रत्येक दूकान के लिये फुटकर भाव निश्चित करते हैं।

इस सप्लाई पर राज्य सरकार को लगभग ३ रु० प्रति मन की हानि हो रही है।

२—अन्य क्षेत्र

(१) संलग्न सूची में दिये गये नगरों में आयात किया हुआ गेहूं सरकारी दूकानों द्वारा विक्रय किया जा रहा है।

(२) संलग्न सूची में नगरों को तीन वर्गों में रखा गया है :

(क) वर्ग 'क' के नगरों में भारत सरकार के गोदाम हैं। इन गोदामों से जिलाधीशों द्वारा नियुक्त दूकानदारों को १४ रु० ५ आ० ९ पा० प्रतिमन के थोक भाव से (बोरे का दाम मिलाकर) गेहूं दिया जा रहा है। फुटकर में विक्रय २ सेर १२ छटांक प्रति रुपये के भाव से किया जा रहा है।

(ख) सूची के वर्ग 'ख' के नगरों में राज्य सरकार भारत सरकार से स्टाक की डिलीवरी लेकर उसे अपने गोदामों में एकत्र कर रही है। इन गोदामों से जिलाधीशों द्वारा नियुक्त फुटकर खरीदारों को थोक भाव में १४ रु० ५ आ० ९ पाई० प्रति मन के भाव से (बोरे के मूल्य सहित) गेहूं दिया जा रहा है। फुटकर भाव २ सेर १२ छटांक प्रति रुपया है।

(ग) वर्ग 'ग' में वे नगर हैं जहां भारत सरकार गेहूं नहीं भेज रही है। राज्य सरकार स्वयं इन स्थानों में भारत सरकार के वाराणसी स्थित गोदाम से अथवा अपने गोदामों से गेहूं लेकर भेजने का प्रबंध कर रही है। इस व्यवस्था में राज्य सरकार का कुछ अतिरिक्त खर्चा बैठता है इस लिये इन नगरों में थोक भाव १५ रु० प्रति मन (बोरे के मूल्य सहित) तथा फुटकर भाव २ सेर १० छटांक प्रति रुपया रक्खा गया है।

(३) सूची में दिये हुए सभी नगरों में दूकानदारों को एक बोरे में २०० मन तक गेहूं दिया जाता है। वर्ग 'क' के नगरों में तथा मेरठ में एक दिन में एक दूकान से ५० मन तक तथा अन्य नगरों में एक दूकान से एक दिन में ३० मन तक गेहूं बेचा जा सकता है।

(४) इन दूकानों से प्रत्येक व्यक्ति गेहूं खरीद सकता है। परन्तु एक खरीदार को एक बार में १० रु० से अधिक मूल्य का गेहूं नहीं दिया जाता।

(५) वर्ग 'क' के नगरों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में विक्रय आरम्भ हो गया था। अधिकतर दूसरे नगरों में सितम्बर के पहले सप्ताह में विक्रय आरम्भ किया गया। विभिन्न नगरों में विक्रय आरम्भ होने की तारीखें सूची में दी गई हैं।

(६) 'क' तथा 'ख' वर्गों के नगरों में राज्य सरकार का भारत सरकार से १४ रुपया प्रतिमन के भाव से गेहूं मिल रहा है। राज्य सरकार इन नगरों में १४ रु० ५ आ० ९ पा० के थोक भाव से दूकानदारों को गेहूं दे रही है। वर्ग 'ख' के नगरों में गेहूं की डिलीविरी लेने तथा दूकानदारों को देने के पूर्व से संचित करने में राज्य सरकार को जो व्यय करना पड़ता है यह बचत (५ आ० ९ पा०) से अधिक है किन्तु आशा की जाती है कि पूरी योजना पर राज्य सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

(ख) बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता —

(१) बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को सहायता देने के निमित्त निम्नलिखित जिलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी दूकानों द्वारा ३ सेर प्रति रु० के फुटकर भाव से गेहूं बेचा जा रहा है :

१—बाराणसी	६—गाजीपुर	११—मुजफ्फरनगर
२—बस्ती	७—बलिया	१२—सहारनपुर
३—देवरिया	८—मिर्जापुर	१३—मेरठ
४—गोरखपुर	९—बहराइच	१४—बुलन्दशहर
५—आजमगढ़	१०—फर्रुखाबाद	

यह गेहूं दूकानदारों को १२ रु० १२ आ० १० पा० प्रति मन के थोक भाव से दिया जा रहा है। बोरे का मूल्य ५ आ० प्रतिमन अलग से वसूल किया जा रहा है। इस सप्लाई पर राज्य सरकार का लगभग २ रु० ३ आ० प्रति मन की हानि हो रही है।

(२) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से खरीदा गया लगभग १३,११४ मन चावल निम्नलिखित बाढ़ पीड़ित जिलों में भेजा गया है :

१—गाजीपुर	२,००० मन
२—गोरखपुर	१,००० ,,
३—बस्ती	१,००० ,,
४—वाराणसी	२,००० ,,
५—देवरिया	३,००० ,,
६—बलिया	४,११४ ,,
योग ..	१३,११४ मन

यह चावल भी सरकारी दूकानों द्वारा बेचा जा रहा है। थोक भाव १४ रु० मन तथा फुटकर भाव २ सेर १३ छटांक प्रति रु० है। राज्य सरकार का इस सप्लाई पर कोई लाभ अथवा हानि नहीं है।

(३) राज्य सरकार के पास लगभग १२,००० मन मोटे गल्ले (चना तथा जौ) का स्टाक था वह भी बाढ़ तथा सूखा ग्रस्त पूर्वी जिलों को उनकी मांग के अनुसार वितरण करने के लिये भेज दिया गया था। इसमें से कुछ स्टाक बिना मूल्य के वितरित कर दिया गया है तथा शेष स्टाक को सरकारी दूकानों द्वारा बेचने के आदेश दिये जा रहे हैं। जो स्टाक बेचा जायगा, उसमें लाभ अथवा हानि होने की संभावना नहीं है।

सूची

वर्ग 'क'

नगरों के नाम	दूकानों की संख्या	विक्रय प्रारंभ होने की तारीख
१—कानपुर	८१	अगस्त का अंतिम सप्ताह ।
२—आगरा	४१	
३—वाराणसी	५०	
४—लखनऊ	६०	
५—इलाहाबाद	५७	

वर्ग 'ख'

नगरों के नाम	दूकानों की संख्या	विक्रय प्रारंभ होने की तारीख
१—जौनपुर	७	३१-८-५६
२—मिर्जापुर	१२	सितम्बर का प्रथम सप्ताह ।
३—गाजीपुर	१४	
४—बलिया	१२	
५—आजमगढ़	१०	
६—मऊ	४	
७—गोरखपुर	१५	
८—देवरिया	७	
९—ललितपुर	३	सितम्बर का तृतीय सप्ताह १२-९-५६ ।
१०—हरिद्वार	८	
११—गाजियाबाद	१०	३१-८-५६
१२—हापुड़	६	सितम्बर का द्वितीय सप्ताह ।
१३—मेरठ	२८	२३-८-५६
१४—मुजफ्फरनगर	१०	२६-७-५६
१५—सहारनपुर	१५	१२-९-५६
१६—देहरादून	१९	सितम्बर का द्वितीय सप्ताह
१७—मुरादाबाद	५	२१-९-५६
१८—बरेली	१५	२१-९-५६
१९—फैजाबाद	७	१०-९-५६
२०—सुल्तानपुर	९	सितम्बर का द्वितीय सप्ताह
२१—प्रतापगढ़	५	८-९-५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगरों के नाम	दूकानदारों की संख्या	विक्रय प्रारम्भ होने की तारीख
	वर्ग 'ग'	
१—झांसी	९	..
२—बस्ती	१३	सितम्बर का द्वितीय सप्ताह।
३—पडरौना	३	सितम्बर का प्रथम सप्ताह।
४—हल्द्वानी	..	अभी विक्रय प्रारंभ नहीं हुआ।
५—उन्नाव	...	अभी विक्रय प्रारंभ नहीं हुआ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

विवरण १

कार्य	जो काम पूरा हो चुका	जो काम हो रहा है
१—उन कुओं की संख्या जिन की मरम्मत की गई	३२	७८
२—नये कुओं की संख्या	१	२२
३—हैन्ड पाइपों की संख्या	३	९
४—खड्डों की प्रोजेक्ट संख्या	२३	३६
५—नालियां	१	११
६—पुलियां	३	८
७—पंचायत-घर, कम्यूनिटी सेन्टर इत्यादि ..	..	१३
८—फुट पाथ	..	१
९—स्कूल-भवन	१	६
१०—सड़कें	..	६

नोट—सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूची विवरण २ में देखें।

विवरण २

सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत किए गए कार्य

कार्य	व्यौरा
प्रौढ़-साक्षरता कक्षाएं	१६
साक्षर किये गये प्रौढ़	२५०
केन्द्रीय पुस्तकालय	१
रीडिंग रूम	१
सूचना-केन्द्र	१
समाज मिलन केन्द्र	५
कम्यूनिटी लिसनिंग सेट	३१
सचल पुस्तकालय	१५
नये स्कूल	३
महिला-मंगलम्	१
बाल-मंगलम्	१
क्रीड़ा-क्षेत्र	२३
बच्चों के पार्क	३
भजन-मंडली	४५
खेलों के क्लब	४३
शारीरिक सांस्कृतिक क्लब	२
नवयुवकों के क्लब	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विवरण ३

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, डन्कोर, जिला बुलन्दशहर

श्रमदान तथा जनता के चन्दे से किये गये कार्यों की सूची (३० जून सन् १९५६ ई०तक)

क्रम संख्या	विवरण	वास्तबिक कार्य के आंकड़े
	सिंचाई	
१	सिंचाई के अंतर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र ..	१,५१६
	कृषि	
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण (मनों में)	१४,९२९
३	प्रदर्शनों की संख्या	७६३
४	खाद जो वितरित की गई	१,४१३
५	हरी खाद के बीज जो वितरित किये गए (मनों में)	
६	खाद के गढ़े जो बनाये गये	६९०
	उद्यान अथवा बागबानी	
७	नए उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र (एकड़ों में) ..	१३
८	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई (एकड़) ..	५५
	भूमि को कृषि योग्य बनाना	
९	कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र (एकड़) ..	५८२
	पशु-पालन	
	वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या	
११	गाय व भैंस	१२
१२	सांड़	४
१३	पक्षी	२३
१४	चिकित्सित पशुओं की संख्या	१,७०४
१५	बधिया किये गये पशु	४३२
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
१६	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	१५
१७	शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या	२५०
	सामूहिक कार्य	
१८	नए आदर्श मकानों की संख्या	६१
१९	सड़कों का निर्माण (मील फर्लांग में) ..	मील फ०
	कच्ची	४३ ७
	पक्की	० १
२०	सड़कों की मरम्मत (मील फर्लांग में)	
	कच्ची	२७ ३
२१	पुलिया बनाई गईं	१६

जन स्वास्थ्य

२२—निर्मित शुद्ध जल कूप, हेन्ड पम्प सहित (संख्या) ..	१६
२३—टीके (संख्या)	७,७९१
२४—सोख्ते बने	४०
२५—पक्की नालियां जो बनायी गई	१,९९७ गज
२६—सहकारी समितियां	४२
२७—सदस्य	१,०६५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर)

सूची

कार्य का विवरण	१९५६ तक का लक्ष्य	वास्तविक प्रगति	अन्य विवरण
१	२	३	४
(अ) कृषि			
१—बीज वितरण (मनों में) ..			
खरीफ धान	१७,०००	१६,३२९	
अन्य	९००	१,२३७	
रबी			
गेहूं	१४,०००	३६,५०६	
चना	४,५००	३,८९७	
जौ	२,५००	२,८१५	
अन्य ..	१,२००	१,९८०	
२—उन्नतिशील यंत्र का वितरण ..			
उन्नतिशील हल	२६०	३३१	
कल्टीवेटर और हेरो ..	२६०	५५	
उन्नतिशील हेरो	१६५	६८	
अन्य यंत्र	१,२५०	३७७	
३—खाद एवं उर्वरक (टनों में)			
अमोनियम सल्फेट ..	२३१	४६४	
सुपर फास्फेट ..	४८	१०	
हड्डी का चूरा	२०	३	
सनई, ढेंचा	४६	२२	
मूंग न० १ का क्षेत्र ..	७६,५३७	२१	एकड़
कम्पोस्ट वितरण ..	२७,२८२ टन	२१,२३६	टन
४—कृषि प्रदर्शन ..			
बीज सम्बन्धी	१,४२२	२,४१९	
खाद सम्बन्धी	२,८३४	३,६८१	
जुताई, गोड़ाई, यंत्र तथा अल्प श्रम सम्बन्धी	४,१५५	१,३९६	
फसलों के हेर फेर सम्बन्धी ..	१,९५४	१,९१४	
पूरे क्षेत्र सम्बन्धी हल, जुताई, उन्नतिशील बीज तथा पत्तियों में बोना आदि	१,०००	२,११२	
अन्य ..	..	२,०१५	

१	२	३	४
५—कृषि रक्षा			
उप-केन्द्रों का खोलना ..	१०	..	
६—उद्यान			
उद्यानों का क्षेत्र फल	१,०६५	एकड़	५६३ एकड़
पुराने बागों का सुधार ..	३७५	,,	१८३ ,,
फलदार लगाये गये वृक्षों की संख्या	१,०५,५५६		८४,३४१
अन्य लगाये गये वृक्षों की संख्या ..	१३,७०४		४१,१८३
७—नरसरी			
(क) जिला नरसरी ..	१		१
(ख) केन्द्रीय नरसरी ..	१५		..
(ग) नरसरीज जिन्हें सहायता मिलती है	२५		४
आलू के अतिरिक्त वितरित की हुई तरकारी के बीज की मात्रा ..	२०४	पौंड	१५२ पौंड
आलू के बितरण की मात्रा ..	१,८३०	मन	८७१ मन
(ब) गन्ना विकास विभाग ..			
१—रिजर्व क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)	५०,०००		५०,०००
२—रिजर्व क्षेत्र की कुल उपज (मनों में)	२२४.१४	लाख मन	२२५.०० लाख मन
३—प्रति एकड़ की औसत उपज (")	४५०		४५०
४—पेरे गये गन्ने का कुल परिमाण (")	१०५.००		८८.१२
५—सम्पूर्ण औसत प्रति एकड़ ..	२४०		१७६
६—वितरित खाद का परिमाण (मन)	२०,०००		५३,००४
७—ग्रामीणों द्वारा बनायी गयी कम्पोस्ट खाद का परिमाण (लाख मन)	७.००		७.४१
८—मिलों में बनाई गयी कम्पोस्ट खाद का परिमाण (लाख मनों में) ..	१.००		१.१८
९—गन्ने का बीज जो बितरित किया गया (लाख मनों में) ..	२.२५		२.९७
१०—वितरित यंत्रों की संख्या ..	१,०००		१,५०४
११—पक्के कुओं की संख्या जो बनाये गये	३४०		३४७
१२—कुयें जिनमें बोरिंग की गई ..	१००		७२
१३—नल कूप	३०		५४
१४—तालाब जो खोदे गये या गहरे किये गये	२५		१२
१५—रहटें जो बांटी गई ..	२०		११
१६—पंम्पिग प्लांट	२५		४५
१७—कच्ची सड़कों का निर्माण ..	६५		२४
१८—कच्ची सड़कों की मरम्मत ..	१००		७२

१	२	३	४
१९—पक्की सड़कों का निर्माण	..	८ मील	१.३ मील
२०—पुल एंव पुलियों का निर्माण		३५	७१
२१—पुल एवं पुलियों की मरम्मत	..	८	११
(स) सिंचाई विभाग			
१—राजकीय नल कूप	..	२९०	३० पूर्ण तथा .५५ निर्माण में
२—सहकारी नल कूप (बड़े)	..	२००	..
(छोटे)	..	२२५	३२
३—राजकीय गूल	..	७० मील ४ फर्लांग	८१ मील
४—सिंचाई के कुयें	..	१,४५१	२८८
५—सिंचाई के कुओं की बोरिंग	..	९१०	१७९
(द) पशुपालन विभाग			
उन्नतिशील नस्ल के पशु का प्रबन्ध			
(अ)—१—बिजार सांड	..	१००	५९
२—बकरे	..	३२	२२
३—सुअर सांड	..	१०	०
४—भेंड़ा	..	१८	६
(ब) कृत्रिम पशु गर्भाधान केन्द्र	..	२	१
(स) ,, उप केन्द्र	..	८	१
(द) केन्द्रीय ग्राम ब्लाक	..	१	१
(य) स्टक मैन सेन्टर	..	२०	१०
(फ) पशुओं का इलाज	..	५०,०००	१,१३,०७६
य—सहकारिता			
१—प्रारम्भिक समितियां	..	१,१५९	१,२८२
२—सदस्यता ..	..	२,१३,०००	२५,०३७
३—हिस्से की पूंजी ..	..	८,५२,०००	४,६६,७५०
४—अमानत ..	..	५,७८,०००	४,६६,५५३
५—ऋण का वितरण	..	१,०६,५०,०००	११,६९,८२९
६—बकाये की वसूली	..	१,०६,८२९	६,५९,९५६
७—बकाया बीज की प्राप्ति	..	९६,५४१	१,४०,३५४
८—सहकारी संघ ..	..	८८	४५
९—बीज भंडार ..	..	३३	२६
१०—बीज भंडार भवन (पक्का)	..	३०	८
११—सहकारी ईंट के भट्ठे	..	५०	१६
क—पंचायत राज, जनस्वास्थ्य तथा सामूहिक कार्य			
१—पंचायत घर का निर्माण			
पक्का	..	३९८	५२ पूर्ण तथा ४५ निर्माण में
कच्चा	..	७६१	शून्य

१	२	३	४
२—गांधी चबूतरा—			
पक्का	१,१५९	५५२	
कच्चा	..	३९७	
३—पुस्तकालय	५७९	१००	
४—रेडियो	९६	१४३	
५—अखाड़ा	१,१५९	५१	
६—कच्ची सड़क की मरम्मत ..	२,३१८ मील	१,३७० मील	
७—बाग लगाना	२,८९५ एकड़	४९५ एकड़	
८—लालटेनों की व्यवस्था ..	४,६३६	१,५९०	
९—औषधि पेटिकायें ..	१,१५९	६३९	
१०—सिचाई की व्यवस्था ..	असिंचित भूमि का ५० प्रतिशत।	५,१४८ एकड़	
११—पशु प्रदर्शिनी	१	२७	
१२—पानी का प्रबन्ध (कुएं निर्माण)	१,१६९	१,२६८	
१३—कुओं की मरम्मत ..	२,६५०	१,७४०	
१४—सोख्ते	६,९५४	२१,२३६	
१५—टीका लगाना	४६,९००	२,०६,६७६	
१६—मलेरिया निरोधक कार्य ..	५०० (तराई ग्राम में)	५०० (तराई ग्राम में)	
१७—जच्चा बच्चा केन्द्र ..	४	४	
१८—औषधालय—एलोपैथिक ..	१	..	
आयुर्वेदिक ..	१	१	
१९—हैन्ड पम्प	४००	३४५	
२०—नेत्र चिकित्सालय ..	१	१	
क—यातायात			
१—सड़कों का निर्माण ..	११६ मील	लगभग सारे मीलों का निर्माण पूर्णतया समाप्ति पर है।	
२—नयी पक्की सड़कों का निर्माण ..	२६ मील	पूर्ण हो चुका है केवल ९ मील नवीनीकरण शेष है।	
३—कच्ची सड़कों का निर्माण ..	७० १/२ मील	दर्जी कुआं मनकापुर, १२ मील मनकापुर (बसकिमवां छपिया सड़क १३ मील)।	
४—सी० सी० ट्रेक	२८ मील	इस कार्य में लगभग ८५ प्रतिशत विकास हो चुका है और लगभग कार्य समाप्ति पर है।	

१	२	३	४
५—बड़े पुल ..	..	१—घाघरा का पुल,	घाघरा पर नाव के पुल का प्रबंध है, केवल वर्षा काल में पुल टूट जाता है और फेरी द्वारा नदी पार करने का प्रबन्ध किया जाता है।
		२—राप्ती पर रेलवे का पुल।	राप्ती पर बलरामपुर के निकट जो पुल (डेकिंग ब्रिज) बनने की योजना बन रही है उस पर अभी कार्य का आरम्भ नहीं हुआ है।
ख—शिक्षा			
प्रारम्भिक पाठशाला ..	..	८३५	७३६
जूनियर हाई स्कूल—			
बालक ..	..	४९	४५
बालिका ..	..	५	६
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	१३	१५
पुस्तकालय ..	..	४५	३४
वाचनालय ..	..	११५	७३
ग—गृह उद्योग—			
१—सहायता प्राप्त शिक्षालय	..	१	१
२—औद्योगिक समितियां (सकहारी)		१५	..
३—खादी केन्द्र	..	२	..
४—गुड़ विकास केन्द्र	..	३	..
५—श्रम केन्द्र (नवाबगंज)	..	१	..
घ—हरिजन कल्याण			
१—कक्षा १२ तथा उसके नीचे की कक्षाओं की छात्रवृत्ति	..	११,५७८ रु०	३५,२१४ रु०
२—जिला बोर्ड की छात्रवृत्ति के लिए अनुदान	.. ..	१५,११९ रु०	१५,८४८ रु०
३—नगर पालिका के छात्रवृत्ति के लिए अनुदान	.. ..	१,०५२ रु०	८४० रु०
४—शिक्षा शुल्क की मुक्ति से होने वाली घटी पूरी करने के लिए स्कूलों को अनुदान	.. ..	६,९३१ रु०	१४,४२०/३/६
५—पाठशालायें, वाचनालय, छात्रालय आदि चलाने के लिए अनुदान	..	६७३ रु०	४८८ रु० गवर्नमेंट २०० रु० जिला बोर्ड ६८८ रु०

१	२	३	४
६—बरबार छात्रों की विशेष छात्रवृत्ति			
	आर्थिक सुविधायें ..	२,००० रु०	३,३०० रु०
आर्थिक सुविधायें			
१—गृह उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान	..	५०० रु०	४,८०० रु०
२—उत्तम रहन-सहन की सुविधायें			
कूप बनाने के अनुदान	..	८,००० रु०	१२,५७५ रु०
मकान बनाने के अनुदान	..	..	४,९०० रु०
विविध			
१—हरिजन समितियों को अनुदान	..	१,२६४ रु०	५०० रु०
२—सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को अनुदान		१,००० रु०	एक सोशल वर्कर ५० रु० मासिक वेतन पर केवल ६ मास के लिए।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

LIST OF EQUIPMENT AND INSTRUMENT ETC. PURCHASED OUT OF Rs. 3,500/ RECEIVED FROM GOVERNMENT

1.	A. P. Apparatus complete in a box	1
2.	A. P. Needles German SS Primary	6
3.	A. P. Needles German SS Secondary	4
4	Potain Aspirator complete	1
5.	Instruments cabinet	1
6.	Examination table	1
7.	Iron bed stead	1
8.	Stoppered bottles 4 oz. M. M.	4 dozen.
9.	Stoppered bottles 4 oz. M M.	4 do.
10.	Mixture bottles 4 lbs.	6 only.
11.	Galliposts 4 oz.	1 dozen.
12.	Bed Pan E. I.	1
13.	Spitoon with stands	1
14.	Cotton Absorbent	10 lb.
15.	Gauze cloth	12 thans.
16.	Rolled Bandages 3" superior	6 dozen.
17.	Rolled Bandages 4" superior	6 do.
18.	Lint Absorbent	1 lab.
19.	Record syringes 2 c.c.	2
	Ditto 5	2
	Ditto 10 c. c.	1
	Ditto 20 c. c.	1
	Ditto 50 c. c.	6 dozen.
20.	Hypodermic needles assorted size	2
21.	Durries	2
22.	Pillows	4
23.	Pillow cover	6
24.	Towel small	4
25.	Towel large	1
26.	Wash hand complete	6
27.	Spitoon with cover E. I.	1
28.	Stove 1 burner Swedish	6
29.	Bed Sheets	1
30.	Petromax	3
31.	Artery forceps 5" SS	1
32.	Cheatle forceps	4
33.	Dissecting forceps 5" plain	2
34.	Dissecting forceps 5" toothed	1 dozen.
35.	Thermometer 1/2 Min., ZEAL	6 rolls.
36.	Lukoplast German	6
37.	Kidney trays E. I.,	3
38.	E. I. Wash besin	

प्रति पूरक विधान सभा

39.	E. I. Urinal Male	2
40.	E. I. Urinal Female	2
41.	Scissors 6" German	2
42.	Plastic approns	2
43.	B. P. Handles English	2
44.	B. P. Blades English assorted size	2 dozen.
45.	Bowels E. I. Assorted	6
46.	Trays E. I. with cover	2
47.	E. I. trays large	2
48.	West green tubes assorted	4
49.	Enema cane complete	1
50.	Three way canula German	1
51.	Blood pressure Inst. German	1
52.	Dispensing scale complete	1
53.	Stethescope B. D. U. S. A.	1
54.	Makintoch sheeitng	12 yards.
55.	Mattresses	2
56.	Blankets superior	4
57.	Urine test cabinet	1
58.	Vover slip	1 packet.
59.	Glass slids German	1 packet.
60.	Weighing machine German	1
61.	E. I., Bucket with cover	2
62.	Scheme lbush sterilizer complete	1
63.	Diagnostic	1

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

लाइसेंस	पुरानी दरें	नयी दरें
	रु०	रु०
१—फार्म "बी" (कपड़ा)	२००	१०१
२—फार्म "बी" (सूत)	१००	५१
३—फार्म "बी" (कपड़ा)	८०	३१
४—फार्म "सी" (कपड़ा)	४०	१०
५—फार्म "सी" (सूत)	१०	४
६—फार्म "डी-१" (कपड़ा)	२००	१२५
७—फार्म "डी-१" (सूत)	२००	१२५
८—फार्म "डी-२" (कपड़ा) ..	१००	३५
९—फार्म "डी-२" (सूत)	५०	१५
१०—फार्म "ई" (कपड़ा)	१०	२

विधान सभा दुर्ग

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१२ पर)

जिला बस्ती में छोटे उद्योगों के लिए दिये गये ऋण तथा अनुदान की तालिका

क्रम संख्या	नाम	उद्योग	ऋण	अनुदान	वित्तीय वर्ष
			रु०	रु०	
१	श्री पचई राम, मुकाम व पोस्ट बम्मान, जिला बस्ती ..	जूता उद्योग ..	२,५००	..	१९४७–४८
२	सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट असोसिएशन, बस्ती ..	चमड़ा उद्योग ..	..	२,५००	१९४७–४८
३	श्री सुखई राम हरिजन, मकान नम्बर २३७, पुरानी बस्ती, नाईबान, बस्ती ..	जूता उद्योग ..	१,०००	..	१९५२–५३
४	श्री तीरथराज काटेज इन्डस्ट्रीज, मास्टर खालिस्तान, खलीलाबाद, बस्ती	बटन पेन, हैन्ड-मशीन, इत्यादि	२,५००	१,०००	१९५४–५५
५	श्री ओम प्रकाश खलीलाबाद, बस्ती	हाथ कर्घा उद्योग	२,५००	..	१९५४–५५
६	श्री दुलीचन्द अग्रवाल, प्रो० नेशनल काटेज इन्डस्ट्रीज, नाई-बाजार, बस्ती ..	प्लास्टिक उद्योग	५,०००	..	१९५४–५५
७	श्री ओम प्रकाश, खलीलाबाद, बस्ती	वाशिंग प्लान्ट, वास्ते कर्घा उद्योग	७,५००	..	१९५५–५६

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३८ एल० ए०—१९५६—७९६